खण्ड-06 सत्र - 02 (भाग-01) / अंक- 25

शुक्रवार 04 दिसम्बर, 2015 / 13 मार्गशीर्ष 1937 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

द्वितीय सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-02 (भाग-01) में अंक 15 से अंक 25 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

l=&2 Hkkx ¼1½ 'kØokj] 04 fnlEcj] 2015@13 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&25

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री वेद प्रकाश
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. सुश्री राखी बिड़ला
12. श्री विजेन्द्र गुप्ता
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल

21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री जरनैल सिंह (राजौरी गार्डन)
23. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री नरेश बाल्यान
27. श्री आदर्श शास्त्री
28. श्री गुलाब सिंह
29. श्री कैलाश गहलोत
30. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
31. सुश्री भावना गौड़
32. श्री सुरेन्द्र सिंह
33. श्री विजेन्द्र गर्ग
34. श्री प्रवीण कुमार
35. श्री मदन लाल
36. श्री सोमनाथ भारती
37. श्रीमती प्रमिला टोकस
38. श्री नरेश यादव
39. श्री करतार सिंह तंवर
40. श्री प्रकाश
41. श्री अजय दत्त
42. श्री दिनेश मोहनिया
43. श्री सौरभ भारद्वाज
44. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
45. श्री सही राम
46. श्री नारायण दत्त शर्मा
47. श्री राजू धिंगान
48. श्री मनोज कुमार
49. श्री नितिन त्यागी
50. श्री एस.के. बग्गा
51. श्री राजेन्द्र पाल गौतम
52. सुश्री सरिता सिंह
53. मो. इशराक
54. श्री श्रीदत्त शर्मा
55. चौ. फतेह सिंह
56. श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

---

l=&2 'kØokj 04 fnlEcj] 2015@13 ekx'kh"k] 1937 ¼'kd½ vd

---

lnu vijkgu 2%00 ct: leor gqvkA

माननीय अध्यक्ष महोदय **¼Jh jke fuokl xks;y½** *पीठासीन हुए।*

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज नियम 280 को ये माना जाये की वो पढ़के सुना दिए गये हैं, इनके उत्तर माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाएंगे, धन्यवाद!

fo'ks"k mYys[k ¼fu;e&280½

Jh lkSjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए इस हाउस के सामने एक बहुत...

v/;{k egksn; % विषय क्या है सौरभ जी? क्या विषय है?

Jh lkSjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, आज सुबह से कई अखबारों में ये विषय आया है, टी.वी. के चैनलों पर ये चल रहा है और बहुत गम्भीर विषय है, दिल्ली पुलिस के कमीश्नर बी.एस. बस्सी के खिलाफ बहुत बड़े आरोप लगे हैं, बहुत गम्भीर आरोप लगे हैं और सबसे दुख की बात ये है कि उन्होंने टी. वी. पर ये बयान दिया है कि मैं सबको कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा, मैं सिर्फ आपके जरिए सिर्फ कुछ फैक्टस इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय,

थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है, थोड़ा–सा समय दीजिए, अध्यक्ष जी। ये पूरा का पूरा मसला जो है ये लक्की होम कोपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है। ये रोहिणी सैक्टर–13 की एक हाउसिंग सोसाइटी है और इस तरीके की हाउसिंग सोसाइटी उन लोगों के लिए बनती है जो लोग अपना मकान नहीं ले सकते, खुद की हैसियत नहीं या गरीब हैं। वो इस तरीके की सोसाइटीज का फायदा उठाके अपना मकान लेते हैं, ये सोसाइटी 1979 में बनी और 55 प्रमोटर थे। जिस वक्त ये सोसाइटी बनी थी, उस समय इसकी शेयर वैल्यू 100 रुपये थी। इसके बाद करीब 11–12 साल के बाद बी.एस. बस्सी जी उस वक्त डी.सी.पी. नॉर्थ हुआ करते थे और अशोक रोड में 31/2 नं. प्लैट में वो रहते थे, उनके घर के बिल्कुल नजदीक रजिस्ट्रार ऑफ कॉआपरेटिव सोसाइटीज श्री के.एस. मेहरा हुआ करते थे उस समय और वो 31/4 अशोक रोड पर रहा करते थे। इन दोनों ने मिलके षड्यंत्र रचा कि क्रिमिनल कॉम्प्रेसी किस तरीके से कानून के लूप होल्स का फायदा उठाते हुए बी.एस. बस्सी को इसका एक फ्लैट दिया जाए। यहां पे एक शख्स हुआ करते थे जयपाल शर्मा। बताया जाता है कि ये समोसे बेचते हैं, इनके नाम पे बी. एस. बस्सी को फायदा पहुंचाने के लिए एक फ्लैट की मैम्बरशिप थी, क्योंकि वो उस वक्त डी.सी.पी. हुआ करते थे। के.एस. मेहरा जो आर.सी.एस. हुआ करते थे उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी ढंग से सोसाइटी के मैंबरों से मिलके, सोसाइटी के चेयरमैन से मिलके, जिनका नाम जे.सी चौधरी बताया जाता है, आजकल जो आकाश इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो आकाश इंस्टीट्यूट जे.सी. चौधरी जी के हैं, उनकी कनाइवैन्स में इन्होंने पूरी की पूरी सोसाइटी की जनरल बॉडी

को मिसलीड किया, मिसगाईड किया और जे.पी. शर्मा को इस बात पे वहां से बेदखल कर दिया गया कि इन्होंने 28 हजार रुपये की पेमैंट नहीं की। ये मैटर आर.सी.एस. के पास गया। जो आर.के. वर्मा जी थे, के.एस. मेहरा थे और के. एस. मेहरा क्योंकि पहले से ही बस्सी जी के साथ मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि जे.पी. शर्मा की मैम्बरशिप कैंसिल करने के लिए वो मुझसे आके पर्सनली मिलें। उनको पर्सनली एपीयरेन्स का टाइम दिया गया, 27 दिसम्बर, 89 का, ये हमें आर.सी.एस. की फाइलों से पता चला है की कोई भी ऐसा लैटर ना तो अप्रूव हुआ, ना साइन हुआ, ना डिस्पैच हुआ, मतलब जिसको आप बुला रहे हैं, क्या आप उसको सुनेंगे और उसकी मैंबरशिप काटेंगे? आपने उसको खत ही नहीं भेजा। आपने उसका खत जारी ही नहीं किया और बिना उसकी नॉलेज के आपने उसकी मैंबरशिप कैंसिल कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मैंबरशिप की एवज में आप बी.एस. बस्सी को उसका फ्लैट देना चाहते थे। इसके बाद आर.सी.एस. ने जो अपनी फाइल नोटिंग दी, बहुत घुमाया है इन्होंने इस बात को 'और इन्होंने कहा कि क्योंकि जे.पी. शर्मा ने एक लाख तेईस हजार की पेमैंट डीफॉल्ट कर दी है, इसलिए इनकी ये मैंबरशिप हम कैंसिल करते हैं। हालांकि जो सोसाइटी ने जो रूलिंग दी थी, वो ये दी थी कि इन्होंने 28 हजार की पेमैंट नहीं की। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये आपको दिसम्बर, 89 की बात बता रहा हूं, अध्यक्ष जी। जब कि आपको मैं रूल्स की बात अगर बताऊं कि आर.सी.एस. के बहुत well laid down rules हैं, रूल 35(ए) का सब रूल (1) कहता है कि "prior to placing the matter before a Committee, three registered notices and a Public Notice in leading newspapers is

required at least 15 days before proposing the expulsion of Committee meeting." मतलब आप इस तरीके से किसी को भी मैंबरशिप से अगर बेदखल करते हैं, तो आप उसको तीन बार रजिस्टर्ड नोटिस भेजेंगे और बड़े अखबारों में ये नोटिस डालेंगे। अध्यक्ष जी, इसके दो कारण हैं आर.सी.एस. ने ये नोटिस का प्रावधान रखा था। एक तो जिसको आप बेदखल कर रहे हैं, उसको पता चल जाए अखबारों के माध्यम से कि मेरी मैंबरशिप ये सोसाइटी वाले खत्म कर रहे हैं, दूसरा इसका प्रावधान ये था कि उन सारे लोगों को, पूरी दिल्ली के लोगों को पता चल जाए कि इस सोसाइटी के अंदर किसी मैंबर की मैंबरशिप कैंसल हो रही है, तो आप अगर जरूरतमंद हैं तो आप भी उसके एवज में अपनी मैंबरशिप के लिए एप्लाई कर सकते हैं। इस पूरे घोटाले में जो कान्सपेरेंसी हुई, वह ये हुई कि इस तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये आर.सी.एस. की फाइलों में है, और इसका फायदा बी.एस. बस्सी को देने के लिए पूरा का पूरा तामझाम किया गया और मैं आपको बताऊं की रूल 35(ए) का सब रूल (2) कहता है कि आर.सी.एस. की जिम्मेदारी है कि रजिस्ट्रार ऑफ कॉओपरेटिव सोसाइटीज के जो उस वक्त के.एस. मेहरा साहब थे, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको ये इंक्वायरी करनी थी और एंश्योर करना था कि किसी भी मेंबर को उसकी मैंबरशिप कैंसिल करने से पहले फुल एंड फाइनल एपोरचुनिटी दी जाए, इस रूल को भी उस वक्त के आर.सी.एस. ने वायलेट किया सिर्फ इसलिए वायलेट किया कि जी.एस. बस्सी को फायदा पहुंचाया जाए।

अध्यक्ष जी 11 जनवरी, 1990 की एक बहुत ही रोचक बात है इसके अंदर आर.सी.एस. ने ये लेटर सोसाइटी को दिया कि हां, हम जे.पी. शर्मा की मैंबरशिप कैंसिल करते हैं और उससे चार दिन पहले एडवांस में उसकी मैंबरशिप कैंसिल होने से पहले ही बी.एस. बस्सी जो हमारे पुलिस कमीश्नर हैं, वो अप्लाई कर चुके थे कि मुझे उस मैंबर की जगह एनरोल कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी कत्ल की शिनाख्त कर रहे हैं और आपको पता चले कि एक आदमी वो है जिसका कत्ल हुआ है उसके लिए डैथ सर्टिफिकेट पहले ही अप्लाई कर दिया कि चार दिन बाद मरने वाला है इसलिए एम.सी.डी. में कह दिया कि इसका डैथ सर्टिफिकेट दे दीजिए जो पूरी की पूरी कनाइवेन्स, पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्सपिरेंसी थी।

v/;{k egkn; % ये अप्लाई किस डेट पे किया जो आपने डेट दी है।

Jh lkjHk Hkkj}kt % मैं आपको बताऊं 11 जनवरी, 1990 को आर.सी. एस. की तरफ से सोसाइटी को लैटर भेजा गया कि कैंसिल हो गया और इससे चार दिन पहले 7 जनवरी, 1990 को बस्सी साहब ने अपनी इन्रोलमैंट के लिए अप्लाई कर दिया। अध्यक्ष जी मैं इसके बाद और बताऊं आपको कि सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी होती है। उन्होंने बी.एस. बस्सी को जिनका एड्रैस उस वक्त का 31/2 अशोक रोड लिखा गया है। 16 जनवरी 1990 को उनको इंरोल कर लिया। उसी सोसाइटी ने एक रैजूलेशन पास किया उन्होंने बस्सी जी को एक लैटर लिखा कि आप 14 दिन के अंदर–अंदर अपना एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट ये कि आपके पास और कोई प्रोपर्टी नहीं है दिल्ली में और दो लाख तीन हजार

रुपये का डिमांड आप सोसाइटी के नाम पे दीजिए। ये लैटर तीस जनवरी को दिया गया अध्यक्ष जी, 31 जनवरी को ये लैटर बी.एस. बस्सी ने रिसीव कर लिया और ठीक 14 दिन बाद मैं आपको बताऊं बी.एस. बस्सी ने मात्र 10 हजार रुपये का एक चेक सोसाइटी के नाम पे दिया, जबकि सोसाइटी के रेजोल्यूशन में 14 दिन पहले ये कहा गया था साफ–साफ अक्षरों में कि अगर बी.एस. बस्सी दो लाख तीन हजार रुपये नहीं जमा कराते तो रेजोल्यूशन जिस में अंदर हम इनकी इनरोलमैंट की बात कर रहे हैं वो रेजूलेशन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस पूरे के पूरे रेजूलेशन को, उस पूरी की पूरी बात को दर किनार करते हुए सोसाइटी ने बी.एस. बस्सी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं फिर बताना चाहूंगा। उस वक्त बी.एस. बस्सी नॉर्थ दिल्ली के डी.सी.पी. हुआ करते थे और सोसाइटी के अंदर इसी एक्ट के अंदर प्रावधान है कि सोसाइटी को ये रजिस्ट्रार ऑफ कोओपरेटिव सोसाइटीज को लैटर लिख के बताना पड़ता है कि हमने किसी को हटाया, किसी को सदस्य बनाया। 2 जनवरी, 1990 को सोसाइटी ने ये आर.सी.एस. को लिखा कि हम बस्सी को एनरोल कर रहे हैं। अब आप देखिए। यहां पर आर.सी.एस. की मिली भगत आपके सामने आती है। दो जनवरी को उन्होंने लैटर लिखा। 4 जनवरी को आर.सी.एस. को लैटर मिल गया और आर.सी.एस. ने जो छह महीने तक इस पर लैटर कोई कार्रवाई नहीं की, इसके पीछे भी षड्यंत्र है। अध्यक्ष महोदय, सोसाइटी एक्ट में लिखा हुआ है 1986 में रूल 77वें एक सर्कुलर आया था कि अगर दिल्ली कॉओपरेटिव सोसाइटी को या आर.सी.एस. को कोई कम्यूनिकेशन हो और 60 दिन के अंदर आर.सी.एस. उसका जवाब ना दे तो वो जो भी कम्यूनिकेशन होता है या जो भी रैजूलेशन पास किया होता है, उसको आप डीम्ड कन्फमर्ड मान लेंगे मतलब जो रेजोल्यूशन

टेम्पोरोरिली सोसायटी ने लिया उसको आप परमानेंट मान लेंगे। तो आर.सी.एस. के श्री के.एस. मेहरा ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी थी कि एक्ट के अनुसार 60 दिन के अंदर–अंदर उसके बारे में उनसे पूछताछ करे कि क्या बस्सी ने जो अपना एफीडेविट दिया या बस्सी ने जो दो लाख रुपये निर्धारित पैसा था, वो दिया? क्या बस्सी ने बाकी जानकारियां दीं या नहीं दीं मगर आर.सी.एस. इस पूरी की पूरी क्रिमिनल कांस्प्रेसि के तहत इस लैटर पर 6 महीने तक बैठा रहा ये लैटर आर.सी.एस. के ऑफिस में 4 फरवरी, 1990 में रिसीव हो गया था मगर इस लैटर को 27 जुलाई, 1990 को प्रोसैस किया गया। सिर्फ इसलिए ताकि 60 दिन का पीरियड बीत जाए और आर.सी.एस. को ये फायदा हो जाए कि वो जो रजोल्यूशन उन्होंने लिया था, उसको डीमड कन्फर्म मान लिया जाए। इसके बाद मैं एक बाद बात और बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी।

v/;{k egkn; % सौरभ जी थोड़ा शॉर्ट करिए, कन्कलुड करिए।

Jh lkjHk Hkkj}kt % मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। अध्यक्ष जी। आर.सी.एस. ने अगस्त में सोसाइटी से कहा कि आप एफिडेविट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, रिसीट ऑफ पेमेंट, जो आपको बस्सी जी ने दी है, वो आप सबमिट कीजिए। सोसाइटी ने वो सबमिट नहीं करी। उसके बावजूद भी आर.सी.एस. ने उस पर कार्रवाई नहीं की। सोसाइटी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर देर से सोसाइटी का मैंबर बनता है तो आर.सी.एस. के रूल्स में प्रावधान है, रूल 36 कहता है कि

उसको इक्वेलाइजेशन चार्जेज देने पड़ेंगे, 24 परसैंट पर ऐनम के हिसाब से और जो आदमी 15 साल पहले दो लाख रुपये में मैंबर बना था आपने बस्सी साहब को भी दो लाख में मैंबर बना लिया जबकि उस वक्त उस फ्लैट की कीमत लाखों में हुआ करती थी। कई लाख उस फ्लैट की कीमत थी, तो यहां पे भी सोसाइटी ने और आर.सी.एस. ने मिलके बस्सी जी को फायदा पहुंचाया। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे, जिनकी मैंबरशिप उस वक्त के आर.सी.एस. ने अप्रूव नहीं की, ऐसी एक महिला थी मिसेस मंजू बख्शी जिन्होंने बार–बार मैंबरशिप अप्लाई की, उनकी मैंबरशिप को असिस्टैंट रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया उसके बावजूद वहां के आर.सी.एस. ने उनकी मैंबरशिप अप्रूव नहीं की थी। मैं आखिर में दो तीन बातें और बताना चाहता हूं, बस्सी जी ने ये फ्लैट ले लिया उसके बावजूद बस्सी साहब कभी इस फ्लैट में नहीं रहे, हजार स्क्वैयर फीट, इनको भी बहुत जानकारी है इसके बारे में, गुप्ता जी आपको ये जानकारी कैसे है?

Jh lkjHk Hkkj}kt % खैर, गुप्ता जी को, तो गुप्ता जी भी अब हमारी थोड़ी सी मदद करेंगे मुझे लगता है। तो सर मैं ये बात बताना चाहता था कि बस्सी जी के भाई हैं रवि बस्सी जो 1997 से इस फ्लैट में रह रहे हैं और कभी भी इस तरीके के फ्लैट को सबलैट किया जाता है तो सोसाइटी को आपको बताना पड़ता है जो बस्सी जी ने कभी नहीं बताया, जो कि अपने आप में रूल्स का वॉयलेशन है, उसके बावजूद बस्सी जी ने एक और कारनामा किया, एक बार बस्सी जी फिसलना शुरू हुए तो फिसलते ही चले गये। उसके बाद एक और सोसाइटी बनी। सिविल सर्विसिज वैल्फेयर सोसाइटी न्यू देहली। उसके भी

बस्सी जी मैंबर बने जबकि आप किसी भी सोसाइटी के मैंबर तभी बन सकते हैं जब आपके पास दिल्ली में अपने लिए कोई रैजिडैंसल प्लॉट ना हो। दूसरी बात उसके बावजूद उन्होंने इस सिविल सर्विसिज वैल्फेयर सोसाइटी के अंदर मैंबरशिप ली और 500 स्कवैयर मीटर का एक रैजिडैंसल प्लॉट भी हड़पा। इसके बाद जब बस्सी जी का नाम थोड़ा आगे बढ़ने लगा, सन् 2008 में ये रोहिणी में लक्की हाउसिंग सोसाइटी, वे वसुंधरा, गाजियाबाद में। इसके बाद बस्सी साहब ने सन् 2008 में इसका कवरअप ऑपरेशन शुरू किया। उनको लगा कि हो सकता है वो कमिश्नर की पोस्ट पर जा सकते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बन गए हैं तो उन्होंने ये फ्लैट अपने भाई के नाम पर ट्रांस्फर कर दिया और उसमें भी उन्होंने चोरी की। जो फ्लैट उस वक्त करोड़ों रुपये का था, 2008 में मात्र 11 लाख रुपये में उन्होंने वो फ्लैट अपने भाई रवि बस्सी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। स्टैंप ड्यूटी की चोरी की। रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी की। यहां पर भी बस्सी साहब रुके नहीं। उसके बाद रवि बस्सी जो इनके भाई थे, उन्होंने ये फ्लैट के लिए अपनी मैंबरशिप एप्लाई की। उस वक्त तक बस्सी जी के पिताजी गुजर चुके थे। जिनका नाम ए.सी. बस्सी बताया गया है उनके गुजरने की वजह से जो उनकी पैतृक प्रोपर्टी थी, ई.डी./87, टैगोर गार्डन, उसका शेयर उनके और उनके भाई के नाम पर आ चुका था। इस तरीके की कोई भी डीड अभी तक हमारी सामने नहीं आई है जिसमें पता चले कि क्या किया है? इन्होंने इस शेयर का कोई ऐसा सेल डीड, गिफ्ट डीड या लीज डीड रजिस्ट्रार ऑफिस में हमें नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये है कि बस्सी जी और रवि बस्सी इनके भाई के नाम पे उस पैतृक प्रोपर्टी से भी एक शेयर आया होगा और उसके बावजूद इनके भाई भी उस सोसाइटी में झूठा ऐफिडेविट दे के मैंबर बने कि हमारे पास दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसके बाद भी स्पीकर साहब, ये लोग रुके नहीं। जैसे हम बड़े–बड़े परिवारों का नाम सुनते हैं

गांधी परिवार और भी कई परिवार हैं, तो बस्सी परिवार की जो कारस्तानी है, वो यहां पर रुकी नहीं, इनकी जो भाभी हैं, 39 नं. फ्लैट इनके पास था और उसके बाद इन्होंने 38 नं. फ्लैट भी खरीदा। 38 नं. फ्लैट और 39 फ्लैट को सारे के सारे नॉर्मस को ताक पे रखके, एम.सी.डी. के, डी.डी.ए. के, सोसाइटी के सबके बॉयलाज ताक पे रखके खुले आम दादागिरी करके इन्होंने इन दोनों फ्लैटस को स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करके एक फ्लैट बना लिया। सीढ़ी के ऊपर कब्जा कर लिया। छत के ऊपर कब्जा कर लिया। सोसाइटी के लोग आज भी इनसे डरते हैं। क्योंकि बात–बात पे धमकी मिलती है कि जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का। स्पीकर साहब, और मैं आपको बताऊं इसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट नं. 17 ने अपनी विंडो का स्ट्रक्चर चेंज किया था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई डी.डी.ए. द्वारा। उसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट नं. 55 में बैडरूम का डिजाइन चेंज हुआ था, उसके खिलाफ रैजूल्यूशन पास हुआ, सोसाइटी में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसी सोसाइटी के अंदर फ्लैट नं. 62 में उन्होंने टैरस के ऊपर एंक्रोचमैंट कर ली थी सोसाइटी ने बाकायदा जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई, उनके खिलाफ रैजूल्यूशन लाए और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। मगर बस्सी जी का ये काम खुलेआम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस छत को रुकवा सके, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं, स्पीकर साहब।

v/;{k egksn; % काफी समय हो गया है, सौरभ जी कन्क्लूड करें प्लीज। बीस मिनट हो गए हैं आपको, कन्क्लूड करिए।

Jh lkjHk Hkkj}kt % मुझे बताया गया है कि बस्सी जी ने इसमें अपनी

नौकरी और अपने प्रभाव का पूरा फायदा उठाके आर.सी.एस. से एक बहुत जरूरी फाइल भी गायब करा दी है, चोरी करा दी है। मैं अपने मंत्री जी से ये चाहूंगा कि वो हाउस को बताएं कि इस तरीके की चोरी की बात क्या सही है और इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी और बस्सी जी का ये जो पूरे का पूरा स्कैंडल हमारे सामने आया है, उसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? मेरा ये मानना है और हाउस से ये दरख्वास्त है कि इन सब चीजों के हिसाब से बस्सी जी के खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 120बी, 420, 406, 409, 467, 468, 471, 506 और इसके अलावा डी.सी.एस. एक्शन रूल्स के सैक्शन 118 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इनको हथकड़ी पहनाके उसी सोसाइटी में घुमाना चाहिए और इनसे शिनाख्त करानी चाहिए कि कहां वो स्टैंप छुपाई थी, कहां वो पैन छुपाया था, कहां वो कागज छुपाए थे और मैं मीडिया के भी भाईयों से नम्र निवेदन करूंगा कि वे भी इस केस के अंदर पूरी दिलचस्पी लें, धन्यवाद।

......(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % हां अभी देता हूं उसमें।

Jh lathो >k % जब इसकी चर्चा हुई।

v/;{k egkn; % अनिल जी, बाजपेयी जी, एक सेकेण्ड। संजीव झा जी, अनिल जी। झा साहब बोल रहे हैं। दो मिनट रुक जाईये।

Jh lathो >k % जब ये बात बस्सी साहब से मीडिया के द्वारा पूछा

गया। उन्होंने अपना ×××××××[1] खो बैठा है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली सरकार बेईमान है। बेईमानों को हम कब्रिस्तान भेजेंगे। क्या वर्दी पहनकर वहां गुण्डागर्दी करेंगे? क्या वर्दी पहनकर ये धमकी देंगे?

v/;{k egkn; % ××××× ये कार्यवाही से निकाल दीजिए।

Jh l:tho >k % महोदय, नहीं, ये उनका स्टेटमेंट है। उनका स्टेटमेन्ट है। उन्होंने टी.वी. पर बोला है।

v/;{k egkn; % झा साहब, उनका स्टेटमेन्ट बोलिए, वो रिकार्ड होगा।

Jh l:tho >k % मैं बस उनका स्टेटमैंट कोट करना। मेरा केवल कहना इतना है कि क्या वर्दी पहनने के बाद वो गुण्डागर्दी करेंगे? जब खुलेआम सदन के सदस्यों को धमकी देंगे, सरकार को धमकी देंगे? तो आम आदमी का क्या होगा ये सदन पूरी ताकत रखता है कि ऐसे लोगों को अगर वे जिम्मेदारी का निर्वहन न करें तो कठोर से कठोर सजा हो और सदन संज्ञान में ले और ऐसा लोगों को बख्शा नहीं जायेगा।

v/;{k egkn; % धमकी क्या दी है वो?

Jh l:tho >k % उन्होंने धमकी ये दिया है कि दिल्ली सरकार बेईमान है और बेईमानों को हम कब्रिस्तान भेजेंगे। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये क्या सीरियसली धमकी नहीं है? ये धमकी उनके खिलाफ नहीं, मैंने आवाज उठायी है।

---

[1]××××× चिन्हित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

Jh jkt'k xqIrk % ये तो टोटली धमकी है। सीधे–सीधे प्रीविलेज के अन्दर जाना चाहिए कि सीधे धमकी दी है।...(व्यवधान)...अब तक तो उनको बन्द करना चाहिए था। अब क्या शूट आउट करेंगे?

Jh lrho >k % अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यही है कि ये बिल्कुल खुलेआम एक धमकी है कि उनके खिलाफ जो कोई आवाज उठायेगा, उनको वो बख्शेंगे नहीं। जिस तरह की बात उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि सदन को मजबूती से संज्ञान में लेना चाहिए और कठोर से कठोर सजा की बात अभी हमारे सौरभ भाई ने कहा, ये होना चाहिए। उनको बुलाइये, उनसे पूछा जाना चाहिए।

v/;{k egksn; % हां, राजेश जी।

Jh jkt'k xqIrk % अध्यक्ष महोदय, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि इस तरीके की चुनी हुई सरकार जिसके 67 विधायक चुनकर आये हों, उनको कब्रिस्तान भेजने की बात और उसके बाद में मेरा तो ये कहना है कि आप केन्द्र सरकार को भी लिखकर दें। वो खुद उनको बुलाकर पूछे कि भाई, आपको क्या करने के लिए दिल्ली भेजा है? बयानबाजी करनी है? विपक्ष का नेता उनको बना दें। अगर हमारे खिलाफ यही बातें करनी हैं तो विपक्ष का नेता उनको बना दिया जाये कि वो हमें कहां भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे तो मैं प्लीज आपसे चाहता हूं कि उनको यहां बुलायें और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को लिखें कि वे क्या चाह रहे हैं। वो क्या करवाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % एक सेकेण्ड, मैं समय दे रहा हूं आपको। एक सेकेण्ड, अलका जी। ऐसे नहीं। मोहिन्दर जी।

lqJh vydk ykEck % कि बस्सी, बी.एस. बस्सी साहब।...(व्यवधान)...

Jh ekfgUnj xks;y % हां, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो अपना पक्ष रखें इस पर।

v/;{k egkn; % एक बार बैठिए। अलका जी बैठिए प्लीज।

Jh ekfgUnj xks;y % आप रखिये पक्ष।

v/;{k egkn; % अलका जी, दो मिनट बैठिए। प्लीज बैठिए दो मिनट। ...(व्यवधान)...

lqJh vydk ykEck % मुझे लगता है केन्द्र की सरकार बस्सी साहब को सेन्ट्रल इनफारमेशन कमिश्नर बनाये। उससे पहले ये सारी बात जो सौरभ भारद्वाज जी ने रखी है, केन्द्र के पास पहुंच जानी चाहिए। ताकि वो ये न कहें कि हमें मालूम नहीं था।

v/;{k egkn; % बैठिए, बैठिए। महेन्द्र जी बैठिए। बाजपेयी जी। बहुत शॉर्ट में।

Jh vfuy dqekj cktis;h % अध्यक्ष महोदय, मैं सौरभ भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा रखा है, एक महत्वपूर्ण

ये बहुत चिन्ता का विषय है और निन्दनीय भी ये है। जिस तरीके से एक पद का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिए जितनी भी निन्दा की जाये, उतनी कम है ये। अध्यक्ष महोदय, बहुत साल पहले आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि यमुनापार की कई को-आपरेटिव सोसाइटीज थीं। उनके यहां सी.बी.आई. की रेड की गयी और वो रेड इसलिए की गयी थी कि इसी तरीके से जिन लोगों के पास मेम्बरशिप थी, उनकी मेम्बरशिप काट दी गयी और उनकी जगह करप्शन करते हुए दूसरे लोगों को मेम्बर बना दिया गया। आज ये सेम वही मसला है। जब उन केसेज की सी.बी.आई. जांच हो सकती है तो इस केस की सी. बी.आई. जांच क्यों नहीं हो सकती? मैं समझता हूं कि यहां मौजूद सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं और इस सदन के सभी सदस्य एक स्वर, एक मत से कह रहे हैं कि इसकी सी.बी.आई. जांच करायी जाये और जो भी आपराधिक मुकदमा बनता है, उनके खिलाफ बनाया जाये। ये मैं आपसे मांग करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सभी सदस्य इस बात का समर्थन करेंगे। सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

v/;{k egksn; % अनिल जी बैठिए प्लीज। जगदीप जी।

Jh txnhi flag % अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बात कहूंगा। जो दिल्ली के रक्षक हैं, वही आज भक्षक बन गये हैं। जो दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कि इन बेईमानों को सीधा–सीधा पूरी दिल्ली सरकार के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि इन बेईमानों को कब्रिस्तान पहुंचायेंगे। कब्रिस्तान पहुंचायेंगे मतलब फेक एनकाउन्टर करेंगे हमारा? क्या वो, मतलब दिल्ली पुलिस छोड़ के आई.एस.आई.

के एजेन्ट बन गये हैं? क्या वो दिल्ली सरकार के सारे एम.एल.एज. को मारेंगे? सर, ये बहुत गलत बात है और हमारे विपक्ष के नेता है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये जो लकी सोसाइटी है, ये आप ही की विधान सभा में है। इसका संज्ञान लें और आज आप दिखायें कि वाकई आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते आये हैं। तो इस पर आप पूरी कार्रवाई करके अगर सरकार का साथ देंगे तो एक सच्चे ईमानदार नेता कहलायेंगे। इस पर पूरी कार्रवाई कीजिएगा विजेन्द्र गुप्ता जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा।

v/;{k egkn; % श्री विजेन्द्र गुप्ता जी। अभी नहीं, मैं समय दूंगा। पांच मिनट बैठ जाइये।

Jh fotsUnz xqIrk % मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा और फिर मंत्री महोदय जी भी उसमें जरूर अपना वक्तव्य रखें। ये जो पूरा मामला 1989-1990 से यहां शुरू किया गया है और सौरभ ने बताया कि 1979 में सोसाइटी बनी थी। यानी एक डिफाल्टर, जिसने डिफाल्ट किया। उसको लेकर के एक कोआपरेटिव ग्रूप हाउसिंग में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोई कदम 25 साल पहले उठाया और उसमें रजिस्ट्रार को-आपरेटिव ग्रूप ऑफ सोसाइटीज की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। मैं इसमें दो-तीन बातें पहले स्पष्ट करूंगा फिर मैं मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहूंगा। पहला तो ये है कि सारे मामले में मैं बहुत निष्पक्ष रूप से अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर 1998 में वो फ्लैट उन्होंने अपने भाई को दिया। 1998 में एक हजार स्कावयर फीट का फ्लैट है। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मैं बता रहा हूं। एक सेकेण्ड सौरभ जी।

Jh fotUnz xIrk % आप पहले खुद करेक्ट बोलो। जो भी बोलो। मैंने भी लिख रखा है। आप बता दो वो कुछ कह रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

Jh jkt'k _f"k % बी.एस. बस्सी जी ने रोहिणी स्थित सोसाइटी फ्लैट अपने छोटे भाई रवि बस्सी के नाम ग्यारह लाख रुपये की कीमत दिखाते हुए ट्रांसफर कर दिया गया। 2008 में ट्रांसफर किया गया। दिसम्बर को।

v/;{k egkn; % ये अखबार साईन करके मुझे दे दीजिए। अपने हस्ताक्षर करके अखबार दे दीजिए।

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, रोहिणी में एक एम.आई.जी. फ्लैट एक हजार स्कावयर फीट का जिस पर उन्होंने बोलते हुए शुरू में कहा था। वो बड़ी गरीबों की बस्ती है। गरीबों के फ्लैट हैं। कहा था न आपने। हां, अमीरों के फ्लैट हैं।

Jh lkjHk Hkkj}kt % हमने ये कहा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के पीछे जो इन्टेशन थी वो ये थी कि गरीब लोग जो आमतौर पर मकान नहीं खरीद सकते, उनको इस सोसाइटी के बहाने को-आपरेटिव के बहाने फ्लैट दिये जा सकते हैं।

Jh fotUnz xIrk % गरीब लोगों को तो बाद में, इन्होंने अपने स्टेटमेन्ट

में चेन्ज करके कहा कि करोड़ों रुपये का फ्लैट था। बाद में इन्होंने चेन्ज कर कहा कि वो करोड़ों रुपये का फ्लैट था। पहले वो गरीबों का फ्लैट था। दूसरा, एक मिनट, में बीच में नहीं बोला हूं। मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाये।. ..(व्यवधान)...मैं भी अपनी पूरी बात कहना चाहता हूं। सारा पक्ष सामने आना चाहिए। सारी बात सामने आनी चाहिए।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, मैं आपकी बात सुनूंगा बिल्कुल। लेकिन...

Jh fotUnj xIrk % लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।

v/;{k egkn; % आपने कहा वो सुप्रीम कोर्ट में। जो मैं रखूंगा निष्पक्ष रखूंगा। एक सेकेण्ड गहलौत जी। निष्पक्ष रखूंगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब से ग्रूप हाउसिंग सोसाइटी बनी थी। ये उसके पीछे मेन मोटिव था कि जिनको आज तक दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं है और वो प्लाट नहीं खरीद सकते क्योंकि वो इतने धनवान नहीं हैं। उनके लिए फ्लैट सिस्टम बनाया जाए ताकि वो फ्लैट में कम दामों में शिफ्ट हो सकें। इसके पीछे मेन मोटिव है। और यही सौरभ जी ने कहा है सुप्रीम फ्लैट का। गरीबों की कालोनी थी कि अमीरों की, ये विषय नहीं हैं।

Jh fotUnj xIrk % कि ये एक फ्लैट जिसका मेम्बरशिप चेन्ज हुई। अगर उसकी एक ब्राडलाईन मैं कहूं। उसके बाद वो अपने सगे भाई, सगे भाई को वो ट्रांसफर किया गया ग्यारह लाख रुपये में।

v/;{k egksn; % कौन सा ईयर में। कौन से ईयर में? कौन से साल में ट्रांसफर किया गया?

Jh fotUnj xqIrk % 2008 में बता रहे हैं न।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % आप कह रहे हैं कि मैं रिकार्ड लेके आया हूं।

Jh fotUnj xqIrk % ठीक है न। हम तो मना कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % ठीक है न। नहीं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूं।

Jh fotUnj xqIrk % दो जगह उन्होंने गलती की थी। पहला उन्होंने जगह नहीं बतायी थी जो उन्होंने पांच सौ गज की को-ऑपरेटिव, उसके मेम्बर बने। और दूसरा उन्होंने एक हजार गज बताया था। मैंने दोनों करेक्ट कर लिये।

v/;{k egksn; % वो तो करेक्ट कर लिया, देखो। ये गलतियां नहीं हैं।

Jh fotUnj xqIrk % नहीं गलती नहीं, मैंने कहा जहां पर गलती थी, मैंने करेक्ट कर दी। मैंने ये नहीं कह रहा। एक मिनट।

...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % भई, एक बार बोल लेने दीजिए। प्लीज। कमाण्डो जी। कमाण्डो जी बैठ जाइये।

Jh lqjUnj flag % गुप्ता जी, आप बता दीजिए कि इनके साथ हैं कि उनके साथ है? एक भ्रष्टाचारी के साथ हैं या दिल्ली की जनता के साथ हैं?

Jh fotsUnz xqIrk % मैं ईमानदारी के साथ हूं। ना कि जबरदस्ती लोगों को जो भ्रष्टाचारी बनाते हैं, उनके साथ हूं और न भ्रष्टाचारियों के साथ हूं।

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, आप बात रखिये। जल्दी। संक्षेप में प्लीज।

Jh fotsUnz xqIrk % उसके बाद वो हैंग के लिए हुआ। सोसाइटी के मेम्बर बने। पहला तो कानून में ये बता दूं दिल्ली विकास प्राधिकार के। ...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % सोसाइटी के मेम्बर दूसरी के कब बने?

Jh fotsUnz xqIrk % मैं यही कह रहा हूं उसके बाद बने। वो इश्यू इसलिए नहीं है। 1998 में बने।

v/;{k egksn; % 1998 में बने न? बस ठीक है।

Jh fotsUnz xqIrk % देखिए। दूसरा इश्यू ये है आपकी जानकारी के लिए कि जो उत्तर प्रदेश के नियम और कानून हैं वो दिल्ली पर लागू नहीं होते और जो दिल्ली के कानून हैं वो उत्तर प्रदेश पर नहीं लागू होते। जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है, ये उसका कानून है कि अगर जिसके पास दिल्ली में एक सम्पत्ति हो, वो डी.डी.ए. की दूसरी सम्पत्ति नहीं खरीद सकता। तो इसलिए ये जो आरोप यहां लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सम्पत्ति लेना चाहता है तो वो ले सकता है क्योंकि वो डी.डी.ए. के तत्वाधान में नहीं आती। एक बात का स्पष्टीकरण तो ये मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। दूसरा ये है कि जो सोसाइटी ने डिफाल्टर को पनिश

किया और मेम्बरशिप केन्सिल की। उस डिफाल्टर ने अपनी कम्प्लेट भी जरूर दी होगी 25 साल पहले भी। अगर वो डिफाल्टर गलत था, वो डिफाल्टर नहीं था, उसके बारे में मंत्री जी बतायें कि वो कम्प्लेट कब से चल रही है। क्या वो कम्प्लेट 25 साल बाद आयी है या उस कम्पलेट पर पहले कोई डिसीजन हो चुका है। ये मैं मंत्री जी से चाहूंगा। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि जो 2008 में उन्होंने अपने भाई को सम्पत्ति बेची है या दी है सगे भाई को 11 लाख रुपये में। उस पर क्या आर.सी.एस. में कोई आपत्ति थी? या वो काम एक नियम के अनुसार हुआ था। तीसरा मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पर कोई इन्क्वायरी दिल्ली सरकार ने काल की है, तो कब की है? कितने दिनों पहले की है और ये कम्प्लेट आर.सी.एस. के पास कब आयी है? इस कम्प्लेट का पूरा ब्यौरा किस साल का, वो सदन के समक्ष रखा जाये जिससे ये स्पष्ट होगा कि ये फैब्रिकेट किया जा रहा है। ये वास्तविकता में कोई एक कम्प्लेट पूरे मामले में अगेन्स्ट है। मैं अन्त में इतना कहूंगा कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और एक ईमानदार।...(व्यवधान)...पुलिस ऑफिसर। एक मिनट। एक सेकेण्ड।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % प्लीज आप बैठिए।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आप दो मिनट रुको। समाप्त हो गया है उनका। उनको बोलने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। भई झा साहब, बैठिए प्लीज। उनकी बात समाप्त हो रही है। भई ऐसे नहीं।

...(व्यवधान)...

Jh fotUn xIrk % मैं अपनी बात दो लाईन में बोल कर बैठ जाऊंगा।

v/;{k egkn; % उनकी बात समाप्त हो रही है।

Jh fotUn xIrk % मैं अपना मत स्पष्ट कर रहा हूं।

v/;{k egkn; % बीच में टोकाटाकी ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये जरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप बैठ जाइये जरा।

Jh fotUn xIrk % मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। एक मिनट।

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी, आप बैठ जाइये प्लीज। दो मिनट बैठिए।

Jh fotUn xIrk % हमारा ये कहना है कि ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % दो मिनट बैठिए। भाई आपको बोलने का मौका मिलेगा न। महेन्द्र जी, आप बैठिए दो मिनट। महेन्द्र जी। भाई वो क्या कह रहे हैं। वो मीडिया को सुन तो लेने दीजिए। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं।

Jh fotUn xIrk % हां पूरी बात तो सुन लेने दीजिए न। जनता को तय करने देना। मेरी बात भी सुनने देना कि आपकी भी सुनी जा रही है। हमारी बात भी आ जायेगी। उसमें क्या है?

v/;{k egkn; % महेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

Jh fotUnz xIrk % मैं न्याय के साथ हूं। जो अन्याय करेगा किसी के भी खिलाफ मैं बोलूंगा खड़ा होके। ये मेरा दायित्व है। और अन्त में मैं दो लाईनें कहके अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि मंत्री जी ने बिना द्वेषभाव और न्यायप्रिय होने की शपथ ली है। हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि इस सदन में किसी वरिष्ठ अधिकारी के बारे में अभद्र शब्द बोले जा रहे हैं और इस पूरे मामले की पूरी एक कम्प्लीट रिपोर्ट, जिस बात की आपने शपथ ली है, के साथ वर्तमान में आर.सी.एस. में इस मामले में क्या इन्क्वायरी हो रही है और दूसरा हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मंत्री जी बतायें। सरकार इस विषय पर। ...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % महेन्द्र जी ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं-नहीं ये तरीका ठीक नहीं है।

Jh fotUnz xIrk % हम चाहेंगे कि सरकार इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पूरे मामले की वर्तमान परिस्थिति क्या है। क्या चल रहा है। करन्ट स्टेट्स क्या है। इस पूरे मामले और कब से इन्क्वायरी चल रही है। 25 साल में कितनी बार इस मामले पर इन्क्वायरी हुई है। कितनी बार शिकायतें हुई हैं और कितनी बार फैसले हुए हैं और नहीं हुए हैं, तो भी बतायें कोई फ्रेश इन्क्वायरी कन्डक्ट की जा रही है तो वो भी बतायें और उसका स्टेट्स क्या है। हम सब वो जानना चाहते हैं। -..(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % एक सेकेण्ड रुकिये। भई, सरिता जी, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, ऐसे सब बोलेंगे। कैसे चलेगा। मैं किसी को एलाउ नहीं कर रहा हूं। आप

बैठ जाइये प्लीज। मैं नाम लूंगा तब खड़े होंगे। सरिता जी, मैं कह रहा हूं तो मानिए। कम से कम बैठिए। मदन जी। सौरभ जी, नहीं। मैं अभी समय दूंगा आपको। मैं समय दूंगा। एक मिनट रुक जाइये। विजेन्द्र जी, आपने एक बात कही है अभी कि बस्सी जी के एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सदन में। लेकिन जो सदस्यों ने एक बात कही कि कब्रिस्तान भेज दूंगा, ये मैंने भी चैनल पर खुद सुना है। हां।

Jh fot\Un xIrk % हां, ये बोला झूठों को। जो झूठा होगा, वो अपने को मानेगा। किसी का नाम नहीं लिया। किसी को इंगित नहीं किया। उन्होंने तो कहा झूठों को। झूठे कौन हैं? मैं झूठा हूं तो मुझे बुरा लगेगा। अगर आप झूठे हैं तो आपको बुरा लगेगा।

v/;{k egksn; % मेरी बात सुनिए, विजेन्द्र जी। एक सेकेण्ड रुकिये सरिता जी। सरिता जी, बैठ जाइये। प्लीज। झूठों को उसको कैसे अधिकार मिल गया कब्रिस्तान भेजने का। वो कानून के पालक हैं। उस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं आयी। एक वरिष्ठ अधिकारी जो कब्रिस्तान भेज दूंगा। कब्रिस्तान भेज दूंगा। ...(व्यवधान)...

Jh fot\Un xIrk % मैं कह रहा हूं जितने झूठे हैं, उसके खिलाफ एफ. आई.आर. दर्ज करवायें। उन्होंने झूठों को बोला है। दिल्ली के सारे झूठे इकट्ठे करो आप। और उनकी यूनियन बनाओ। ...(व्यवधान)... सारे झूठों की यूनियन बनाके और एक आन्दोलन करो। ...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % कब्रिस्तान भेज दूंगा, कब्रिस्तान भेज दूंगा। मेरी बात सुनिए। आप बैठिए जरा प्लीज। जगदीप जी बैठिए। देखिये, मेरा ये कहना है कि सिम्पली। आपने बोलना शुरू किया। मैं निष्पक्ष बात करूंगा। आपने कहा। बहुत अच्छा लगा हमको। एक वरिष्ठ अधिकारी वो अगर ये बोलता है टी.वी. चैनल पर जिसके जिम्मे कानून पालन करने का जिम्मेदारी है। वो ये भाषा बोले, झूठों को मैं कब्रिस्तान भेज दूंगा। अगर ये भाषा मैंने या किसी आम आदमी ने इस्तेमाल कर ली होती, कब्रिस्तान भेजने का अर्थ क्या है? वो किसी को झूठा नहीं कह सकते। उसकी भावना क्या है। इतना बैलेन्स क्यों बिगड़ गया। इस विषय पर आपने एक शब्द नहीं बोला। शब्द क्यों न पकड़ें। शब्द ही तो पकड़े जाते हैं। ये शब्द ही।

Jh fot;Un xqIrk % इसमें भावना ये है कि जो झूठ बोलेगा।

v/;{k egksn; % मदन जी, बहुत संक्षेप में।

Jh enu yky % अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % भई देखिये, बीच में।

Jh fot;Un xqIrk % मैं जो यहां हो रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। वो 'ए' हो सकता है, 'बी' हो सकता है। ये सरकार बदले की भावना से काम करती है। मैं ये बताना चाहते हैं। 'ए' ऑफिसर है, 'बी' है। ...(व्यवधान)... पार्टी में कल आप विधायक के साथ क्या कर रहे थे? ये तो। -..(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % मदन जी बैठिए। प्लीज, आप बोलिए।

Jh enu yky % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आज जब सारी दुनिया में चर्चा जोरों पर है। फांसी की सजा खत्म कर दी जाये और हम सब जानते हैं कि फांसी की सजा किसे देते हैं। रुक जाइये, रुक जाइये।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % लोकपाल में ले लेंगे। ...(व्यवधान)...भई, विजेन्द्र जी, आप दो मिनट बैठिए। मैं पूरा करवा रहा हूं। मैं पूरा करवा रहा हूं। बस।

Jh enu yky % अध्यक्ष महोदय, फांसी की सजा का प्रावधान केवल हत्या के मुकदमों में होता है। जब हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर अगर ये कहें कि झूठों को कब्रिस्तान भेज दूंगा तो इसका मतलब वो ये कहते हैं झूठा साबित करने का अधिकार भी मेरे पास है और कत्ल करने का अधिकार भी मेरे पास है।

हमारे देश के कॉस्टिट्यूशन का मूल मंत्र है Right to Live Fundamental Rights में Right to Live भी है जहां उसके बारे में लिखा होता है no person shall be deployed Of his fundamental rights except according to the procedure established by the Law अब यहां establish by law कौन है क्या Commissioner साहब लॉ से भी ऊपर होंगे? क्या कॉस्टिट्यूशन ये रिराइट करेंगे? क्या ये कहेंगे कि मुझे अधिकार है डिसाइड करने का कि कौन आदमी को कत्ल होना है और आज के दिन जब कोआपरेटिव सोसाइटी में धांधली की बात हो रही है तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं अब से लगभग एक दशक पहले सैंकड़ों कोआपरेटिव में धांधलियों को जानने के बाद तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेशन

ने सबके खिलाफ सी.बी.आई. की इन्क्वारी कराई थी। अब जब कि हमें आज एक अखबार से पता चलता है कि उस समय के नार्थईस्ट के डी.सी.पी. जो उस समय कस्टोडियन थे उस क्षेत्र के, अगर उस समय वो कानून का उल्लंघन करें और किसी कोआपरेटिव सोसाइटिज में हस्तक्षेप करा के कुछ अनवारेन्टेड, कुछ इल्लीगल फायदा लें और उसके बाद भी कुछ ऐसी और कार्रवाई करें जिससे सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को नुकसान होता हो। मेरी आपके माध्यम से सरकार से केवल एक विनती है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाये और जांच के जो भी तथ्य हों, वो इस सदन के सामने लायें जिससे कि आगे की कार्रवाई आपके आदेश से संभव हो सके। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % ये केवल सौरभ भारद्वाज जी ने विषय रखा था। मैं और किसी को नहीं जन लोकपाल पर चर्चा होनी है, केवल सौरभ जी को मैं दो मिनट का समय दे रहा हूं। उसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

Jh lkjHk Hkkj}kt % अध्यक्ष जी, जब इस तरीके का मुद्दा हाऊस के सामने रखा जाता है तो मुझे कहीं से दिल में ऐसा लगता था कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हुए हैं तो शायद के कुछ कहेंगे कि हां, इसकी जांच करानी चाहिये। ये केन्द्र सरकार के अंदर आता है मगर जिस तरीके से इनको फेक्ट्स पता थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि बी.एस. बस्सी से ब्रीफिंग ले के आये हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन।

v/;{k egksn; % सौरभ जी आप अपनी बात रखिये प्लीज।

Jh lkjHk Hkkj}kt % आखिरी है, आखिरी लाईन।

v/;{k egkn; % सौरभ जी, आपको अपनी बात पर उत्तर देना है। वो रखिये बस।

Jh lkjHk Hkkj}kt % स्पीकर साहब, मैं चाहूंगा कि हाऊस की पूरी की पूरी सेंस ली जाये और सेंस ऑफ दि हाऊस के हिसाब से ये हाऊस एक रेज्योल्यूशन करे कि केन्द्र सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत निलंबित करे ...(व्यवधान)

Jh fotUnj xIrk % अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हो? एक तरफ आरोप लगा रहे हो। मंत्री जी बतायें।

...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % भई, राजेश जी आप बैठ जाइये प्लीज। आप बैठ जाइये प्लीज...(व्यवधान)

Jh fotUnj xIrk % आर.सी.एस. आपके अंडर है आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? आप बताइये।

v/;{k egkn; % माननीय उप मुख्य मंत्री जी।

Jh fotUnj xIrk % मंत्री जी बतायें आर.सी.एस. क्या कर रही है?

v/;{k egkn; % वो उत्तर दे रहे हैं बैठिये।...(व्यवधान)...

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि आज अखबारों में भी छपा हुआ है। मैंने पढ़ा और मेरे संज्ञान

में ये मामला लाया गया था और इसकी फाइलें भी मंगवाई गई थीं। कुछ फाइलें गायब भी मिली हैं। हम इस बारे में भी जांच कर रहे हैं कि फाईल कैसे गायब हो गई और साथ साथ में इस पूरे मामले की भी हमने जांच के लिए कहा हुआ है। इससे ज्यादा अभी मैं सदन के समक्ष अधिक नहीं रखना चाहता। जैसे ही और रिपोर्टस प्राप्त होंगी, मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

v/;{k egksn; % धन्यवाद।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, विषय था जो छोटा सा, एक तीस सैकिण्ड का है आज नौसेना दिवस है और 4 दिसंबर को हरेक साल हम लोग देश में नौसेना दिवस मनाते हैं। मैं समझता हूं सदन उन तमाम नौसैनिकों को, अधिकारियों को पूरी की पूरी नौसेना को बधाई दे क्योंकि उनकी वजह से हम पूरे देश में, हमारी समुद्री सीमाओं में सुरक्षित रहते हैं। आज अगर हम दिल्ली में बैठकर बात कर पा रहे हैं तो इसलिये कि हमारी समुद्री सीमायें उनकी वजह से सुरक्षित हैं तो मैं पूरी नौसेना के तमाम सैनिकों को, तमाम अधिकारियों को आज सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, अगर सदन साथ दे तो।

v/;{k egksn; % धन्यवाद, धन्यवाद।

Jh fotsUnz xqIrk % इन की बात का समर्थन करता हूं।

v/;{k egksn; % बहुत बहुत धन्यवाद, चलिये।

fo/ks;d dk iqjLFkkiu] fopkj ,oa ikj.k

विधेयक का पुरःस्थापन श्री मनीष सिसौदिया जी माननीय उप मुख्य मंत्री

दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23) को सदन में इन्ट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे।

mi e[; e=h % महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23) को सदन में पुरःस्थापन करने की अनुमति प्रदान की जाये।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, व ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

अब उप मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, ये संशोधन जो दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर विधेयक हैं, उसमें डीलर्स को दिल्ली में व्यापारियों की सुविधा के लिये दिल्ली में जो व्यापारी टैक्स देते हैं, उनकी और सुविधा के लिये लाये जा रहे हैं और खास तौर से जो टैक्स चोरी के बड़े मामले हैं, जिनमें अमूमन सजा नहीं होती है या छोटी सजा रहती है, उसके मामले में लाये जा रहे हैं। इसके मूल रूप से दो ही उद्देश्य है और इसमें सबसे बड़ी चीज व्यापारियों की सुविधा के लिये डीलर्स की सुविधा के लिये की जा रही है कि इसके बाद से दिल्ली में डिजिटल

सिग्नेचर भी संभव हो पायेगा तो जो व्यापारी ऑन लाइन टैक्स भरते हैं ऑन लाइन रिटर्न भरते हैं, उनके लिये डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमान करना संभव हो पायेगा, एक तो सबसे बड़ी सुविधा इससे व्यापारियों को ये होगी। दूसरा मतलब एक तरह से पूरा का पूरा अगर कोई व्यापारी पेपरलेस काम करना चाहे और वो व्यापार करके जो हमारा वैट का दफ्तर है, वहां ना आना चाहे तो इन अमेन्डमेन्ट्स के बाद में उसको ई.ओ.एस. डिवाइस सुविधा हो जायेगी। दूसरा एक ई.ओ.एस. डिवाइस आजकल पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं और वो डिवासिस होते हैं जहां सेल हो रही है, वहां लगा दिये जाते हैं और उस पूरी सेल का डेटा उस डिवाइस के जरिये वेट डिपार्टमैन्ट के पास आता रहता है। उसका फायदा ये रहता है कि अभी हमारे यहां टैक्स इकट्ठा करने की जो कोशिशें हैं, वो उन लोगों पर अधिक से अधिक रहती हैं जो टैक्स दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे, जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से दायरे के बाहर रहते हैं। जिस प्रकार भी फर्जीवाड़ा करके अपनी सेल फिक्शीसियस दिखा कर वो लोग टैक्स के दायरे से बाहर बने रहते हैं और जो दे रहे हैं, मैंने देखा कि कोशिशों का शिकंजा उन्हीं के ऊपर ज्यादा कसता रहता है। उनका बढ़ा दो, उनका घटा दो, उन पर और ज्यादा सख्ती कर दो, क्योंकि डेटा ही उनका होता है। इस डिवाइस के जरिये जहां जहां ये डिवाइस लगता रहेगा वहां वहां से रियल टाइम डाटा उपलब्ध होता रहेगा उसके संबंध में एक अमेन्डमैन्ट है और इन सबका फायदा ये होगा कि जो आम आदमी टैक्स देता है, उसको भी पता चलता रहेगा कि आज मैंने कोई परचेज की, हजार रुपये की परचेज की, परिवार के साथ जाकर कोई खाना खाया या कहीं भी गया, मैंने सौ रुपये

टैक्स दिया। हमने देखा है। मैंने अपने टैक्स डिपार्टमैन्ट की कार्य पद्धति का अध्ययन किया तो देखा कि, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि किसी व्यापारी का, किसी संगठन का नाम लेना उचित नहीं है लेकिन कई बड़े नामचीन, कई चेन मल्टीनेशनल कम्पनीज जिनको हम लाते हैं कि बहुत अच्छे से व्यापार करेंगी, उनमें भी हमने देखा है कि लोगों से पैसा ले लेते हैं और उसको ले जाकर उससे बिजनिस करते हैं। आज आपने हजार रुपये की चीज खरीदी और मान लीजिये सौ रुपये का टैक्स दिया तो वो सौ रुपया सरकार के लिये लिया। लेकिन उसको भी ले के बैठ जाते हैं, देते नहीं हैं। तो इससे जनता को लगता है कि हमने तो टैक्स दे दिया। लोगों को लगता है हमने जाकर मार्किट में बर्गर खाया परिवार के साथ, हजार रुपये खर्च किये, सौ रुपये का टैक्स भी दे दिया। लोग खुश होते हैं मतलब भारी पड़ता है लोगों की जेब पर लेकिन लोगों को लगता है चलो देश बन रहा है सरकार का काम है, व्यवस्था का काम है उसमें सौ रुपये का हमारा कन्ट्रीब्यूशन है लेकिन वो पैसा फिर चोरी हो जाता है। वो पैसा दबा के बैठ जाते हैं। तो हम डिवाइसिज के जरिये और यह जो ऑन लाइन प्रक्रियाएं कर रहे हैं, इनके जरिये जनता को भी फैसिलीटिज देंगे आगे आने वाले समय में कि जनता खुद चैक कर सके कि आज मैंने टैक्स दिया और मैं अपने मोबाईल के जरिये, मैं अपने इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिये पता कर सकूं कि जो मैंने टैक्स दिया, वो सही जगह पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इससे टैक्स चोरी का जो लोग टैक्स एमबिट से बाहर हैं, फर्जी लो सेल दिखा दिखा के वो अपने आपको टैक्स एमबिट से बाहर बनाये रखते हैं और जो दे

रहे हैं, सरकार फिर कोशिश करती नहीं है। उनसे और ले लिया जाये और ले लिया जाये तो जो दे रहा है, उससे ज्यादा लेते हैं। जो नहीं दे रहा है, वो बाहर बचा रहता है तो इससे उसमें फर्क पड़ेगा।

दूसरा एक बड़ा इसमें संशोधन और जो मुझे लगता है कहीं से खबर मिली होगी उड़ती हुई खबरों के आधार पर मीडिया ने मिस रिपोर्ट भी किया है, मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि अभी टैक्स चोरी के मामले में जो टैक्स इवेजन होता है, इम्प्रिजनमैन्ट जो होता है, उसमें छह महीने का सजा की प्रावधान है। सरकार इस बिल के माध्यम से इसको बदल के करना चाहती है कि जो साल में एक करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी करे, टर्नओवर नहीं, टैक्स चोरी करेगा, अगर उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो फिर उसको दो साल की सजा होनी चाहिये क्योंकि एक करोड़ की टैक्स चोरी, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की, एक करोड़ का टर्नओवर नहीं एक करोड़ का टर्नओवर काले व्यापारी आपको बहुत मिलेंगे और बहुत सामान्य व्यापारी मिलेंगे लेकिन अगर एक करोड़ की टैक्स चोरी कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको कम से कम फिर दो साल की सजा तो होनी चाहिये। इससे जो बड़े टैक्स चोरी करने के आरोपी लोग हैं, उन पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। मूल रूप से इसमें यही बड़े बदलाव हैं। मैं आपकी अनुमति से दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय कर संशोधन विधेयक) 2015 का विधेयक संख्या (2015 का विधेयक संख्या 23) को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

v/;{k egkn; % अब यह विधेयक विचार के लिये सदन के सामने प्रस्तुत है–

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं व ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

अब सदस्य चर्चा में भाग ले सकते हैं। बग्गा जी।

Jh ,l-d- cXxk % अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उप मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये अमेन्डमेन्ट लाकर, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ यह अमेन्डमैन्ट है और यह ईमानदार व्यापारियों के हित में है। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और दिल्ली का डेवलपमैन्ट भी होगा। इससे व्यापारी को डर नहीं रहेगा कि जो हमने सजा में प्रोविजन दो साल का किया है, उप मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। इलैक्ट्रोनिक के लिए भी ध न्यवाद करता हूं। इससे जो ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, उसके हित में हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूं मैं इस अमेन्डमैन्ट के जरिये से दिल्ली का विकास होगा...(व्यवधान) मैं अपनी गवर्नमैन्ट का मुख्य मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि ये अमेन्डमैन्ट अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

v/;{k egkn; % भई अजय दत्त जी, समय का अभाव है। विषय सबके सामने आ गया। मैंने विजेन्द्र जी से प्रार्थना की थी उन्होंने एसेप्ट किया है। इस पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब उप मुख्यमंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि सदन के समक्ष जब मैंने विषय रखा तो उसमें मूल रूप से मेरा आशय यही था कि इससे व्यापारियों का भी हित है और आज के जमाने में जब हम इलेक्ट्रोनिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारे मसलों पर तो उसमें फायदा होगा और साथ–साथ जो बड़े टैक्स एवेडर्स हैं उनको भी रोकने में सरकार को सख्ती करने में थोड़ी मदद मिलेगी। मैं सदन का आभार करता हूं।

v/;{k egkn; % अब विधेयक पर खण्ड वार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड दो जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें
जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड दो जिसमें धारा 3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 3, जिसमें धारा 29 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, व ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड तीन जिसमें धारा 29 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 4, जिसमें मूल अधिनियम की धारा 50 के बाद नयी धारा 50(क) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, व ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड चार जिसमें मूल अधिनियम की धारा 50 के बाद नयी धारा 50(क) को जोड़ा गया है, विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 5 जिसमें धारा 89 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, व ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड पांच जिसमें धारा 89 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खण्ड 6 जिसमें मूल अधिनियम की धारा 91 के बाद नयी धारा 91(क) को जोड़ा गया है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड छः जिसमें मूल अधिनियम की धारा 91 के बाद नयी धारा 91(क) को जोड़ा गया है। विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड 7 जिसमें धारा 92 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड सात जिसमें मूल अधिनियम की धारा 92 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड 8 धारा 91 के बाद नयी धारा 93 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड आठ जिसमें धारा 91 के बाद नयी धारा 93(क) का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गये।

अब प्रश्न है कि खंड, 1 प्रस्ताव एवं शीर्षक विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें।

जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खंड एक, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक में अंग बन गये।

विधेयक को पारित करना।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी माननीय उपमुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाये।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर तृतीय संशोधन विधेयक 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाये।

v/;{k egksn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं वह ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

विधेयक पास हुआ।

fnYyh tuykdiky fo/k;d ij fopkj ,oa ikj.k

v/;{k egkn; % अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 30 नवंबर 2015 को सदन में पुरःस्थापित दिल्ली जनलोकपाल बिल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16) पर विचार किया जाये।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 पर विचार किया जाये।

v/;{k egkn; % यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वह हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वह ना कहें।

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विधेयक में सरकारी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

mi e[;e=h ¼Jh euh"k fllkfn;k½ % अध्यक्ष महोदय, हमने काफी विचार–विमर्श के बाद लोकपाल बिल तैयार करके सदन के समक्ष रखा था। उसके उपरान्त आदरणीय अन्ना हजारे जी, जो हम सबके बहुत आदरणीय हैं, उन्होंने भी इस बिल को जाना और मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मूल रूप से दो सुझाव उनकी तरफ से आये थे, उनसे बात हुई थी और हम लोग मानते हैं कि 1968 से जिस बिल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और

बिल के रूप में हो रही है, उस बिल का चाहे वो केन्द्र सरकार में कानून बने या देश के अन्य राज्यों में कानून बने, यहां कानून बने। एक सख्त लोकपाल बनाने में आदरणीय अन्ना जी और उसके लिए उसकी डिमांड के लिए देश को जगाने में देश की जाति, धर्म और क्षेत्रवाद सबसे ऊपर उठ कर हर वर्ग, हर आयु के लोगों को इकट्ठा करके लाने में उनका बहुत योगदान रहा। इस देश के बच्चे–बच्चे को जनलोकपाल नाम के कानून से अवगत कराने में उनका बहुत योगदान रहा है। इसलिये उनसे बातचीत करके उनके विचारों का सम्मान करते हुए मैं इस बिल में मुख्य रूप से वे संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मूल रूप से एक है जनलोकपाल की नियुक्ति का। सरकार ने जो प्रस्तुत किया था, उसमें चार सदस्य मैंने बताये थे। नियुक्ति समिति में एक माननीय उच्च न्यायालय के हैड, एक दिल्ली सरकार के हैड, एक विपक्ष के हैड और एक इस सदन के हैड। लेकिन अब इसके साथ–साथ मैं इस समिति में तीन और नाम इसमें जोड़ने के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं। ये हैं ये चारों लोग, जिनके पहले मैंने नाम लिये इन चारों द्वारा आपसी सहमति से नामित एक ऐमिनेन्ट सिटीजन ये पांचवें सदस्य होंगे और इसके साथ–साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा चयनित दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके एक ओर सदस्य होंगे तो और जो दिल्ली जन लोकपाल बिल अधिनियम के तहत नियुक्त जन लोकपाल के अध्यक्ष होंगे, वो इस लोक समिति के सदस्य होंगे। इस तरह से चयन समिति चार सदस्यों से आगे जाकर हम सात सदस्यों की प्रस्तावित कर रहे हैं। साथ–साथ एक और प्रस्ताव आदरणीय अन्ना हजारे जी की तरफ से आया है, जिसका हम सब सम्मान भी करते हैं लोकपाल को हटाने

की जो प्रक्रिया थी, उसमें मौजूदा जो विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत बिल है, उसमें जो जजिज की इम्पीचमैन्ट की प्रक्रिया है, उसको अपनाया गया था लेकिन अब इसमें मैं साफ-साफ संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इम्पीचमैन्ट तक लाने से पहले इस तरह के मामले की जांच माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित हो और उसके रिकमण्डेशन पर फिर इम्पीचमैन्ट किया जाये, इसमें संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी तो छोटे–छोटे एक आध टाईपिंग ऍरर थी, उसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो सदन के समक्ष है। मैं आपकी अनुमति से ये दिल्ली जन लोकपाल विधेयक–2015, (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या–16) जो इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है, उसमें यह संशोधन भी आपके समक्ष रख रहा हूं।

v/;{k egkn; % श्री कपिल मिश्रा जी चर्चा में भाग लेंगे।

i;Vu ,oa ty e=h ¼Jh dfiy feJk½ % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत–बहुत शुक्रिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। इस ऐतिहासिक जन लोकपाल कानून को जिस पर आज दिल्ली की विधानसभा चर्चा कर रही है, उस पर चर्चा शुरू करने का आपने अवसर दिया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। शायद लोकपाल का कानून, जन लोकपाल का कानून लोकतंत्र के इतिहास का अकेला ऐसा कानून है जो इतने बरसों से जनता के बीच में चर्चा का विषय रहा है। गली–गली में लोगों ने जिसके एक–एक क्लॉज के बारे में बात की है। इसके बारे में आन्दोलन हुए हैं, सरकारें और जनता के बीच में वाद-विवाद हुआ है, चर्चा हुई है और इसके बाद यह ऐतिहासिक दिन आया है, जब दिल्ली की विधानसभा इस जनलोकपाल कानून पर चर्चा कर रही है और इसको पास करने जा रही है। मुझे याद आ रहा है 14 फरवरी का

वो दिन जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी 49वां दिन था और जन लोकपाल का यह विधेयक, इस सदन में लाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे याद है वहां पर अरविन्द जी बैठे थे, मनीष भाई बैठे थे, सौरम्भ भाई बैठे थे, सामने हर्षवर्धन जी थे, जगदीश मुखी जी थे, साहब सिंह चौहान थे इधर शोएब इकबाल साहब थे और कांग्रेस के लोग थे और उस दिन इस सदन का क्या माहौल था, पूरा देश देख रहा था। एक चिट्ठी आई थी इस विधानसभा में। सबसे पहले उस चिट्ठी को सबको पढ़कर सुनाया गया कि इस विधेयक को विधानसभा में लाया ही नहीं जा सकता। आज कोई कबूतर चिट्ठी लेकर नहीं आया है। माईक तोड़े जा रहे थे, कोई अदरक और कुछ लोग इस विधानसभा के अन्दर मिर्च तक लेकर आ गये थे। अध्यक्ष की सारी शक्तियां छीन ली गई थीं और छल, प्रपंच, कपट उसका ऐसा कोई जाल नहीं था, जो विधानसभा ने न देखा हो और देश की जनता ने न देखा हो जन लोकपाल को रोकने के लिये। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है और दुनिया साक्षी है कि आज जब जनलोकपाल इस सदन में आ रहा है तो वो 40 लोग 32 भाजपा के और 8 कांग्रेस के, उनमें से एक भी आज इस सदन में नहीं है। उनमें से एक भी सदन के अन्दर नहीं पहुंचा है। दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं :–

कौरवों का श्राद्ध करने के लिये
या कि रोने को चिता के सामने
शेष जपता रह गया कोई नहीं
एक वृद्धा, एक अन्धे के सिवा।

ऐसा ही होता है जब जनता की आवाज को रोकने की कोशिश होती है तो ऐसे ही होता है। मुझे याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब कॉमन वैल्थ घोटाने के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। सड़कों पर निकले हुए थे। आन्दोलन करते थे, मांग करते थे। एक तरफ कॉमन वैल्थ घोटाला हो रहा है। 2जी का घोटाला हो रहा है, कोयले का घोटाला हो रहा है। स्ट्रीट लाईट में घोटाला हो रहा है, बस में घोटाला हो रहा है। बसों की खरीद में घोटाला हो रहा है। मिड डे मील में घोटाला हो रहा है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं बची थी, जहां घोटाला न हो रहा हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुपचाप इसी सदन के अन्दर बैठे रहते थे। एक के बाद एक योजनायें पास होती रहती थीं, उसमें घोटाले की खबरें आती रहती थीं, सी.ए.जी. की रिपोर्ट आती रहती थी लेकिन घोटाले नहीं रुकते थे। और जब लोग सवाल पूछते थे, सड़क पर उतरते थे, बोलते थे कि इन घोटालों की जांच करो, ऐसा कोई कानून लेकर आओ जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। ऐसा कोई कानून लेकर आओ जिससे भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा सके, उनकी जांच की जा सके, उनको जेल में भेजा जा सके और भ्रष्टाचार से जो सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की है, वो सम्पत्ति जनता को वापिस दी जा सके। जब हिन्दुस्तान की जनता यह मांग करती थी तो सत्ता में बैठे लोग चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो निर्णय बना कर बैठ जाते थे कि ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं आने देंगे। ऐसा मन बना कर बैठ जाते थे। चाहे कुछ भी हो जाये ऐसा कानून नहीं आने देंगे। जिसमें कुछ निष्पक्ष जांच एजेन्सी हो। जिसके पास जांच करने की ताकत हो। सबूत इकट्ठा करने की ताकत हो। सजा देने की ताकत हो और जिस

पर किसी का कोई दबाव न हो। ऐसी कोई संस्था इस देश में न बन पाये। इसके लिये ऐसा कोई चक्र नहीं है, जो न रचा गया हो। पिछले 30-40 सालों से इस देश के अन्दर। जब हम लोग मांग करते थे कि कानून लेकर आओ तो सवाल उठाया जाता था। बड़ा मजेदार सवाल उठाया जाता था। कहते थे कि तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? चुन कर आये हो? चुनाव लड़ सकते हो? तुम्हारी औकात है चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़कर आओ विधानसभा में बैठो, संसद में बैठो तब तुम्हारे बस की हो अपनी मर्जी का कानून बना लेना। अनइलैक्टिड अनइलेक्टेबल ये मुद्दा बार–बार उठाया जाता था। न तो तुम चुनाव लड़ कर आये हो, न तुम्हारे बस की है चुनाव लड़ने की। चुनौती दी जाती थी कि चुनकर आओ, तब तुमसे बात करेंगे। तुम हो कौन? सिविल सोसाइटी क्या होती है? कौन सी सिविल सोसाईटी रिप्रजेन्टेटिव। आज कहना चाहता हूं साहब कि हम कौन हैं। हम गरीबों के घरों के आंसुओं की आग हैं। हम गरीबों के घरों के आंसुओं की आग हैं और आंधियों के गांव में जलते हुए चिराग हैं। आम आदमी को चुनौती मत देना। बाकी सब चीज बर्दाश्त कर लेता है आम आदमी। लेकिन गिरेबान पकड़कर कोई चुनौती देता है कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या कर सकते हो? तो वो होता है जो दिल्ली की विधानसभा ने इस बार देखा है। विरोध करने वाले नदारद हैं। और 70 में से 67 लोग वो लोग बैठे हैं जो राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहते थे। मुझे याद है आज भी वो दिन जब अरविन्द जी से एक बार इण्डिया अंगेस्ट करप्शन के टाईम पर मैंने पूछा कि सर चुनाव लड़ेंगे हम लोग? तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि बस, एक अच्छा सा

कानून आ जाये। भ्रष्टाचार खत्म हो जाये। अपने-अपने काम-धन्धे में लगेंगे। हमें क्यों लड़ना है चुनाव। और मुझे वो दिन भी याद है तब अरविन्द जी ने यह बोला कि हम अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू बनायेंगे। न अरविन्द जी का यह जवाब उस दिन समझ में आया था जब उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना, न उस दिन समझ में आया कि चुनाव चिन्ह झाड़ू होगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ गई कि इस देश के भ्रष्टाचारियों से कैसे लड़ना है। वो अगर एक आदमी को मालूम है तो उसका नाम है अरविन्द केजरीवाल। हमने मंत्रियों के घरों को घेरने का निर्णय किया था। एक–एक मंत्री के विपक्ष के नेताओं के सबके घरों में वालेन्टियर जाते थे टोपी पहन कर। हजारों वोलेन्टियर दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए थे। घेराव कर रहे थे मंत्रियों के घरों का। जाकर क्या मांग करते थे कि जन लोकपाल आने दो। ऐसा एक कानून आने दो इस देश में। जो भ्रष्टाचार पर रोक लगा सके। इसके अलावा कोई मांग नहीं थी। लाठियां मिलीं, गालियां मिलीं और चुनौती मिली। सदन के अन्दर आकर दिखाओ, विध ानसभा के अन्दर आ कर दिखाओ और उसके बाद दिल्ली का वो चुनाव, वो ऐतिहासिक चुनाव, तब अरविन्द केजरीवाल जी ने यह कह कर पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी अगर बनी है तो जन लोकपाल आन्दोलन के लिये बनी है। जन लोकपाल को लाने के लिए बनी है और उस चुनौती को स्वीकार करके बनी है कि तुम कहते हो सदन के अन्दर जाये बगैर, विधानसभा के अन्दर जाये बगैर कोई कानून नहीं आ सकता तो हम विधानसभा में जाकर दिखायेंगे। सरकार बना कर दिखायेंगे और तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देंगे कि आम आदमी पार्टी नहीं बना सकता। आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। आम आदमी सरकार

नहीं बना सकता। आम आदमी अपनी मर्जी का कानून नहीं बना सकता। आम आदमी ने पार्टी भी बनाई। आम आदमी ने चुनाव भी लड़ा। आम आदमी जीत कर भी आया और आम आदमी जन लोकपाल को पास भी करके दिखायेगा। जो हमारी सरकार 49 दिन चली थी। मैनोरिटी गवर्नमैन्ट हमने बनाई थी। एजेन्डा निश्चित था कि जन लोकपाल लेकर आयेंगे लेकिन उसके बाद क्या प्रपंच रचा गया? सदन के अन्दर कानून नहीं आने दे रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं और तब शायद वो हुआ इस देश के इतिहास में जो आज तक किसी ने नहीं किया। आज की तारीख में कोई आदमी अगर चपरासी की नौकरी है न, उसको भी नहीं छोड़ सकता। सरकारी चपरासी की नौकरी भी कोई आदमी नहीं छोड़ेगा और अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद को ठोकर मार दी कि जिस कुर्सी पर जनलोकपाल नहीं आ सकता, उस कुर्सी पर नहीं बैठना और जिस दिन कुर्सी से इस्तीफा दिया था। उस दिन यह बोलकर इस्तीफा दिया था कि इसी सदन में वापिस आयेंगे, पूरे बहुमत से आयेंगे और जन लोकपाल के कानून को पास कराके दिखायेंगे। आज हम लोग वो कर रहे हैं। आज उस सपने को सच कर रहे हैं जो हिन्दुस्तान का आम आदमी देखता है। हिन्दुस्तान की जनता देखती है। जो यह सोचती है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई अधिकारी, कोई मंत्री चोरी कर रहा है तो उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए। उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसी कोई सस्था होनी चाहिए जो इस प्रकार का कड़ा कदम उठा सके। जिसके पास सारी ताकत हो। आज हम लोग उस सपने को सच करने जा रहे हैं। उसके बाद वो दिन भी मुझे याद है जब कोई भगौड़ा कहता था, कोई नक्सलवादी कहता था। कोई कहता

था कि इनके बस की सरकार चलाना नहीं है। कोई कहता था कि ये लोग खत्म हो गये हैं और पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था, दिल्ली में कुछ भी हो जाये लेकिन दिल्ली में चुनाव नहीं होना चाहिये। चारों तरफ से ऐसा माहौल बना दिया कि दिल्ली में चुनाव नहीं होने देंगे। एक–एक शब्द जो गाली की तरह हमारी तरफ फेंका गया, एक–एक पत्थर जो हिन्दुस्तान के आम आदमी को चुनौती देते हुए चलाया गया, एक–एक छल, प्रपंच, षड्यंत्र जो किया गया, उसका हिसाब–किताब भी जनता ने दिया है। मुझे याद है वो दिन जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में एक जन सभा के बीच में अरविन्द केजरीवाल को नक्सलवादी और ऐ.के.–49 कहकर मजाक उड़ाया था। मुझे वो दिन याद है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस दिन से भाजपा का पतन होना शुरू हो गया। जिस दिन इस प्रकार भाषा का इस्तेमाल आम आदमी के आन्दोलन से निकली हुई एक पार्टी के लिये हुआ, उसी दिन से उस पूरी व्यवस्था का पतन होना शुरू हो गया। संसद का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है। यह लोक अराजक हैं। ऐसा कौन–सा जुमला नहीं गढ़ा गया हम लोगों को रोकने के लिये, फंसाने के लिये जिसके बारे में शायद कभी इससे पहले सोचा गया हो और दिल्ली के चुनाव में 282 सांसदों को दिल्ली की सड़कों पर उतार दिया गया। एक से एक प्रकार के छल–प्रपंच को इस्तेमाल किया गया, झूठी कहानियां उड़ाई जाने लगीं। पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया गया। केवल एक उद्देश्य था कि किसी भी तरह से ये लोग सदन में न पहुंच पायें। किसी भी तरह से दिल्ली में कोई सरकार न बन पाये।

लेकिन दिल्ली की जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया, 70 में से 67 सीटें हिन्दुस्तान के इतिहास में शायद किसी पार्टी को नहीं आई होंगी। हम लोगों को क्यों यह लोग रोकना चाहते थे? इनको डर क्या था? भाजपा हार जाये और कांग्रेस आ जाये कभी भी किसी को डर नहीं लगता। कांग्रेस हार जाये और भाजपा आ जाये, किसी को डर नहीं लगता। कभी इस प्रकार का हाहाकार नहीं मचाते और यह सदन गवाह है कि इस सदन में 15 साल तक कांग्रेस सरकार चली। चाहे वो कांग्रेस के एम.एल.ए. हों या भाजपा के एम.एल.ए. हों। 70 में से लगभग 50 या 55 एम.एल.ए. ऐसे थे, वही जीत कर आते थे। कांग्रेस के भी वही जीत कर आते थे। एक-दूसरे को हराने की कोई कोशिश नहीं करते थे। क्योंकि सब ठीक-ठाक चल रहा था।

v/;{k egkn; % कपिल, जी थोड़ा शॉर्ट करें। बहुत सदस्यों ने बोलना है।

Jh dfiy feJk % अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट लूंगा। बहुत इमोशनल दिन है, पांच मिनट अभी मुझे लगेंगे इसको कहने के लिये। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज भी कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग भी बैठे हैं जो आन्दोलन में हमारे साथी होते थे, वो विरोध कर रहे हैं बाहर खड़े होकर। उनके लिये कुछ जरूर कहना चाहता हूं; तीन तरह के लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं। जो घोटाले कर चुके हैं और उन्हें डर लग रहा है जन लोकपाल न आ जाये जो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें भी घोटाले करने हैं, उन्हें

भी डर लग रहा है कि जन लोकपाल न आ जाये। और तीसरे वो लोग जो यह चाहते हैं कि किसी भी तरह से अरविन्द केजरीवाल कमजोर हो जाये और जन लोकपाल आये न आये। ये तीन तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं इनके लिये बस इतना ही कहना चाहता हूं कि :

मर रहे दुनिया जहान को तीनों बन्दर बापू के
मर रहे दुनिया जहान को तीनों बन्दर बापू के
और चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बन्दर बापू के
करे रात–दिन टूर हवाई तीनों बन्दर बापू के
बदल–बदल कर चखे मलाई तीनों बन्दर बापू के
दल से ऊपर, दल से नीचे तीनों बन्दर बापू के
और बापू को ही बना रहे हैं तीनों बन्दर बापू के।

ये माहौल पहले तीन थे फिर आपने दो किये अगले दिन मैंने देखा फिर तीन हो गये। ये माहौल और रोकने की जो यह ख्वाईश थी, इसको रोकते हुए आज यह ऐतिहासिक कानून इस सदन के अन्दर आया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं साहब कि ये कानून है, जन लोकपाल का कानून जो हम लेकर आये हैं। हमारे घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जन लोकपाल को लेकर आयेंगे। एक ऐसा कानून लेकर आयेंगे जो भ्रष्टाचार को खत्म करे। जिसके पास पूरी ताकत हो और जो निष्पक्ष तौर पर जांच कर सके और उस कानून को जब हम लाने जा रहे हैं तो हम क्या–क्या लेकर आये हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी

सी चर्चा कर देता हूं। लोकायुक्त का जो कानून है, उसको हटाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोकायुक्त से मनमोहन जी उन्होंने एक जांच की और उन्होंने खुद यह बोला कि लोकायुक्त है वो टूथलेस टाइगर है। कोई ताकत नहीं है। उन्होंने अपनी जांच करके रिकमन्डेशन दी कि दिल्ली के पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया जाये। लेकिन सरकार ने उनकी रिकमन्डेशन नहीं मानी। केवल इतनी ताकत होती थी लोकायुक्त के अंदर। जिस लोकायुक्त के अन्दर इतना शोर मचाया जा रहा था कि लागू किया जाये, लागू किया जाये। ऐसा ही एक कानून भारत की सदन ने भी पास किया हुआ है। दो साल हो गये हैं। जैसा भी था सरकारी लोकपाल लेकिन अब तो मोदी जी की सरकार को भी डेढ़ साल हो गया है। आज तक भारत की संसद में सत्तारूढ़ पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है कि सदन के अन्दर एक ऐसा कानून लेकर आ जायें। लेकिन जो लाने वाले हैं, उनका विरोध करने के लिये बहुत लोग खड़े हैं। उसमें न नुकर निकालने के लिये बहुत लोग खड़े हैं। मनीष जी ने बताया अन्ना हजारे जी ने जो हम लोगों को बोला था, जो सुझाव दिये थे उन सुझावों को भी हम लोगों ने मान लिया है। उनके तहत सेलेक्शन में भी हम लोगों ने चेंज किया है। हटाने की प्रक्रिया में भी हम लोगों ने चेंज किया है और अभी भी यह सदन विचार करेगा। अभी भी कुछ और नये तथ्य आयेंगे तो उनके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं और चुनौती देना चाहता हूं यहां सदन में खड़े होकर क्योंकि अभी यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास जाना है और जो माहौल दिख रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा के लोग इतनी आसानी से इस प्रस्ताव को पास करने देंगे। उनको चुनौती

देना चाहता हूं कि वो गलती मत करना जो कांग्रेसियों ने की थी। वो गलती मत करना। इस आन्दोलन को, इस कानून को भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की इस लड़ाई को रोकने की यह गलती मत करना। सिर्फ इतना समझ लेना कि:

समर शेष है इस स्वराज को सत्य बनाना होगा।
समर शेष है,
इस स्वराज को सत्य बनाना होगा
जिसका है यह न्यास उसे सतपर पहुंचाना होगा।
धारा के मग में अनेक पर्वत जो खड़े हुए हैं
गंगा का पथ रोक इन्द्र के गज जो अड़े हुए हैं,
कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पायेंगे
अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जायेंगे।

सिर्फ इतना कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। ऐतिहासिक कानून है अन्ना जी के द्वारा जो आन्दोलन शुरू किया गया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कसक थी लोगों के मन में, उसकी लड़ाई से, उसकी पीड़ा से निकला हुआ ये बहुत सुन्दर कानून, मजबूत कानून दिल्ली की विधानसभा में आया है विधानसभा इसको पास करे मैं इसका समर्थन करता हूं और इसके बाद केन्द्र सरकार भी इसको न रोके इसकी चेतावनी देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले रहे हैं जो कुछ बोला जा रहा है, कृपया उसका रेपीटीशन ना करें और शोर्ट बोलेंगे तो समय पूरा ज्यादा से ज्यादा सब सदस्यों को मिल सकेगा। श्री गुलाब सिंह जी।

Jh xqykc flag % धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण कानून जिसके लिए संघर्ष सड़कों पे हुआ, आज उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को जो यहां है और जो

नहीं भी हैं, पिछले चार साल में 2011 में जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, तब से लेकर हम चर्चा करते–करते 67 लोग इस चर्चा के कारण यहां पर आ बैठे लेकिन उन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया। इस चर्चा ने हमें आज विधायक बना दिया कि ये लोग जनलोकपाल लेकर आएंगे और आज उस पर चर्चा करे रहे हैं और उस चर्चा में मैं आज का दिन अपनी तरफ से समर्पित करता हूं, अपनी बहन संतोष कोहली को जिसने इस आंदोलन के लिए बहुत डंडे खाए, बहुत पीटा, कई बार वो जेल गई और बहुत अत्याचार उसने सहन किया। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और अगर 1968 से इस पर चर्चा शुरू हुई और 1988 में आकर एक भ्रष्टाचार निवारण कानून हिंदुस्तान की सरकार ने दिया जरूर लेकिन ठीक पांच साल बाद ही एन.एन. वोहरा कमेटी ने अपनी जांच में ये पाया कि ये जो 1988 में ये कानून बना था उससे एक चूहिया भी जेल में नहीं जा सकती। ये उस कमेटी की रिपोर्ट में आया कि किस तरह से भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान के अंदर फैल चुका है और उस कमेटी ने अपने कई सारे विचार भी रखे। 31 अक्टूबर, 2003 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अनान के कन्वेन्शन की प्रस्तावना को हिंदुस्तान की सरकार ने मानते हुए, ये माना कि हां, भ्रष्टाचार की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल है और भ्रष्टाचार सिर्फ सड़कें खराब हो गई, राशन कार्ड टाइम से नहीं मिलता या और सारे सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार, आप इस भ्रष्टाचार से खतरनाक अगर हिंदुस्तान के अंदर एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रूप जो धारण कर रहा है वो धारण कर रहा है, आतंकवाद के रूप में। अगर आतंकवाद को भी भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जाए तो आज हिंदुस्तान की

जो स्थिति है, बहुत भयानक बनी हुई है और आज इस सदन ने एक शुरुआत की है। पर मैंने सुना है, सुना क्या है, ये एक प्रक्रिया है कि सरकार यहां से जनलोकपाल पास करेगी, उसको एलजी साहब के पास भेजेंगे, सेंटर की उसमें अनुमति होगी तो बाहर आज आम जनता में जब से जनजोकपाल बिल की बात पिछले 10–15 दिनों में चली है तो एक आम बात, एक चर्चा का विषय है और ये बात कौन कर रहे हैं जो आम नागरिक हैं, वो तो चाहता है कि ये पास हो। लेकिन कुछ भाजपा, कांग्रेस के साथी जानबूझकर ये अफवाह फैला रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर डी.डी.ए., दिल्ली पुलिस और एम.सी.डी. को इसके अंदर डाल दिया ताकि ये पास ही ना हो। ये जनता के बीच में विषय है और जनता ये मान कर चल रही है, अभी कपिल भाई ने जो बात कही कि आम आदमी को मत ललकारना, वो आम आदमी जिसने वोट यहां के सांसदों को भी दिया था, वो चाहता है कि डी.डी.ए. भी इस जनलोकपाल के अंडर आए, इसके तहत आए। वो आम आदमी जिसने वोट काउंसलर के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, अपने पार्षदों को चुना था, वो चाहता है कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की शक्तियां भी जनलोकपाल को मिलें। वो चाहता है कि दिल्ली पुलिस से जो रोजाना आमना–सामना होना पड़ता है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो से, सेंट्रल गर्वनमेंट ने बनते ही तीन महीने के अंदर वो अधिकार छीन लिया। वो जनलोकपाल के माध्यम से इस तरह की फिर से शक्तियां दिल्ली के जनलोकपाल को मिले ताकि इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई हो सके। वो चाहता है लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको इस कानून से न जाने कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है, वो एक भ्रम की स्थिति फैला रहा है, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, ये जो शख्स है जिसके नेतृत्व में ये 67 लोग यहां

पर बैठे हैं, जिनको मैगसैस एवार्ड घर बैठकर नहीं मिला। ये मैगसैसे एवार्ड इसलिए मिला, जिसने आर.टी.आई. जैसा एक कानून, एक ऐसा हथियार हिंदुस्तान को दिया, हमें उनके इस कानून पर, जो उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, इसको गढ़ा है, जो इसकी संरचना की है और हमारे आदणीय अन्ना हजारे जी ने, जो दो रिकमेंडेशन की बात कही, वो इसमें जोड़कर सरकार ने जो ईमानदारी दिखाई है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। अभी तक चर्चाएं चल रही थीं कि ये चार ही लोग रहेंगे क्या दो तिहाई बहुमत ही इनको, जनलोकपाल अगर भ्रष्ट हो जाए तो उसका दो तिहाई बहुमत ही उसको हटाएगा। जिसके अंदर ये दोनों रिकमेंडेशन आज आ गई है कि चार नहीं अब ये सात सदस्य होंगे और लोकायुक्त, लोकपाल अगर भ्रष्ट हो जाता है तो हाईकोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस होंगे, वो एक जांच करेंगे। जांच के बाद वो विधान सभा में आएगा। दो तिहाई बहुमत लेकिन जांच का उनको इसके अंदर एक अधिकार दिया है, उसके बाद ही ये आपके विधान सभा में आएगा और दो तिहाई लोग इसको पास करके भेजेंगे ताकि उसको हटा सकें।

समस्या ये है कि आज भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका इन सबके ऊपर आज इंसान को भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि कॉमन वैल्थ घोटाले की वजह से, कोल घोटाले की वजह से, व्यापम घोटाले की वजह से, शायद हमारे जो देश के नेता हैं, जिनको कभी लोग पूजते थे, उनके ऊपर से आज हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। आज अगर दिल्ली की जनता, अगर कहीं पर थोड़ा सा विश्वास कर पा रही है, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल के माध्यम से लोग देख रहे हैं कि शायद एक नया सवेरा हिंदुस्तान के लिए शायद उगने वाला है।

v/;{k egkn; : गुलाब जी कंक्लूड करिए, प्लीज गुजाब जी।

Jh xykc flag : इसलिए जिस व्यक्ति के इस लोकपाल कानून को गढ़ने में, इन लोगों को इतनी दिक्कतें आईं उसके ऊपर तरह–तरह की डिबेट टी.वी. पर चल रही है और हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की जनता देख रही है अगर ये जनलोकपाल रुका तो बस इतना ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो जो स्थिति आज दिल्ली विधान सभा में है, कहीं 2019 में देश की संसद में वो स्थिति का सामना आपको ना करना पड़ जाए इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस जनलोकपाल में कोई भी बाधा ना डालें और इसको पास करके दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का एक अच्छा कानून आप दें, एक हथियार आप दें वरना ये वो इंसान है एक कहावत के माध्यम से जो हमारे आंदोलन के समय गली–गली में, मौहल्ले–मौहल्ले में हमने कही थी कि–

"तेरी छत, तेरी दीवार भी हिला सकता है,
जिद पर आए तो पर्वत भी हिला सकता है,
ऐ सियासत कभी सोचा भी ना होगा,
एक आम आदमी तेरी हुकूमत भी हिला सकता है।"

कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति ये पैदा हो जाए? इस कानून के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक हमने देखा 1988 में जो कानून बना, उस कानून की वजह से कितने लोगों को जेल हुई और कैसी जेल हुई। मैं कहना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अलग–अलग राज्यों के, 17 साल में फैसला आता है, पांच साल की सजा होती है, पांच दिन जेल में रहते हैं, पांच लाख रुपये देकर छूट जाते हैं। ये हालत थी उस कानून की। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया अगर कोई बात है, इस कानून के अंदर तो सजा का जो फैसला सुनाने का जो,....

v/;{k egkn; : कंकलूड करिए, प्लीज।

Jh xqykc flag : जो जांच करने का जो मैक्सिमम समय है, वो एक साल का समय है। पहले छः महीने अगर किसी कारणवश जांच नहीं पूरी हो पाती है तो मैक्सिमम छः महीने और देकर एक साल के अंदर एक बहुत बड़ी इसके अंदर जो समय सीमा जो तय की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें स्टैप लिया गया है। दूसरा....

v/;{k egkn; % गुलाब जी कंकलूड करिए, 15 मिनट हो गए पूरे।

Jh xqykc flag : सर, मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

v/;{k egkn; : 20 माननीय सदस्यों ने बोलना है, हां, 23 हो गए हैं।

Jh xqykc flag : इसी के लिए तो लड़े थे, इसी पर चर्चा पर हो रही है। इसके लिए तो बेशक सदन एक दिन और रख लो।

v/;{k egkn; : नहीं, प्लीज।

Jh xqykc flag : चलिए जी, मैं तो कंकलूड कर ही देता हूं लेकिन मुझे पता है अब चर्चा ये आगे बढ़ेगी और विपक्ष के साथी को अंत में बोलने का मौका आएगा कि भई कुछ खामियां, वो निकालेंगे....

v/;{k egkn; : आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे बिंदु उठाते हैं, लेकिन आज सदन....

Jh xqykc flag : अध्यक्ष जी कन्क्लूड कर रहा हूं। तो मेरा ये मानना है और पूरा समर्थन है और मैं बधाई देता हूं सरकार को और विपक्ष के साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद खास तौर से विजेन्द्र गुप्ता जी का, रियली के पीछे 3–4 दिन से जो उनके आचरण में जो एक अलग सा बदलाव आया है, ये कहां से आया है और ये कैसे आया है अन्यथा हालत ये हो गई थी कि सदन में, विपक्ष की तो हालत ये हो गई थी कि एक बार एक ऐसा व्यक्ति होता जिसको हर एक के घर में खाना खाने जाए उसको....

v/;{k egkn; : गुलाब जी, ये तो....

Jh xqykc flag : एक मिनट, 60 सैकेंड गिन लो आप। उसको खाना खाने जाए राज्य में। उसको कहीं भी एक राज्य था उसके अंदर कोई भी उसको खाना खिलाए, उसको कमी निकालनी ही निकालनी। खाने में निकालनी और खिलाने वाले में निकालनी। उस राजा ने देखा यार ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को ऐसा खाना खिलाया जाये कि ये खाने में कमी निकाल ही ना सके, मेरे

घर में कमी ना निकाल सके, किसी चीज में कमी ना निकाल सके। राजा ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया और उसको बुला लिया घर पर आ जा भई। लोग उसको मूर्ख कहते थे, यार ये मूर्ख आदमी है सबके खाने में कमी निकालता है। राजा ने बुला लिया, बुला के अच्छा खाना खिलाया, कहीं पर भी कमी नहीं दिखी खाना खाने वाले को, अब वो सोच रहा है कि यार! कमी कैसे निकालूं और किसमें निकालूं। लास्ट में जब चला तो राजा ने पूछा हां जी, खाना कैसा लगा, बोला जी खाना तो बहुत बढ़िया था लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख आदमी नहीं देखा जो आपने मेरे जैसे पागल इंसान को बुला के खाना खिला दिया। तो भाई साहब विपक्ष की हालत ये हो गई है कि उनको कमी निकालनी है किसी तरह से भी। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत बधाई, पूरी सरकार को, सारे साथियों को कि जिस चीज के लिए हम लड़े थे, आज वो कानून पास हुआ, उसके लिए सभी आपको बहुत–बहुत बधाई।

v/;{k egkn; : श्रीमती बंदना कुमारी जी।

Jherh cnuk dekjh : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, जो आपने आज बोलने का मौका दिया। क्योंकि ये हम सब की जन–भावनाओं से जुड़ा हुआ, ये जनलोकपाल बिल है और इस जनलोकपाल बिल को लाने में बहुत ही जद्दोजहद दिल्ली की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है, करी थी, अभी भी कर रही है तो मैं इस सदन के माध्यम से बस यही एक मैसेज पूरे देश में जाएं जो सदन में उन्होंने चुन के दिया था, हम सबको सिर्फ जनलोकपाल बिल

के लिए और जनलोकपाल आंदोलन सड़कों से निकला हुआ, जंतर–मंतर और रामलीला मैदान में शायद ही देश का कोई ऐसा आदमी होगा जो इस आंदोलन में भाग नहीं लिया होगा। चाहे वो गांव के साथी हों, या शहर के साथी हों, अर्बन एरिया हों, स्लम हों, गली हो किसी भी एरिया के, सभी लोग इवन कि स्कूल के बच्चे भी, जब उनकी छुट्टियां होती थी तो वो आंदोलन में आते थे और तीन दिन से मैं देख रही हूं जो यहां स्कूल के बच्चे इस आंदोलन पर, इस जनलोकपाल बिल पर चर्चा के लिए आ रहे हैं, आज वो किसी कारणवश नहीं आए। वो रोज वेट करते थे कि आज जनलोकपाल पे चर्चा होगी और पूरे देश से एक कोने–कोने से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं जब जनलोकपाल बिल पर चर्चा होगी तो हमारी सीट बुक रखना, हमारी जगह बुक रखना। शायद लोगों के मन में है जो जनलोकपाल बिल पर कैसे चर्चा होगी और उन लोगों ने, उनकी जन भावनाओं से चुनी हुई ये सरकार, ये सदन आज इस काबिल है कि इस जनलोकपाल को ये सदन पास कर सकता है। जब हमारी 28 सीटें थीं, नई नवेली हमारी सरकार मात्र 49 दिन में सरकार ने अपनी कुर्बानी दी और बहुत सारी ये यातनाएं उस 49 दिन में सहनी पड़ीं। आज मुझे एक चीज से काफी दर्द होता है जिसको कपिल भाई ने भी उठाया और मेरा भी दिल करता है कि इस बात को उठाएं। जब अरविंद केजरीवाल जी को उस समय खांसी आ रही थी तो विपक्ष के साथियों ने अदरक और मिर्ची फेंकी थी और माईक तोड़ा गया था, सदन पटल पर भी उसको रखने की इजाजत तक नहीं दी गई थी, इस जनलोकपाल बिल को। तो मुझे लगता है कि शायद उसी का नतीजा था ये 67 सीट और मैं उन सभी देशवासियों

को, पूरी दिल्लीसासियों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज आपने जो ताकत दी, जिसकी वजह से हम सब सदन में बैठे हुए हैं। साथियों ये जनलोकपाल बिल के जो नायक, महानायक उनको कहे जो अन्ना हजारे जी, जिनके सान्निध्य में ये आंदोलन चला और हम सबने मिलकर उनके इस सान्निध्य में जनलोकपाल बिल को पहली बार समझा और ये भ्रष्टाचार से पीड़ित पूरा देश जब कॉमन वैल्थ घाटाले की बात दिल्ली में, उसी समय काफी तेजी के साथ आ रही थी। सभी लोग भ्रष्टाचार से तंग थे और जनलोकपाल का इस तरह से आंदोलन हुआ तो मैं देखती थी जब हम लोग आंदोलन में बैठते थे तो सामने जो आफिस से साथी आते थे, सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी अधिकारी थे वो भी आकर इस आंदोलन में अपना छुपकर, दूर खेड़े होते थे, हम सरकारी अधिकारी हैं, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन मेरा भी दिल करता है कि हम उस आंदोलन में बैठें। उन सभी की भावनाओं को देखते हुए, ये सदन में इस जनलोकपाल बिल को रखा गया है और मैं अपनी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को पूरी अच्छी तरह से जांच परखकर इस सदन में रखा गया है। अन्ना जी के दो–तीन सुझाव आए थे, और उसका भी, वो सुझाव शायद मेरा पर्सनल भी था और उसको भी माना गया। ये सदन उसको भी आज संशोधन करके आज सदन के अंदर रख दिया गया है तो मैं इस पूरे सदन के माध्यम से, पूरे देशवासियों और जो जहां–जहां ये बिल की कापी जाएगी, जो–जो इसके जिम्मेदार साथी हैं, चाहे एलजी साहब हो या केंद्र सरकार हो या राष्ट्रपति हो क्योंकि बहुत मुश्किल में, बहुत सारी जनभावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा, ये बिल आज इस विधान सभा

से पास होकर निकलेगा तो जो भी जिम्मेदार साथी हैं क्योंकि सवा सौ करोड़ जनता हैं और हम सब चुने हुए ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ हजार लोग होंगे लेकिन उन भावनाओं की कद्र करते हुए इस बिल को जरूर पास करें। अपना पूरा समर्थन दें, अपनी पूरी ताकत दें इस बिल को लाने में ताकि हम सबकी जो भावनाएं हैं, हम पूरे देशवासी जो चाहते हैं, वो हम सब कर सकें।

अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस मैं इतनी ही बात रखना चाहती थी और आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने बोलने का मौका दिया, अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूं जो इस तरह का बिल सदन के सामने रखा और ये सदन इस बिल को पूरा समर्थन करता है।

v/;{k egksn; : श्री जनरैल सिंह जी (राजौरी गार्डन)

Jh tjuSy flag (राजौरी गार्डन) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। ये ऐतिहासिक मौका है और थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आपकी छूट मुझे जरूर मिल जाए। मुझे याद आ रहे हैं मैं फिर कहूंगा गुरू नानक साहब ने एक बात कही थी, उस समय न्याय करते थे काजी, उन्होंने कहा गुरुवाणी में "काजी होए रिश्वती, बड़ी लेके हक गवाएं," ये भ्रष्टाचारी हो गए हैं, रिश्वत लेकर हक गंवा देते हैं :–

"हक पराया नानका उस सुअर, उस गाय,
गुरपीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए।"

किसी का हक पराया नहीं खाना अगर किसी का कोई हक पराया खाता है तो वो मुर्दा खाने के बराबर है और मुझे बड़ी खुशी है कि उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आज इस जनलोकपाल बिल के समर्थन में मैं यहां पर खड़ा हूं। अंग्रेजी का राज आया और मुझे बड़ा, मैं शुरू करना चाहता हूं गांधी जी के जो निजी सचिव रहे वी. कल्याणम जी उनका अभी एक इंटरव्यू आया द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, उन वी. कल्याणम जी ने कहा कि अंग्रेजों के वक्त भ्रष्टाचार कम था, आजाद भारत में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इतने दुख की बात है, 1943 से लेकर 1948 तक उनके निजी सचिव जो रहे, वो ये बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा इस भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उस कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई को लड़ा स्वतंत्रता सेनानियों ने लेकिन आजादी की जंग के बाद जब सत्ता आई तो भ्रष्टाचार शुरू हो गया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। उस समय टी. कृष्णमाचारी जो वित्त मंत्री थे, वो भी भ्रष्ट थे। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी भ्रष्ट थे। जो प्रताप सिंह कैरो थे वो भी भ्रष्ट थे लेकिन नेहरू उनका साथ दिया करते थे और 1956 में भ्रष्टाचार का हिंदुस्तान के अंदर पहला कांड हुआ जिसे मुंदड़ा कांड कहा जाता है। उस मुंदड़ा कांड के अंदर नेहरू जी ने हरिदास मुंदड़ा की कंपनियों को, छः कंपनियों को जो आज एल.आई.सी. है, निवेश करने का मौका दे दिया और वो एल.आई.सी. का सारा पैसा डूब गया। वो मुंदड़ा कांड जिसकी वजह से नेहरू जी के वक्त पहले वित्त मंत्री कृष्णमाचारी जी को हटाना पड़ा लेकिन हिंदुस्तान सुधर नहीं सका। सी.बी.आई. बनाई, सी.वी.सी. बनाई। हमने और एंटी करप्शन ब्यूरो

बनाया लेकिन कोई भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सका। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ती रही, बढ़ती रही और उसके बाद कैसे–कैसे कोल स्कैम हुआ, कभी यहां पर आपका ये कोमन वैल्थ गेम्स का स्कैम हुआ। बढ़ते गए लेकिन भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, विल पावर ना तो कांग्रेस दिखा सकी, ना भाजपा दिखा सकी। वो दिखाई तो एक आम आदमी ने दिखाई, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे और आज मैं फिर कह देता हूं राजनीतिक, मैं पोलीटीकल साइंस का स्टुडेंट रहा हूं अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो सरकार बहुत बड़ा जोखिम लेने जा रही है। बहुत बड़ा जोखिम लेने जा रही है और मेरे ख्याल से विपक्ष में बैठे हुए लोग कहीं न कहीं सोच रहे हैं, ये तो खुद फंसेंगे, बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने अभी तक लोकपाल नहीं बिठाया, डेढ़ साल हो गए हैं, डेढ़ साल हो गए हैं। सी.वी.सी. , चीफ विजलेंस कमीश्नर एक साल तक नहीं बिठाया। चीफ इंफोरमेंशन आफीसर एक साल तक नहीं बिठाया। क्या डर था मोदी जी को? जो चीफ विजलेंस कमीश्नर बिठाये है, जिनका नाम है के.वी. चौधरी, उन के.वी. चौधरी के खिलाफ खुद रामजेठ मलानी जो भा.ज.पा. के रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये स्टॉक गुरु स्कैम के अंदर इनके ऊपर आरोप लगे थे। ऐसा व्यक्ति चीफ विजलेंस कमिश्नर नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया। उनके खिलाफ आपके राडिया टेप जो आई थी, नीरा राडिया टेप्स उस मामले में उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब जाने हमारे जो मित्र जनलोकपाल बिल का विरोध कर रहे हैं, प्रशांत भूषण जी और लोग उन्होंने उस समय कहा था कि

ये राडिया टेप्स के अंदर इस व्यक्ति ने जो चीफ विजलेंस कमिश्नर है, कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन वो इतना विरोध तब नहीं किया जब चीफ विजलेस कमिश्नर थे। लेकिन आज जनलोकपाल का विरोध किया जा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है। अब बात इस पर आनी चाहिए कि उस जन लोकपाल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नियुक्त कैसे होगा? उसकी नियुक्ति कैसे होगी? वो इन्डिपेन्डेन्ट होगा तो कैसे होगा? तो आप ये जान लीजिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। सी.बी.आई. के जब डायरेक्टर को चुना जाता है तो प्रधानमंत्री चेयरपर्सन होते हैं। होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजीशन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे खुद या जिसे चाहे ले सकते हैं।

mik/;{k egkn;k ¼Jherh cnuk dekjh½ *पीठासीन हुईं*

इससे साबित होता है कि प्रधान मंत्री चेयरपर्सन वहां पर है और एम.ओ. पी. वहां पर हैं। लेकिन मोदी जी को जाने क्या डर था, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशिन बनने नहीं दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनी कांग्रेस। कारण सिर्फ ये नहीं था कि उसके पास उतने नहीं हैं, क्योंकि चाहे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाना हो, चाहे सी.बी.आई. का डायरेक्टर बनाना हो, चाहे और कई लोग हैं, वहां लीडर ऑफ अपोजिशन को लिया जाता है। यहां तक कि 25 नवम्बर, 2014 को मोदी सरकार ने एक अमेन्डमेंट डाला कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उस कोरम में नहीं है, सेलेक्ट कमेटी में नहीं है, तब भी उसका चुनाव किया जा सकता है। इससे पता लगता है....

v/;{k egksn;k : जरनैल जी अभी और भी साथियों को बोलना है।

Jh tjuy flag (रा. गार्डन) : अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है मैम। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे अरविन्द केजरीवाल हैं जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि नियुक्ति होगी तो उसमें मुख्य मंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसके अध्यक्ष बनेंगे और विधान सभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी होंगे। चीफ जस्टिस, स्पीकर साहब होंगे। जब यह भी बात नहीं रुकी, कहा कि इसके और आगे भी कुछ लोग होने चाहिए तो सात लोगों की कमेटी बनाने का संशोधन उन्होंने दे दिया। मैं फिर कह देता हूं कोई लीडर आज के हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं होगा जो अपने हाथ काटकर खुद दे दे। ये वही व्यक्ति कर सकता है, जिसको मालूम है कि मैं ईमानदार हूं और मेरे ऊपर कभी कोई ऐसा सवाल खड़ा नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैं ईमानदार हूं। वही व्यक्ति संशय करता है। प्रधान मंत्री लोकपाल नहीं ला पाए। बाकी हम आज जिस बिल को रिपील करने जा रहे हैं वो लोकायुक्त का बिल है। जो 1996 का है। लेकिन उस लोकायुक्त बिल, उसमें भी किसी की एप्वाइन्टमेंट करनी है तो आपको चीफ मिनिस्टर सिर्फ सलाह लेगा, बाइडिंग नहीं है। यहां तो हाथ काट कर दे दिये कि आप कीजिए, जैसे करना है। अब मैं बात जरूर जानना चाहता हूं।

v/;{k egksn;k : जरनैल जी।

Jh tjuy flag ¼रा.गा.½ % अब मैं बात जरूर जानना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर एप्वाइंटमैंट को लेकर एक सेक्शन 8 और सेक्शन 28 में कुछ बातें हैं जिनपर क्लेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। इसमें एक तो ये है कि रिलेटिंग टु व्हिच एनी इन्क्वायरी इज आलरेडी पेंडिंग विद द लोकपाल कांस्टीट्यूट अंडर द लोकपाल एण्ड लोकायुक्त कि अगर लोकपाल उसकी जांच कर रहे हैं तो वो मैटर जो हमारा लोकपाल है, वह उसकी जांच नहीं करेगा। लेकिन सेक्शन–28 में फिर कहा जाता है।

v/;{k egkn;k : जरनैल जी बस। बहुत सारे साथियों को बोलना है, समय कम है।

Jh tjuy flag ¼रा.गा.½ : मैडम अगर हम तीन चार सवाल नहीं खड़े करेंगे। अगर इस बिल के अंदर सवाल है, अगर इस बिल के अंदर जो क्वैश्चन हमारे हैं। जो हमारे भी संशय है अगर हम नहीं लाएंगे। अब यहां कहा जाता कि ध्यान रखिए Jan Lokpal enquire into allegation against any person inspect of whom investigation of enquiry into the very same allegation is subsequently initiated by the Lokpal constitute under यानि की अगर वो भी जांच कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं और आठवां सेक्शन कहता है कि हम उस मामले में इन्क्वायरी नहीं करेंगे, तो ये एक संशय खड़ा हो जाता है। इसको दूर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारे कानून में कही गई है कि अगर कोई अधिकारी प्रोसीजरल लेप्स की वजह से या गुडफेथ

में कोई काम करता है तो उसके खिलाफ इन्क्वायरी नहीं होगी। मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि इसका डिसिजन कौन लेगा। तीसरी बात, इसमें हम संशोधन लेकर आ रहे हैं कि हमें अगर रिमूवल करना है, पहले था कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस उस जन लोकपाल को रिमूव कर सकती है लेकिन अब हमने कर दिया है कि हाई कोर्ट करेगा और फिर 2/3 मेजोरिटी उनको हटाएगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अगर हाई कोर्ट की इन्क्वायरी चार साल चली तो क्या वो जन लोकपाल लगातार कान्टीन्यू करेगा। ये हमको देखना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट हमको देखना पड़ेगा कि तब तक क्या वो जन लोकपाल कान्टीन्यू करता रहेगा। अगर एक सरकार ढाई साल में गिर जाती है तो क्या पांच साल के लिए चुना हुआ हमारा लोकपाल कान्टीन्यू करेगा। कई सवाल हैं जिन्हें हमें लाने की जरूरत है। मैं एक और बात बता देना चाहता था कि इनकी हमें जांच करवानी पड़ेगी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक जो बहुत बड़ी खास बात हुई है इसमें। अब पहले जो लोकायुक्त थे, उनकी जांच वो सिर्फ एक जांच करेंगे। जांच करने के बाद कम्पीटेन्ट अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट दे देंगे। बस दैट्स ऑल। वो कम्पीटेन्ट अथॉरिटी उस पर अगर तीन महीने के अंदर कार्रवाई नहीं करती और लोकायुक्त उससे संतुष्ट नहीं है तो वे एक और स्पेशल रिपोर्ट बनाकर एजली साहब को देंगे दैट्स ऑल इतना ही था। लेकिन इस सरकार ने कहा कि जन लोकपाल खुद अपनी इन्डिपेन्डेन्ट विंग बना सकता है। जन लोकपाल खुद अपने ऑफीसर तय कर सकता है और 6 महीने से लेकर एक साल के अंदर उसकी जांच पूरी करेगा। न केवल जांच को पूरी करेगा प्रोसिक्यूशन का भी हक दे दिया।

एक 6 महीने के अंदर करेगा। ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर उसकी जांच करेगा। और स्पेशल कोर्ट बना दिया जायेगा। इसको पंगु नहीं बनाया गया। क्योंकि हमारी मंशा है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो फिर इस सरकार का आने का कोई मतलब नहीं है। सरकार उन लाखों करोड़ों लोगों की मंशाओं का, आशाओं का एक ऐसा दीपक है, जो जलता रहना चाहिए। मैं ये बात जरूर करना चाहता था। मैं दो मिनट से ज्यादा लेने वाला नहीं मैडम। इसको समाप्त कर दूंगा। मेरे भी कुछ डाउट्स हैं मैं जरूर कहना चाहता हूं हालांकि हम जन लोकपाल बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर मैं कह दूं पालिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते दो पॉवर सेंटर खड़े होंगे। एक चेतावनी जरूर है। कभी लोकतंत्र के अंदर दो पॉवर सेन्टर नहीं होने चाहिए। हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी देखा है। उनके जो चेयरमैन थे 1984 में श्री रंगनाथ मिश्रा। उन्होंने रिपोर्ट दी कि राजीव गांधी और बाकियों ने कुछ नहीं किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बना दिए गए। बाद में राज्य सभा के मैम्बर बना दिये गये। सी.बी.आई. के डॉयरेक्टर क्या करते रहे हैं वो कभी किसी सरकार का तोता बन गए, कभी वो किसी सरकार का तोता बन गए। हम अपने हाथ काट कर दे रहे हैं। हमारे इस कानून में है कि लोकपाल हटने के बाद किसी कम्पनी में काम नहीं करेगा। वो इस सरकारी कम्पनी में काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे कानून में ये नहीं है कि वो जन लोकपाल हटने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाईन नहीं करेगा। इसको डालना पड़ेगा। हमने इसमें सिर्फ ये लिख दिया कि वो नौकरी नहीं करेगा। यहां नहीं करेगा। वहां नहीं करेगा। क्योंकि

हमने देखा है। ऐसा होता है। हमने देखा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जाकर राज्यसभा में बैठ जाते हैं। हमने देखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल साहब जाकर पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं तो क्या भरोसा ये चेतावनी है। लोकतंत्र का यह मंदिर है। इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दबाव में आकर हम कोई फैसले न करें। लोकतंत्र मैं फिर कह देता हूं, अगर कोई मामला आ जाता है गवर्नेंस पर असर पड़ता है। किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जरा सा हो गया, भई 6 महीने में मामला आ गया, साढ़े चार तक उसको शासन करना है तो उसके ऊपर एक सवाल खड़ा रहता है। ये गवर्नेंस पर आता है। एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी जन लोकपाल बिल के आने के बाद कहीं ऐसा न हो जो हमारे अधिकारी हैं, डिसिजन पेंडिंग होने लगें। डिसीजन ही न लें। ये बहुत बड़ा एक खतरा है। उनको लगेगा किसी फाइल पर मैंने साइन किए तो मैं जन लोकपाल में फंस गया। मैंने इस फाईल पर साईन किए तो मैं जन लोकपाल में फंस गया। तो ऐसा न हो कहीं विकास न रुक जाए। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उनको एक विश्वास जताना पड़ेगा कि नहीं, आपके ऊपर आप सही कर रहे हैं कोई प्रोसीजरल लैप्स है या आपने गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया लेकिन आपने करप्शन नहीं किया, पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये हमको करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार पंगु हो जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ–साथ दिल्ली की जनता हमारी तरफ ये भी देख रही है कि हम इसमें क्या विकास करेंगे। हम कितना विकास करके दिखाएंगे। हमारी योजनाएं कितनी क्रियान्वित होंगी। अगर नौकरशाही पर ये हो गया तो इसका एक बैलेंस कहीं न कहीं हमको बनाना

पड़ेगा। बाकी बातें हमारे मित्र भी करेंगे कि उसको एक साल की सजा थी, उम्र कैद तक हो सकती है। यहां एक बात बताना चाहता हूं कोई गलत कम्प्लेंट करता है तो लोकायुक्त में तीन साल की सजा थी। हमने एक साल की कर दी। यानी हमने उस पर विश्वास जताया है कि तुम इतना घबराओ मत। मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी उदार और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली और खुद के भी हाथ काटकर दूसरे के हाथ में देने वाली कोई सरकार नहीं होगा। मैं इस जोखिम को उठाने के लिए इस जोखिम को उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल इस सरकार का भरपूर स्वागत करते हुए कि हिम्मत तो की है। पानी में कूदे तो हैं, तैरना भी सीखेंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

v/;{k egksn;k : मोहेन्दर गोयल जी।

Jh ekgsUnj xks;y % धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया जी। जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने को मौका दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है आज का। अभी 6 नवम्बर को मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सुनहरा दिन था कि मेरे क्षेत्र की कम से कम ढाई लाख जनता ने नलों के द्वारा जो पानी दिया गया, वो पानी पीने का काम किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था। लेकिन आज का दिन उस दिन से भी ज्यादा बड़ा है कि ये देश की जनता के लिए काम करने के लिए हम जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करने के लिए जा रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसके लिए शायद अपने आप भी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि ये

बिल आज आपके समक्ष रखा है। मैं देश की सवा सौ करोड़ जनता की ओर से भी जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी बनाने के लिए शुभ कामनाएं दी थीं उसमें से ज्यादा से ज्यादा एक लाख आदमियों को छोड़ दो, 124 करोड़ जनता आपका इस सदन का धन्यवाद कर रही है कि इस बिल पर आज चर्चा होने जा रही है। इस के लिए बधाई के पात्र हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी। इसके लिए मैं दो लाईनें कहना चाहूंगा–

कुछ चलते हैं पग चिन्हों पर, कुछ पग चिन्ह बनाते हैं,
पग चिन्ह बनाने वाले ही, वंदनीय हो जाते हैं।

अभी तक तो कुछ हमारे साथी वह घिसीपिटी पुरानी पार्टियों की राह पर चलते रहे हैं। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे साथी हैं, काबिल दोस्त हैं और हमारे अरविन्द केजरीवाल ने उनको नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है। मैं उनका सम्मान करता हूं। क्योंकि हमने सम्मान करना सीखा है और सम्मान करते रहेंगे क्योंकि जनता के द्वारा वो भी चुनकर इस सदन में भेजे गए हैं। इस नाते मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। मैं तो इनका वैसे भी धन्यवादी हूं। आज एक सच्ची घटना बताता हूं अध्यक्ष महोदय जी, आज इनका बेटा सुबह मिठाई का डिब्बा और कार्ड लेकर आया। मैं धन्यवाद कर रहा हूं। विजेन्द्र जी की पूरी की पूरी फैमली को सैल्यूट करता हूं मैं। आज बेटे ने कहा अंकल मैं शादी करवा रहा हूं। बेटे बहुत खुशी की बात है। अभी आपको पार्टी देंगे विजेन्द्र जी और किसी के पास कार्ड नहीं आया तो मैं न्यौता देता हूं विजेन्द्र की तरफ से। उस बेटे ने पता है क्या बात कही, बोला अंकल जी ये शादी इस लिए कर रहा हूं कि

जन लोकपाल बिल आ रहा है और वो पास होने जा रहा है। मैंने कहा बेटे ये मिठाई का डिब्बा किस लिए? ये शादी के अंदर तो मैं लेता नहीं हूं। आपको पता मैं खाली कार्ड कार्ड लेता हूं। शादी का डिब्बा मैं नहीं लेता। बोला अंकल जी, ये डिब्बा इस लिए लेकर आया कि आज ये बिल पास होना है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा बेटा, ये बिल तो तुम्हारे पापा ओपोज करेंगे। सुनने की बात है। सुनिए। उस बेटे की भावना क्या है। बोला अंकल, ये बिल बहुत अच्छा बिल है, अरविंद केजरीवाल ने जिस बिल को बनाया, वो गलत हो ही नहीं सकता वो बिल्कुल अच्छा होगा और पापा को हमने समझा दिया है कि इसको पास करवाना है आपने। मैंने कहा बेटे वो तो सदन में करेंगे। उन्होंने एक ही बात कही। बोले कि देखो सदन के अंदर तो आपने पहले उनको बिठा रखा है और यदि वो बिल पास नहीं होने देंगे तो घर के अंदर बहुमत हमारे पास है। तो इसलिए इनकी फैमली को सैल्यूट करता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सदन की ही बात दे रहा हूं आपको सम्मान दे रहा हूं। आपकी फैमली को सैल्यूट कर रहा हूं।

v/;{k egksn;k : गोयल साइब, अपनी बात पर आएं, जन लोकपाल बिल पर आएं।

Jh ekgUnj xk;y : अध्यक्ष महोदया जी मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा जो बच्चे एक आस कर रामलीला ग्राउंड में आए थे। मुझे अन्ना की रसोई के नाम से जाना जाता है कि अन्ना की रसोई चलाने वाला मोहेन्दर गोयल था लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो रसोई

मेरी नहीं थी। वो रसोई थी जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं, उन लोगों की रसोई थी वो स्कूल के बच्चे थे जो अपने घरों से पूरियों के अंदर चावल बांध कर लेकर आते थे। नमक मिर्च बांधकर लेकर आते थे। उनको मैं ग्रहण करता था उस रसोई के अंदर बनाकर वो प्रसाद इस देश की जनता को खिलाता था और जो ये व्यक्ति बैठे हैं सभी के सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। आप समेत प्रवीण जी बैठे हैं, गोपाल राय जी बैठे हैं, मनीष सिसौदिया जी बैठे हैं। सभी हैं मेरे समक्ष। मैं सभी को जितने भी 70 के 70 इस समय क्योंकि दिल छोटा नहीं है मेरा, सभी को सैल्यूट करता हूं और खास तौर पर उन व्यक्तियों को सैल्यूट करता हूं जो भ्रष्ट राजनीति के अंदर इतने घुटे हुए थे उन्होंने इस आन्दोलन को आन्दोलन न समझकर इसको कुचलने की कोशिश की। जनता की भावनाओं को कुचलने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल को ललकारा कि यदि हिम्मत है तो चुन कर आओ, बिल बनाओ और पास करवा कर देखो तब बात कहता हूं। आज मैं सैल्यूट उन व्यक्तियों को भी कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने यदि नहीं ललकारा होता, अरविंद केजरीवाल को नहीं ललकारा होता, मनीष सिसौदियों को नहीं ललकारा होता, गोपालराय को नहीं ललकारा होता तो शायद इस हिसाब से हम दिल्ली के इस सदन में बैठे नहीं होते। ये देन उन्हीं भ्रष्ट व्यक्तियों की है, जो अपने आपको पावरफुल व्यक्ति कहते थे। कहते थे कि हम ही कानून बनाते हैं, हम ही कानून को तोड़ते हैं, हम ही कानून का पालन करते हैं। ये देन उन्हीं की है। तो उनको भी सैल्यूट कर रहा हूं और अपने दिल की और हृदय की गहराईयों से मैं सैल्यूट करता हूं अन्ना हजारे

जी को कि उन्होंने एक सूत्र के अंदर हमें पिरोया। हमें लड़ने की ताकत दी और उसी ताकत के बल पर आज हम यहां पर चुनकर आए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अन्ना जी को और अन्ना ये जितनी भी आपने ये बातें कही थीं, हमारे बिल के अंदर में कहीं पर कमी रह गयी थी तो आज वो सदन के अंदर पूरी हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसको मान लिया है। मनीष सिसौदिया जी ने कह दिया है आपके पास भी लिखकर दे दिया है। मेरे पूर्व वक्ता साथियों ने बहुत सी अच्छी–अच्छी बातें कहीं। वो बातें मेरे भी दिल की पूरे के पूरे सदन की जो बोलेंगे उनकी भी हैं, जो नहीं बोलेंगे, आज उनकी भी है। भावना सभी की एक है। शब्दों के अंदर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो ये बिल पेश किया गया है, ये जनता की भावनाओं का है और ये पास होने जा रहा है। हम सबके लिए इस दिल्ली के लिए, देशवासियों के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। इन बेइमानों ने क्या कहना चालू किया था उस समय? ये कहते थे ये कुछ नहीं जानते। ये राजनीतिक पार्टी वार्टी क्या बनायेंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं :

पंछी को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की।

वो खुद ही तय करते हैं, मंजिल आसमानों की।

विजेन्द्र जी इधर भी सुन लें, अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यक से कह रहा हूं।

"पंछियों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की।
वो खुद ही तय करते हैं, मंजिल आसमानों की।
रखते हैं हौसला जो दिल में आसमान छूने का।
उन्हें परवाह नहीं होती बेईमान जमाने वालों की।"

क्या कह रहे थे वे कि अरविंद केजरीवाल अकेला है, इसके साथ कौन रहेगा। कोई नेशनलिस्ट नहीं है, कोई धनाढ्य परिवार नहीं है, कोई राजा कोई महाराजा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ सिर्फ एक ही विश्वास था कि वो ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है। और उसी ईमानदारी के बूते पर आज इस सदन में आये हैं और एक समय तो हमारे साथ बहुत दुखद घटना घटी थी। जिस समय हमने पार्टी का एलान किया, अन्ना जी ने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं इस राजनैतिक पार्टी का हिस्सा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरा सब कुछ तुम्हारे साथ है। लेकिन इन राजनैतिक जो घुटे हुए आदमी हैं, उन्होंने और हमारे कुछ पूर्व के साथियों ने उनको भरमाना चालू किया तो अन्ना जी उस समय थोड़ा सा विचलित हो गये...मामूली सा। वे यहां तक कहने को मजबूर हो गये कि मेरी फोटो तक नहीं लगेगी। हमारे लिए वो दिन...

v/;{k egkn;k % मोहेन्दर जी, बस सम अप कीजिए।

Jh ekfgUnj xk;y : महोदया, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। भावनाओं को जान लें आप। ये दिन आपके साथ भी गुजरे हैं, मेरे साथ भी गुजरे हैं। ये

भावनाओं की बात हैं। कहोगे तो एक साथी का समय निकाल लेंगे हम। तो वो दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। गोपाल राय जी, रोहिणी के अंदर मीटिंग लेने के लिए ठीक उसी समय...शायद गोपाल राय जी की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। फिर भी मैं याद दिला देता हूं। ठीक अन्ना जी से मीटिंग करने के बाद रोहिणी में आये, उन्होंने कहा कि कल आपके सामने ये बातें आयेंगी। हम सबने स्वीकार किया कि कोई बात नहीं है। क्योंकि हम सब सच्चाई की राह पर चल रहे थे। ये सभी के सभी साथी सच्चाई की राह पर चल रहे थे। और उस सच की राह पर चलते–चलते दिक्कतें भी बहुत आईं, परेशानियां भी बहुत आईं। घर के भी यहां तक कि कहने लगे कि ये पागल हो गये हैं, पागल। हमारे बहुत से साथी तो ऐसे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़कर इस आन्दोलन की राह पर लग गये। प्रवीण जी बैठे हैं, बहुत से साथी हैं, सोमनाथ जी हैं। सोमदत्त जी हैं। ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को त्याग कर और बहुत से तो साथी हमारे ऐसे हैं इस आन्दोलन के कारण जिनकी बीबी छोड़कर चली गई। ये आन्दोलन की ही बात है। सच्ची बात कर रहा हूं मैं और बहुत से तो साथी हमारे ऐसे हैं कि सिर्फ आन्दोलन की राह पर चलते चलते उनके रिश्ते तक नहीं हुए। लेकिन एक जुनून था, सच्चाई पर चलने का...सभी का जुनून था और मैं अपने साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस जमीन को आप लोग भी पा लें। आप लोग पाल लोगे तो आप लोग सदा ठीक रहोगे। लोगों ने क्या कहा था...अरविन्द जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अरविंद जी क्या कहते थे...

मैं चला था अकेला...

मैं चला था अकेला।

कारवां बनता चला गया।

वो कहते रहे इनका खाता भी नहीं खुलेगा

और इनका सफाया होता चला गया।

ये बैठकर अभी अभी लिखी थी बात क्योंकि मैं देख रहा था। मुझे वो 49 दिन की जब सरकार थी और हमारा आखिरी दिन था। वह दिन मुझे याद आया...भई, मिठाई के डिब्बे से तो मैं नहीं रुकूंगा। बाकी तो विजेन्द्र जी खुद पार्टी भी देंगे, इनका धन्यवाद भी है। बहुत ज्यादा न कहते हुए क्योंकि मेरे बहुत से साथी हैं। सभी को बोलना है। इस बिल को मैं अपना पूरा समर्थन देता हूं लेकिन मुझे सिर्फ एक जगह पर मामूली सा संशय हो रहा है। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ संशय तो जरनैल भाई ने क्लीयर कर दिया है। ये पेज नं. 6 पर धारा 5 का है, जन लोकपाल की कार्य अवधि एवं अन्य शक्तियों के बारे में। जनलोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और उसके बाद पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।...आ गया। बस ठीक है। मुझे ध्यान में नहीं था। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

v/;{k egksn;k : अब सदन की कार्यवाही चाय काल के लिए 4:30 बजे तक स्थगित की जाती है।

सदन अपराह्न 4:30 बजे पुनः समवेत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया ¼**Jherh cnuk dekjh**½ *पीठासीन हुईं।*

v/;{k egkn;k : नितिन त्यागी जी।

Jh fufru R;kxh : धन्यवाद अध्यक्षा जी, कि इस ऐतिहासिक दिन और इस ऐतिहासिक मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया। जब कपिल भाई ने चर्चा शुरू की और उन्होंनें ये बताया और याद दिलाया कि किस तरह से उन लोगों ने जो आज विपक्ष में भी नहीं है, जो थोड़े बचे हैं, वह आज यहां पर बैठे भी नहीं हैं। इस तरह से आम आदमी को चैलेंज किया। उसका प्रताड़ित किया, लज्जित किया, डण्डे लगवाये और ये चैलेंज भी दिया कि अगर बस की है तो आओ। सदन में आओ, जीतकर आओ और खुद बना लो। जब वे बोल रहे थे इस बारे में तो एक आवाज दिमाग में गूंज रही थी। मेरे ख्याल से हम जितने भी यहां बैठे हैं, उन सबके भी दिमाग में वह आवाज गूंजी कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर जन लोकपाल लेकर आयेंगे। अरविंद जी के शब्द थे। और जी हां, हम लड़े, हम जीते और देखो लोकपाल भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए तो लोगों ने बहुत पुरानी हिस्ट्री इसकी जरूर बताई। 78 की, 88 की, 98 की। मेरे लिए 2011 से ये सपना शुरू हुआ। तब तक ड्राइंग रूम की राजनीति करता था। ड्राइंग रूम में बैठकर सबको कोसता था। जितने भी घोटाले होते थे, जितने भी भ्रष्टाचार होते थे। बस काम इतना था कि ड्राइंग रूम में बैठे, चार दोस्तों के साथ सब को मन भर कर गाली दी। 2011 में एक आन्दोलन

शुरू हुआ। उस आन्दोलन ने एक सपना दिखाया कि हां, कुछ हो तो सकता है। कुछ बदल तो सकता है।

तो उस ड्राइंग रूम की राजनीति से लेकर मुझे सड़क पर लेकर आये और उस सड़क की राजनीति से आज इस सदन में लेकर आये और आज यह मौका है, यह ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। तो अपने आपको बहुत ही सम्मानित महसूस करता हूं, अपने आपको बहुत ही खुश–नसीब महसूस करता हूं। मेरे बहुत सारे साथी इधर बैठे हैं, जो लक्ष्मी नगर में मेरे साथ काम करते हैं, तो हम लोग अक्सर लोगों से इस बिल के बारे में बात करते हैं। जब से यह बिल हाथ में आया है, जो हम लेकर आ रहे हैं तो वो ही रखना चाहूँगा कि आम जनता, आम आदमी जिसके लिए हम यह बिल लेकर आ रहे हैं, उसकी क्या राय है इस बिल के बारे में। कुछ पढ़े–लिखे लोगों से बात की, कहते हैं कि एवरी इन्क्वायरी विल रीच इट्स लोजिकल एंड जो भी इन्क्वायरी होगी, वो कहीं तक पहुंचेगी। यह 14 साल, 15 साल, 17 साल, 25 साल ये कोर्ट में धक्के नहीं खायेगी। यह कहीं आगे पहुंचेगी। इस पर कुछ नतीजा निकलेगा। छह महीने से, एक साल के अंदर–अंदर जब टाइम लिमिट रखी है तो भ्रष्टाचार पर इन्क्वायरी होगी भी, सजा भी होगी। कुछ कहते हैं कि जो जनता है we will feel heard मतलब वो महसूस करेगी कि उनकी बात सुनी जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, जिन्होंने आवाज उठाने के बारे में सोचना ही बन्द कर दिया था। सोचा था, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ एक सपना था, है भी नहीं, था, वो सपना भी देखना बंद कर दिया था। उनके अंदर एक ऊर्जा

आई है कि हां, अब हमारी बात सुनी जायेगी, जिस भी डिपार्टमेंट में परेशानी है, जहां भी काम नहीं होता है, बिना पैसे के काम नहीं होता है, वहां पर सुनी जाएगी। यह एक उम्मीद जागी है। हर करप्शन की एक पनिशमेंट होगी, जो करप्शन दिल्ली के अंदर होगा, चाहे वो कोई कर रहा हो, चाहे पुलिस क्यों न कर रही हो, एम.सी.डी. क्यों न कर रही हो, डी.डी.ए. क्यों न कर रही हो या और कोई विभाग क्यों न कर रहा हो। चाहे वो फ्लैट के आबंटन का कोई घोटाला हो, चाहे नक्शा न पास करने की वजह से जो मजबूर लोग अपना घर बनाते हैं तो हर फ्लोर पर उनसे पैसे ऐंठने का घोटाला हो और इस तरीके के और बहुत सारे घोटाले हैं, जिनके ऊपर सुनवाई भी होगी और सजा भी होगी। लोगों को अब चुप रह कर, शांतिमय, एकदम शांत रहकर डर के जीने की अब कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी आवाज उठा पायेंगे। जनलोकपाल में अपनी आवाज उठा पायेंगे। उस भ्रष्टाचार से जो उनको सोने नहीं देता, जो उनकी आंखों में आंसू लेकर आता है। उससे लड़ पायेंगे, ऐसे साथी खड़े होंगे। कोई भी भ्रष्टाचारी अब भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़पति बनने का सपना भी नहीं देख पायेगा। एक बड़ा अच्छा इसके अंदर प्वाइंट है सैक्शन 17, जो आज तक होता नहीं था, उसमें अगर प्राइमा फेसी इंक्वायरी के बाद में ऐसा पाया जाता है कि हां, जिस भी कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है, वो इसमें शायद लिप्त हो सकता है तो उसे या तो ट्रांसफर किया जायगा या सस्पेंड किया जायेगा, यह बहुत जरूरी है। यह आज तक था नहीं। इतना जरूरी है एक फ्री और इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए कि वो लोगों को इनफ्लुएंस न कर पाये। वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय न कर पाये। आज ही पता चला कि एक फाइल

ही गायब हो गई है। रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी में से एक फाइल ही गायब हो गई है। इस तरीके का एविडेंस गायब नहीं हो पायेगा। यह बहुत जरूरी कदम था। कुछ–कुछ चीजों पर बहुत सारे लोग बोलेंगे। पर हां, एक बदलाव जो यह बिल लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से सब लोग घबरा रहे हैं। सब लोग मतलब विपक्ष या जो भी बचा है विपक्ष में। अच्छा, इसमें जनता बहुत खुश है। देखिये, जनता ने इतना सहयोग दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतनी वोट दी। यह तो विजेंद्र जी आप भी मानेंगे कि दिल्ली की जनता ने बड़ा सपोर्ट किया, तो हालत इस बिल के चलते ऐसी हुई कि कल ही कवि सम्मेलन में सुन रहा था कि आपने कुछ किया न किया, पर यह जरूर किया कि बी.जे.पी. और कांग्रेस के किसी सदस्य को कोई आप कहकर संबोधित कर देता है तो वो तो तू तड़ाक पर आ जाते हैं तो यह घबराहट है, यह भय है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। कहना तो बहुत कुछ है। देखिए हम लोग इस बिल के चक्कर में, इस आंदोलन के चक्कर में चले, तो कहने को तो बहुत कुछ है पर हां, सब लोग हैं, साथ में तो उनका भी सम्मान करते हुए, उनके समय का सम्मान करते हुए मैं यही कहूंगा, इस बिल का मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं और यह बिल तो केंद्र सरकार लेकर आएगी, इसको पास करेगी, नहीं तो, फिर वही आंदोलन होगा और चेतावनी देता हूं फिर माफ नहीं करेगी। धन्यवाद।

v/;{k egksn;k : जरनैल सिंह (तिलक नगर)

Jh tjuSy flag (तिलक नगर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में भाग लेना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और दूसरी गौरव

की बात यह भी है कि आज दुनिया में महिलाओं के सम्मान के लिए बड़े–बड़े देश, बड़ी–बड़ी कैम्पेन्स कर रहे हैं तो एक महिला अध्यक्षा के सामने इस चर्चा में भाग लेना मेरे लिए और भी गौरव की बात है। पूरे जो पिछले साल के अलग–अलग मंजर है, 2011 से लेकर आज 2015 आ गया। चार साल में बहुत सारा टाइम निकला, बहुत सारे ऐसे मंजर आए जो आज आंखों के सामने घूम रहे हैं। आज 14 फरवरी 2015 का वो दिन भी ध्यान आ रहा है जब मैं जगदीश भाई और हम 28 साथी यहां पर इसी सदन में मौजूद थे और यहां एक बेशर्मी का तमाशा देखने को मिला कि हम 40, हम 40 कहकर इस बिल को पेश ही नहीं होने दिया गया और उसके बाद बड़ा खुश होकर यह बोला गया कि जिस भ्रष्टाचार के विरोध में जो बिल तुम लाने की कोशिश कर रहे थे। आज उसको हमने दफन कर दिया। आज इस बात पर और मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि सच के साथ भगवान होते है, कुदरत होती है। आज उन 40 मे से जैसे कपिल भाई भी बता रहे थे कि 40 में से एक भी आदमी कुदरत ने मंजूर नहीं किया कि जिसने इस सच की आवाज को दबाया था, आज इस सदन में उसका नामो–निशान मिट गया है। एक साथी जो गलती से आ गया था यहो पर, कुदरत को वो भी मंजूर नहीं हुआ कि वो भी यह पवित्र बिल जो डिस्कश हो रही है जिस दिन यह बिल पास होने की कवाद हो रही है, उस दिन वो व्यक्ति भी यहां मौजूद हो। कुदरत को यह भी मंजूर नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदया, दो लाइनें जरूर कहना चहूंगा, जो चार साल का हमारा सफर रहा, इस बिल को लेकर कि–

यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल,
एक जुनून सा दिल में जगाना होता है,
चिड़िया से किसी ने पूछा,
कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली,
भरनी पड़ती है बार–बार उड़ान,
तिनका-तिनका उठाना होता है।

मुझे याद है, किस तरीके से हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता गली–गली में इस जन लोकपाल बिल की आवाज को, गली–गली में जाकर एक–एक आदमी से मिले हैं। क्या मेहनत की है किसी ने अपना घर छोड़ कर यहां पर आये, दूसरी स्टेट से आये, कोई परिवार छोड़ कर आया, महीनों–महीनों वापस परिवार के पास नहीं गये तो यह सब अनकी अथक मेहनत का प्रयास है। मैं सब को जितने भी लोग इस लड़ाई से जुड़े रहे, अन्ना हजारे जी से लेकर तमाम शीर्ष नेतृत्व एक–एक वो कार्यकर्ता जो इस बिल को पास होने को लेकर खुश है, उत्साहित है उन सभी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस बिल के पास होने के लिए चर्चा चल रही है। सब को दिल की गहराइयों से बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि समय का यहां काफी अभाव है तो मैं बिल की टेक्नीकल चर्चाओं में नहीं ज़ाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरे को अपने नेताओं पर, तमाम नेतृत्व पर और दिल्ली सरकार पर पूरा भरोसा है। जो बिल आ रहा है, मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूँ और उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ, जो इस बिल के पास होने से खुश हैं। धन्यवाद।

v/;{k egkn;k : सरिता सिंह जी।

Jh xqykc flag % उपाध्यक्ष महोदया, एक प्रस्ताव इसमें रखना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ। कि आज यह बिल पास होगा। मैं यह चाहता हूँ कि सारे के सारे हम 67 विधायक, अगर हो सके, तो अन्ना जी से एक बार जरुर आशीर्वाद लेने के लिए, अगर उनसे मिलने का सौभाग्य मिल जाए तो आपके माध्यम से यह मैं बात रखना चाहता हूँ। अगर एसा पॉसिबल हो तो प्लीज ऐसा कोई समय जरुर निर्धारित कीजिए। जहां भी आप कर सकें, लेकिन अन्ना जी वहां पर होने चाहिए। हम 67 विधायक वहां पर जाना चाहते हैं।

v/;{k egkn;k : सरिता सिंह जी।

lqJh lfjrk flag : सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज इस जनलोकपाल बिल पर चर्चा करके हम दिल्ली की सूरत बदलने जा रहें हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण तो शायद बहुत छोटा शब्द है मेरे लिए आज आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया जिसकी वजह से आज मैं यहां खड़ी हूँ। अगर आज मैं हूँ, तो शायद इस बिल, इस पूरे के पूरे कानून की वजह से हूँ। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। शायद मेरी चर्चा थोड़ी लम्बी होगी, मैं सबसे माफी चाहती हूं, थोड़ी सी। जिस तरह गुलाब भाई ने संतोष दीदी का नाम लिया था, उस बिल की लड़ाई लड़ते–लड़ते आज जिसको हम

इस सदन में पेश कर रहे हैं, इस सदन में पास करने जा रहे हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ जो हुआ, हम सब जानते हैं। पर आज शायद दीदी भी कहीं होंगी और वो देख रही होंगी कि जिस बिल के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जिस बिल के लिए वो शहीद हो गई, आज वो बिल इस सदन से पूर्ण बहुमत से पास होने जा रहा है आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। दीदी की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। नितिन भाई ने कहा था कि हममें से कुछ लोग थे, जो ड्राइंग रूम क्रिटिसाइजर थे, जो केवल घर पर बैठ कर यह चर्चा करते थे कि our system is not working good, the Govt. is not working भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पर हम लोगों के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम सड़कों पर आये। हमारे अंदर यह हिम्मत नहीं जुटा पाये कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे देश में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो। आखिर हम जैसे यूथ, जो मैं अक्सर यह कहती हूँ, मैं डी.यू. स्टूडेंट थी और मेरी जिंदगी पीजा, बर्गर या एक मॉल में बीती थी तो आखिर मुझ जैसी लड़की को कैसे यह एहसास हो गया कि करप्शन के लिए लड़ाई करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई तक त्यागनी पड़ेगी और वो भी कुबूल है। यह हुआ केवल उनके कारण हम सब लोग जिनके नेतृत्व में भरोसा करते हैं, अरविंद केजरीवाल पर। बस एक चीज उनके दिमाग में थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी मांग नहीं है, हमारी जिद्द है और इस जिद्द को हम पूरा करके रहेंगे और आज इस जिद्द को यह विधान सभा पूरा करने जा रही है। इस जिद्द को आज यह विधान सभा पारित करने जा रहा है। जन्तर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक की

लड़ाई लड़ी गई। सड़कों पर यह आवाज होती थी, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना अब तो सारा देश भी अन्ना। पास करो, पास करो जनलोकपाल बिल पास करो। मैं अन्ना को नमन करती हूँ, अन्ना की उस लड़ाई को नमन करती हूँ और आज अपनी पार्टी, अपनी सरकार और आपको बधाई देती हूँ इसको कहते हैं काम करने की नीयत। हम चाहते हैं कि जनलोकपाल बिल पास हो, इसलिए अन्ना जी ने जो संशोधन दिया उसको मनीष जी ने एक भी दिन बिना व्यर्थ किए उसको विधान सभा में प्रस्तुत किया उस संशोधन को और आज उस संशोधन के साथ उस बिल को यह विधान सभा पास करेगा, इसको कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का एक सपना और काम करने की नीयत। हमारी नीयत है, यह बिल पास करने की। हम केवल राजनीति छलावा यहां नहीं कर रहे। हम काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी जानते होंगे आंदोलन के टाइम पर मैं नुक्कड़ नाटक करती थीं और वहां पर विकास आज यहां कहीं होगा, आज जितने भी दर्शकदीर्घा में लोग बैठे हैं बहुत सारे लोग आज बाहर हैं जिस तरह आपने अध्यक्ष महोदया ने अपने भाषण में, अपनी स्पीच में कहा। आज सब लोग उत्साहित है, एक तरह का पर्व, एक तरह का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम उसमें यह कहते थे–

मंत्री के मामा का बेटा, सड़क का ठेकेदार बना,
आधी सड़क बना कर बोला, मेरा पूरा काम हुआ,
पंचायत से पी.एम. तक, सब लोकपाल के नाम करो,
जनलोकपाल बिल पास करो, जनलोकपाल बिल पास करो।

और आज जिस तरह जरनैल भाई ने कहा कि हम अपने हाथ काट कर जनलोकपाल को दे रहे हैं। क्योंकि हमें हमारे ऊपर भरोसा है और वही हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, इस बिल को केन्द्र सरकार से पास कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। सब हो, इस कठघरे में, जो गलत करेगा, वो पनिश होगा और जो गलत नहीं करेगा, वो इज्जत और सम्मान की जिंदगी जीयेगा। सबसे बड़ी बात जो इस बिल में है, हमारे देश में लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में डरने लगे। हमारे देश में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की भी हत्या हुई, नरेन्द्र कुमार का नाम हम सब ने सुना होगा, जिनकी हत्या करा दी गई थी। ऐसे व्हिसल ब्लोअर हमारे देश में काम करने से डरने लगे क्योंकि उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। इस कानून ने उन व्हिसल ब्लोअर को ताकत दी है कि आप आवाज उठाओ और अगर आपकी आवाज सही हुई तो जनलोकपाल निर्णय लेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी कुछ किया जायेगा, हम करेंगे, जनलोकपाल करेगा। अगर कोई कंप्लेंट गलत है, कोई उसका मिस–यूज न करें तो उसका भी प्रावधान इस बिल में रखा गया है। मुझे याद है वो 49 दिन की सरकार, जैसे अभी जरनैल भाई ने बोला कि 14 फरवरी को इस विधान सभा में जनलोकपाल बिल को प्रस्तुत तक नहीं होने दिया गया था। यह कहा गया था कि यह अन–कॉन्स्टिट्यूशनल है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही थी वो असंवैधानिक है। किस संविधान में यह लिखा था और आज बहुत गर्व के साथ यह कह रही हूँ कि अच्छा हुआ उस दिन आपने बिल पास नहीं करने दिया, उस समय हम 28 थे आज हम 67 हैं, जो इस विधान सभा से इस बिल को पारित करके भेजेंगे। अच्छा हुआ, आपने नहीं किया। उस समय जब आंदोलन

चलता था तो हमारे उस समय के तत्कालीन नेता थे, लीडर थे, जिन्हें हम बैसाखी चोर के नाम से जानते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारे लोग समझ गये होंगे, वो कहते थे हिम्मत है तो चुनकर आओ, हिम्मत है तो पार्टी बनाओ। साहब हमने पार्टी भी बनाई, हमने चुनाव भी लड़ा। 28 सीटों से हम जीत कर भी आये, हमने जनलोकपाल बिल से समझौता नहीं किया। हमने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। हम 67 सीटों से आये हैं और आज हम जनलोकपाल बिल पारित करने जा रहे हैं। आप कहां हो, आज आपका देश में भी कोई नामो–निशान नहीं है और यही आपके लिए भी है कि जो गलती कांग्रेस ने की थी, वो गलती आप मत करना। अभी तो यहां विधान सभा में तीन बचे हो, अगर जनलोकपाल को रोकने की कोशिश की तो यहां पर केवल 67 लोग नहीं, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा होगा। पूरे देश में दोबारा एक आंदोलन होगा और लोक सभा, पार्लियामेंट में आप दो भी नजर नहीं आओगे। अगर जनलोकपाल को रोकने की कोशिश की। बहुत खुशी है आज, आज हर कार्यकर्ता, रामलीला मैदान में अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गये, यह सोचने की जरूरत है। दिल में दर्द तो सब के थी, चिंगारी किसी एक ने दिखाई तो बस वही है और बहुत खुशी है और आज यह बिल इस विधान सभा से पूर्ण बहुमत से पास होने जा रहा है और उम्मीद है कि हमारे एल.जी. साहब, केन्द्र सरकार और राष्ट्रपति भी इस बिल का समर्थन देंगे और इस बिल को पास करवायेंगे। जयहिंद, जय भारत।

v/;{k egksn; : जगदीप सिंह जी।

Jh txnhi flg % नमस्कार स्पीकर महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बस छोटी सी दो बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूँगा कि एक देश एक परिवार की तरह होता है। एक परिवार में जैसे चार भाई होते हैं वो सब मेहनत कर रहे होते हैं। मैं अपने सेक्रेट्री साहब को देख रहा हूँ, जितने स्टेनो हैं यहां पर, जगदीश जी हैं इतनी मेहनत करके ये लोग एक–एक पैसा कमा रहे हैं, इतनी जी–तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इतने बिजनेसमैन हैं बाहर, 16–16 घंटे अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं। वो चार भाई बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन एक पांचवां जो काला चोर है वो काला चोर उनका पैसा छीन कर ले जाता है जिसके स्वरूप महंगाई, भुखमरी, बड़ी सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है जो कि भ्रष्टाचार का असली रूप है। यह देश भी जैसे मैंने बताया कि एक परिवार की तरह और हर परिवार चाहता है कि मैं एक सफल परिवार बनूं। हर देश चाहता है मैं एक विकसित देश बनूं, एक डेवलप कंट्री बनूं। छठी क्लास में आप सब ने पढ़ा होगा India is a developing country बचपन से पढ़ते आये हैं। आज हमारे बच्चे भी उसी बात को पढ़ रहे हैं India is a developing country आज उस ing को हम नहीं उखाड़ पा रहे हैं तो ing क्यों नहीं उखाड़ पा रहे, क्योंकि इस डेवलपमेंट को करप्शन नामक दीमक लगा हुआ है। उसकी वजह से ये हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको लगता है कि कोई भी, जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं इतनी ईमानदारी से, चाहे वो सेल्फ इम्पलायड है या कोई इम्पलायड है, वो इतनी मेहनत से काम कर रहा है, 18–18 घंटे कई लोग काम कर रहे

हैं फिर भी देश विकसित नहीं हो रहा क्योंकि वो जो पांचवां काला चोर है जिसको आप करप्शन कह सकते हैं उन चार भाइयों का पैसा लेकर भाग जाता है। आज उस पांचवें काले चोर को मारने के लिए हथियार तैयार हुआ है जिसका नाम है जनलोकपाल। आज ये दिल्ली में पास होगा और उसके परिणामस्वरूप जब इस रवायत को हम चालू करके दिखाएंगे और इतने काले चोर अंदर जाएंगे कि फिर यही दवाई का उपयोग बाकी 28 स्टेटों में भी होगा तो वो जो ING है, उसको हम उखाड़कर फेकेंगे और हम गर्व से कह पाएंगे कि India is a developed country बस यही एक सपना लेकर आंदोलन हुआ। इसी सपने को लेकर दिल्ली में साढ़े पांच लाख लोग रामलीला मैदान गये, सड़कों पर उतरे। पूरे देशभर में, हर स्टेट में चाहे वहां पर अन्ना जी नहीं थे, अन्ना जी यहां पर थे, हर गली में, कूचे–कूचे में लोग उतरे। कल मुझे एक प्रेस रिपोर्टर उस दिन की एक फोटोग्राफ दिखा रहा था कि रामलीला मैदान से लेकर जन्तर–मन्तर तक पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना बड़ा आंदोलन था और आई.बी. ने देख के प्रधानमंत्री को वार्न कर दिया था कि अगर आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई स्ट्रॉग स्टेप नहीं लिया तो देश में बहुत बुरा हो सकता है। झूठी सांत्वना देकर उन्होंने लेटर भेज दिया था। रामलीला मैदान में जिसकी वजह से पहली बार अन्ना जी का आंदोलन तोड़ना पड़ा उनको। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। मुझे याद है पिछली बारी मुख्यमंत्री जी यहीं से बोल रहे थे। भाजपा के 32 लोग थे। 8 लोग कांग्रेस के थे। मिलकर ये कह रहे थे, हम 40, हम 40 ऐसे लग रहा था 'अलीबाबा चालीस चोर', मैंने नहीं बोला, लेकिन आज पूरा का पूरा सूपड़ा साफ हो गया। दिल्ली की जनता ने ये जवाब दिया है। आप

लोग नहीं चुनकर आये, दिल्ली की जनता ने 67 लोगों को चुनकर भेजा है। आपको अपनी जिम्मेदारी दी है। आज हम लोग इस लोकपाल बिल को पास करके उस दिल्ली का, भारत के जितने लोगों ने उस आंदोलन में पार्टीसिपेट किया था, आज उनको इस बिल को पास करके उनको रिवार्ड करने जा रहे हैं और लास्ट में मैं बस एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं इस विधानसभा से, हमारे 67 जो सरकार के लोग हैं, हमारे विपक्ष के लोग हैं उन सबकी तरफ से उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में उतरकर अपना वक्त दिया था, लाठियां खाई थी, आंसू गैस के गोले खाये थे, पुलिस के डंडे खाये थे, आज उन सबका धन्यवाद करता हूं और झुककर उन सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।

v/;{k egksn;k % सोमनाथ भारती जी।

Jh lkseukFk Hkkjrh % माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आज सदन में साथियों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सारी चर्चाएं करी और हम सबने शुरू से इस पल को जिया है और बड़े इमोशनल होकर के आज करीब–करीब हममें से सबने अपनी बातें रखी क्योंकि जनलोकपाल ही हमारा ओरिजन था। इसी के लिए हम इकट्ठे हुए थे, पर आज भाजपा के और कांग्रेस के साथी सोच रहे होंगे कि आम आदमी को चैलेंज करना कितना महंगा पड़ गया। मुझे याद है कि जब पिछली बार हम सरकार में थे तो जिस तरह से जगदीप भाई ने बात बताई, जो कुछ होता है, अच्छे के लिए होता है। उन्होंने हमारा विरोध किया। हमारी सरकार गिरी और जैसा अरविंद जी बार–बार कहते

हैं कि जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है और ऊपर वाले में बहुत शक्ति है। तो जनलोकपाल बिल इतनी मजबूती से आना था, इसी के लिए ऐसी बुद्धि भाजपा और कांग्रेस वालों को उस वक्त मिली कि उन्होंने हमारा विरोध किया, हमारी सरकार गिरी, अरविंद जी ने रिजाइन किया, मंत्रीमंडल ने रिजाइन किया, चुनाव हुआ और 67 की संख्या में आये, इसको भगवान की मर्जी कहते हैं। ये करप्शन, जैसा साथियों ने बताया चूंकि में खोज रहा था आज कि महात्मा गांधी ने इसके बारे में कुछ कहा कि नहीं कहा और बड़ा co-incident है कि बड़ा इंट्रेस्टिंग सा कोट निकला है उनके लिए। वो कह रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है गोखले साहब को। कह रहे हैं बनारस, वाराणसी, हम सब जानते हैं वाराणसी बहुत इंपोर्टेंट जगह है। Banaras is probably the worst station for the poor passengers, Corruption is rampant. Unless you are prepared to bribe the police, it is very difficult to get your ticket. They approach me as they approach others and unless you pay the bribe, you will not get the ticket. बनारस तब भी करप्ट था और आज भी करप्ट है। आज ज्यादा करप्ट है। गंगा इतनी मैली हो चुकी और बनारस आज माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो कम से कम गांधी जी को सुनकर, समझकर के...(व्यवधान)...मैं तो कह रहा हूं गांधी जी को कोट कर रहा हूं। खैर है कि आपने वो भी याद रखा है। उसके बाद बड़ा इंट्रेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन हैं क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को कि 1963 से ये यात्रा चली है लोकपाल की और जाकर के 2011 में ड्राफ्ट बना। उस आंदोलन के बाद केन्द्र में एक लोकपाल बिल बना लेकिन वो लोकपाल बिल कितना टूथलेस है इससे

अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक लोकपाल वहां एप्वाइंट नहीं हुआ। तो मंशा क्या है सरकार की? क्या भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को तनिक भी डर है उस लोकपाल से? इस लोकपाल, जो आज सदन चर्चा कर रहा है, मैं अपने सारे साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस चर्चा के हम सब हिस्सा बन रहे हैं। गांधी जी का एक कोट और क्योंकि हम सब, पूरा देश उनकी तरफ देखता है बार–बार और बड़ा सटीक है ये और ये 1947 का कहा हुआ है "it is the duty of all leading men, whatever their persuasion or the party, to safeguard the dignity of India and dignity cannot be saved if misgovernment and corruption flourish. Misgovernment and corruption always go together. I have it from very trustworthy sources that corruption is increasing in our country." ये 1947 में कहा है। उसके बाद देश कांग्रेस के हाथ गया। आज जैसा आशुतोष भाई ने एक ट्वीट करके बताया कि ''करप्शन इज कांग्रेस, कांग्रेस इज करप्शन'' और उसके बाद भाजपा नक्शे–कदम पर चल रही है। बी. से बी.जे.पी., बी. से भ्रष्टाचार, वो उछल न पड़ें कहीं। क्योंकि कई सारे साथियों ने आज अपने तरीके से शायर, किसी ने शायरी पढ़ी है किसी ने कविता पढ़ी है मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहता हूं। चार लाइनें मेरी तरफ से।

''अपने मन में अक्सर सोचा करता हूं कि कई बार,
अपने देश में ही क्यों फैला है इतना भ्रष्टाचार,

नेता और अधिकारी सारे क्यों हैं मालामाल?
मेहनतकश और मजदूर देश का हो गया कंगाल,

वीर सिपाही सीमा पर करता यही पुकार,
अपने देश में क्यों फैला है भ्रष्टाचार?

आज इन सबको क्योंकि जो सेन्टर न जो 2013 में पास किया, 2013 का जो बिल था जिसे सेन्टर ने पास किया। उसके बाद तो कोई हलचल नहीं मची देश में और न कोई पकड़ा गया और न पकड़ा जाएगा, लोकपाल ही नहीं है तो आज जो अपना लोकपाल बिल पास सदन से हो रहा है उसके बाद क्या होगा किसका–किसका नुकसान होने वाला है? किसकी–किसकी लुटिया डूबने वाली है? कई लोग जिन्होंने भ्रष्ट लोगों से जमीनें ले ली, आज वो भी परेशान हैं। हमारे कई लोग आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर कई भ्रष्ट नेताओं से जमीन लेकर बैठे हैं और उनको बहुत तकलीफ है। ये कानून पास नहीं होना चाहिए। तो इन सब लोगों को तकलीफ क्यों है? इसलिए क्योंकि ये जो कानून पास हो रहा है ये एक ऐसे आदमी के नेतृत्व में पास हो रहा है जिसने ये कसम खा रखी है कि हर भ्रष्ट आदमी को जेल भेजकर रहना है। तो ये अरविंद केजरीवाल का जनलोकपाल बिल है किसी नरेन्द्र मोदी जी का या मनमोहन सिंह जी का जनलोकपाल बिल नहीं है ये, इसलिए सभी कल्पना कर–करके डर रहे हैं।

अब मैं उन मुद्दों पर आता हूं जिन मुद्दों की चर्चा बाहर चल रही है। कह रहे हैं कि भई आपने ऐसा कानून बना दिया इसमें कि अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लायीज को इन्क्ल्यूड करोगे तो नेचुरल है कि ये पास नहीं होगा। कानूनन हमारे कई साथी यहां वकील हैं। तीन तरह की ज्यूरिसडिक्शन होती है। टेरीटेरियल होता है, पेक्युनियरी होता है या सब्जेक्ट मैटर का होता है। ये कौन सा जुरीडिक्शन डिसाइड होगा कि आप किसके लिए काम करते हैं। अगर आप सेन्ट्रल

गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो आप पर ये कानून लागू नहीं होता। आप भ्रष्टाचार करते रहिए, हम पकड़ नहीं पाएंगे आपको। हमने पिछली बार भी कहा था, ये ऐसा ही है जैसे कि कोई सफेद कपड़ा पहनकर बोलता हो कि हम पर ये कानून तो, पिछली बार दूसरी तरह के मित्र थे, इस बार चूंकि संख्या उनकी बहुत कम है तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। लेकिन अगर ये कानून पास होकर के चूंकि अब भाजपा के मित्र बैठे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि जब सदन पास करके भेजेगा तो ये कानून सेन्टर से पास होकर के वापस आना चाहिए जिससे कि हम इसको लागू कर सकें और दिल्ली के भ्रष्टाचारी जेल जा सकें। कानून ये कहता है कि अगर कोई कन्करन्ट लिस्ट के मैटर पर स्टेट भी और सेन्टर ने भी लॉ ड्राफ्ट कर रखा है तो नेचुरली सेन्टर का कानून स्टेट के कानून के ऊपर होगा लेकिन अगर माननीय राष्ट्रपति स्टेट के कानून को एसेन्ट दे दें जो कि कई बार होता है तो ये कानून दिल्ली राज्य पर पूर्णतया लागू होगा इसलिए भाजपा के साथी या कांग्रेस के साथी जो आज अजय माकन जी कह रहे थे कि हम तो इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे लेकिन समझ में नहीं आता कि जैसा मैंने पहले भी कहा ''कांग्रेस इज करप्शन, करप्शन इज कांग्रेस,'' उनको भी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की आदत डालनी पड़ी। करप्शन के खिलाफ बोलने की आदत डालनी पड़ी क्योंकि जनता की डिमांड है तो दिखाना चाहते हैं कि वो भी खिलाफ हैं। लेकिन जब मौका था, तब कुछ किया नहीं।

v/;{k egkn;k % प्लीज शार्ट कीजिए।

Jh lkeukFk Hkkjrh % जो हमारे पास अभी दो कानून थे Prevention of Corruption Act और आई.पी.सी.। जो प्रावधान थे maximum punishment seven years तो खरबों–करोड़ों का घोटाला कर लो और सात साल की जेल बाकी मौज हो गई तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार पनिशमेंट भी बढ़ा है और पांच गुना रिकवरी का प्रोसेस डाला है। तो इसके बाद मुझे लगता है और उसके ऊपर जो कहा है कि प्रोपर्टी अटैच होगी। साथ–साथ में ये कहा है कि छः महीने के अंदर। ये मंशा दिखाती है। मैं वही बताऊंगा कि केन्द्र की मंशा क्या है और हमारी सरकार की मंशा क्या है। छह महीने के अंदर it's a time-bound trial which can only extend to further another six months. एक साल के अंदर आपका जेल जाना सुनिश्चित है तो इस कानून के बाद कोई भ्रष्ट ये सोचे नहीं कि हम ट्रायल को डिले करके सारे पैसे का मजे लेकर के जनता को बेवकूफ बना देंगे। ये वो कानून है जो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आया है।

v/;{k egkn;k % भारती जी, शार्ट कीजिए प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh % तो एक साल के अंदर आपका काम खत्म। तो जो–जो भ्रष्ट हैं चूंकि हमारे साथी मैक्सिमम हैं यहां पर, हम 67 हैं। कल भी यह बात हुई थी सेलरी वाले पर। मैं कल बोलना चाह रहा था कि एक वक्त था, हम सब भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच आदर्श शास्त्री भी हैं। शास्त्री जी के जमाने के एक बाकये को बोलकर के मैं समाप्त करूंगा। शास्त्री जी अपने जमाने में एक साड़ी की फैक्ट्री देखने के लिये गये थे, उनकी पत्नी ने

एक साड़ी पसंद की और वो बहुत बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री की पत्नी ने साड़ी पसंद की है। वो जब घर पहुंचे तो साड़ी पैक होकर घर आ गई जब उनकी पत्नी ने साड़ी रख ली। जब शास्त्री जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने उनको बुलाकर कहा कि हमारे पास इस साड़ी को अफोर्ड करने के पैसे नहीं हैं और साड़ी को वापस कर दिया, वो एक ईमानदारी थी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उनके वंशज आदर्श शास्त्री जी हमारे बीच में हैं और ये उस तरह की ईमानदारी और आज क्या ईमानदारी है। आज दस लाख के तो सूट पहन लेते हैं जनता के पैसे से। दस लाख का सूट!

v/;{k egkn;k % भारती जी, बस।

Jh lkeukFk Hkkjrh % बस एक मिनट। मैं इसमें चूंकि हमारी सरकार है और हम चाहते हैं कि ये बिल और इफेक्टिव बने। जो यू.एस. में एन्टी–करप्शन लॉ है उसमें बड़ा स्पेसिफिक सा बड़ा इंट्रेस्टिंग सा करप्शन ऑफेन्स को डिफाइन कर रखा है। इनडिटेल किया हुआ है receipt of compensation other than salary from state for services rendered in office, bribe to secure appointment to public office. अगर कोई एप्वाइंटमैंट दिलवाने के लिए एप्वाइंटमैंट पैसे ले रहा है, वो भी एक अफेन्स है। acceptance or solicitation of bribe for securing appointment in Government office बड़ा डिटेल में हर तरह का खाली लेनदेन का ही करप्शन नहीं है। अगर आपने सदन के अंदर अपनी बात रखने के लिए किसी से पैसे ले लिए, कैश फॉर वोट जो हुआ, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल किसी को एप्वाइंटमैंट दिलाने के लिए पैसे ले लिए तो

हर तरह का करप्शन है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इसको देखे और जब भी फ्यूचर में मौका मिले करे। ये जो डिसक्वालिफिकेशन है।

v/;{k egkn;k % भारती जी, और बहुत सारे लोगों को बोलना है।

Jh lkeukFk Hkkjrh % Removal of members of Lokpal बड़ा इंट्रेस्टिंग जो कि सेन्ट्रल और स्टेट का जो लेजिसलेशन है, उसका comparison है। हमने कहा है कि Member may be removed on the grounds of misbehavior or incapacity Centre कहती है a member may be removed on the grounds of misbehavior not on the ground of incapacity मतलब incapable लोग वहां बने रहेंगे, और...

mik/;{k egkn;k % भारती जी ये सारी लिखी कॉपी सबके पास है, प्लीज।

Jh lkeukFk Hkkjrh % ये वाली नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि व्हिसलब्लोर को जो प्रोटक्शन दिया सरकार ने क्योंकि सैंटर के लेजिस्लेशन में नहीं है और बकायदा ह्विसिल ब्लोअर की डेफिनेशन दी है मैं एक बार पढ़ना चाहता हूं any person who provides factual information with substance about corruption to a public authority before a Jan Lokpal any other person who faces threat of professional harm including but not limited to illegitimate transfer, denial of promotion, denial of appropriate, prerequisites departmental proceedings,

discrimination इतनी डिटेलिंग करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है कि अब सरकार दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी भ्रष्ट को ना जीने देगी और ना खुद जीएगी जब तक ये भ्रष्ट जेल नहीं जाता। इस कदर से हमारी सरकार इस बिल को स्ट्रॉगेस्ट में डाफ्ट करके लेके आई है, अब ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी भाजपा के मित्रों की बनती है कि इसको सैंटर से पास कराके लाएं जिससे कि आज जो हमारे साथ सौरभ जी ने भी कहा, बस्सी जी का कोई करप्शन निकल के आया है और हमारे साथी सहीराम जी ने कहा कि ये पहला केस बने तो सदन उनकी रिक्वैस्ट को स्वीकार करें। भाजपा के साथी और चाहें इसको पास कराके लेके आएं विजेंद्र जी। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं अपने साथियों को बहुत–बहुत मुबारक वाद देता हूं कि आज वो पल आ गया जिसका हम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn;k % श्री जगदीश प्रधान जी।

Jh txnh'k çèkku % धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। इसमें भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्षा, जी मैं दो–तीन बात कहना चाहता हूं। एक तो इस सदन में जितनी बार भी इतने घंटा अब तक ये सदन चला है, फरवरी से ले के अब तक हर बार जितने भी सदस्य बोले हैं 67 और 3 का जिक्र जरूर आता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने चार दिन पहले कहा था कि आप अभिमान मत करो, घमंड मत करो हो सकता है ये उल्टा हो जाए। मैं

आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी तरह असम में प्रफुल्ल कुमार महंत की सरकार आई थी और आज असम गण परिषद की, आज उसका नामो निशान नहीं है, हमने हर बार जब भी भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने की बात कही गई, हमने इस सदन का सम्मान किया और मुख्यमंत्री जी और जितने भी आपके लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात कही हो, हमने उसका हमेशा समर्थन किया और हमेशा समर्थन करेंगे। बड़े दुख की बात है कि जब पिछले साल आपके 28 आदमी चुनके आए तो बहुत सारे लोग थे, जो रिक्शा से आए, बस से आए जिनके पास कोई साधन नहीं था क्या आज मैं पूछ सकता हूं कोई विधायक ऐसा है जो बगैर गाड़ी के इस विधान सभा में आ रहा हो, बेकार की बातें ना करो, सारे गाड़ियों से आते हैं और एक–एक करोड़ की गाड़ियों में आते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसे कहां से आ गए? हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बने और ये जन लोकपाल बिल पास हो, जैसे आपने वैट को लेकर संशोधन पेश किए उनको लेकर आपने वैट बिल को पास किया, अच्छा होता कि जो विधायक हमारे नेता विपक्ष ने आपको जो संशोधन पेश किए हैं, जन लोकपाल बिल में अगर आप उन पर ईमानदारी से जन लोकपाल बिल को पास कराना चाहते हैं तो उनके अमेंडमैंट जो संशोधन के लिए है उनको जोड़कर सैंट्रर गवर्नमैन्ट को भेजें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी तरह से लोकपाल को पास करवा के देंगे जैसा कि साथियों ने कहा आपकी जिम्मेवारी बनती है...

...(व्यवधान)...

¼v/;{k egkn;½ ¼Jh jke fuokl xk;y½ *पीठासीन हुए)*

Jh txnh'k çkku % जब आप बोलते हैं हम बोलते नहीं हैं आप शांति से सुनिए, सुनने का मादा भी रखिए, हां हम कर रहे हैं कि आप ईमानदारी से जन लोकपाल बिल लेकर आओ।

...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % जरनैल जी प्लीज, नहीं।

Jh txnh'k çkku % मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली से हमारी यू.पी. लगती हुई है। मैं अभी दो साल पहले किसी प्रोग्राम में, किसी के यहां बैठा हुआ था तो वहां इस तरह की चर्चा हुई कि दिल्ली में भीड–भाड़ बहुत ज्यादा है, पॉल्युशन बहुत ज्यादा है, कहीं किराए पर मकान लेके रह लें तो वहां पर दो–चार लोग बैठे थे। वो कहने लगे ये गलती मत कर देना, यहां तो गुंडागर्दी का राज है, जिसकी सरकार आती है वही दूसरी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करता है। मैं आज दिल्ली को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि यहां किसी का एक सरकार का अपना पूरा वर्चस्व नहीं है अगर वर्चस्व जिस दिन हो जाएगा तो यू.पी. वाला हाल दिल्ली में भी हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं नहीं, गुजरात में कुछ नहीं हुआ ये आप बेकार की बातें ना करो, आप हम तीन लोगों को हजम नहीं कर पा रहे आप, कभी गुजरात की बात करते हो, कभी सूट–बूट की बात करते हो।

v/;{k egkn; % जगदीश जी 15 साल कांग्रेस का वर्चस्व रहा दिल्ली में।

Jh txnh'k çkku % जैसा कांग्रेस ने किया, भ्रष्टाचार बढ़ाया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उनका हाल वही हुआ और आपको कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहिए कि आज जो आप यहां बैठे हैं 67 आदमी ये सिर्फ देन है तो कांग्रेस की देन है। यदि कांग्रेस का भ्रष्टाचार ना होता तो आपकी संख्या 67 नहीं होती। बी.जे.पी. का वोट बैंक जितना 32 के समय था, उससे बढ़ा है, घटा नहीं है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं सर ये कहना चाहता हूं जो बी.जे.पी. का 2013 में वोट बैंक था, उससे कहीं बढ़के आया है, ये आप जो यहां बैठे हो, 67 बैठे हो कांग्रेस की देन हो।

v/;{k egkn; % नितिन जी, ये आपकी चर्चा उचित नहीं है।

Jh txnh'k çkku % आपके अंदर यही अभिमान और घमंड रहा तो मैं समझता हूं आपकी संख्या, कल आप इधर बैठेंगे और हम उधर बैठेंगे। अध्यक्ष जी, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आप ईमानदारी से लोकपाल को पास कराना चाहते हैं, तो इसमें जो सुझाव नेता विपक्ष की तरफ से दिए गये हैं, उन पर जरूर अमल किया जाए, धन्यवाद जय हिन्द।

v/;{k egkn; % श्री आदर्श शास्त्री जी।

Jh vkn'k 'kkL=h % धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण जन लोकपाल अधिनियम पर बात करने का। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अपने ईमानदार प्रयासों से उसको मूर्त रूप

देके, सही मायने में आज जन लोकपाल अधिनियम को सदन के पटल पर रखा, इसके लिए बहुत–बहुत बधाई।

अध्यक्ष जी, इतनी देर से जो चर्चा चल रही है वो मैं बहुत करीबी से सुन रहा हूं और सदस्यों ने चर्चा की कि किस तरह आंदोलन से वो जुड़े रहे मैं अपनी बात ये करना चाहता हूं, मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि मैं उस समय इस आंदोलन से नहीं जुड़ा, मैं व्यक्तिगत रूप से जीवन–यापन के लिए नौकरी करता था और अपनी जैसे नितिन भाई ने बोला ड्राइंग रूम में बैठके जरूर आलोचना करता था, राजनैतिक परिवार से होने के नाते कि राजनीति की नैतिक मूल्यों की क्या गिरावट हो रही है। मगर जब आजादी के 65 वर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल राजनीति में हम लोगों के समक्ष आए तो दुबारा से एक रोशनी की किरण नजर आई, एक उम्मीद की किरण नजर आई, और मैंने भी तब यही सोचा कि ये वक्त है कि शास्त्री जी का खून मेरी भी रगों में दौड़ रहा है, अपनी नौकरी छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाऊं जो ईमानदारी की मशाल दुबारा रोशन कर रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून बनाने के लिए देश के हर कोने से आवाज उठी और हमारे प्रेरणा स्रोत अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आम नागरिकों के माध्यम से एक लम्बा आंदोलन चला। ये जो इस बार जीत आम आदमी पार्टी की हुई, ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ये दिखाया कि बाकी राजनैतिक अन्य दलों से हम लोगों में एक फर्क है और वो फर्क नीयत का है आज नीयत अपनी जगह सही है। उस नीयत के नतीजे

पर ये ऐतिहासिक जीत हुई और इस जीत से और कुछ नहीं, ये दर्शाता है कि दिल्ली के लोगों में कितनी बड़ी उम्मीद जागी और जितनी बड़ी ये उम्मीद जागी, अध्यक्ष जी, उससे मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार पर उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि उस उम्मीद पे कायम उतरे और दिल्ली की जनता के लिए हमने जो वायदे किए थे, उसको पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ओर जरूर ले जाना चाहूंगा जिन्होंने ये स्पष्ट रूप से माना था कि ईमानदारी और सादगी से हम लोग देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जड़ से निकाल सकते हैं, यहां पे चर्चा हुई नैतिकता की तो मैं समझता हूं कि जिस तरह 1955–56 से स्कैंडल्स से इस तरह की भ्रष्टाचार की समस्या शुरू हुई उसी तरह 1956 में भी शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर एक रेल दुर्घटना में इस्तीफा दे के नैतिकता की एक नई परिभाषा भी बनाई। आज अगर मैं बात करूं जवाहर लाल नेहरू की तो उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या अगर हम लोगों के देश में है और आने वाले समय में होगी तो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की होगी। मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूं कि पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद देश में जब सवाल उठा तो उस समय 1961 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार रोगी रोधी समिति की नियुक्ति की जो देश में राजनीतिक ईमानदारी और जवाबदेही की तरफ एक पहला कदम था। मैं ज्यादा

बातें नहीं करना चाहता। जन लोकपाल के बारे में बहुत साथियों ने चर्चा की है। मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन के अगुआ अन्ना जी ने जो विधेयक में संशोधन की बात की है, उसको भी रखा गया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि देश की संसद हो या राज्यों की विधान सभा, सभी जगह बेहतर कानून लाये जाने चाहिए और सही तरीके से उनको क्रियान्वित करना चाहिए। कानून बहुत ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन इनको एक्जिक्यूट नहीं किया जाता। उसकी जिम्मेदारी भी इस सदन पर, इस विधान सभा पर बहुत भारी है। उसके बारे में भी हम लोगों का सोचना बहुत जरूरी है।

अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आगे चलकर जब इतिहास रखा जायेगा तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से सवाल जरूर पूछेंगी कि जब जनता के अधिकार की लड़ाई चल रही थी तो पहली आजादी की लड़ाई में बहुत साथियों ने भाग लिया मगर इस दूसरी लड़ाई में हम लोग सो रहे थे कि जाग रहे थे और मुझे इस बात का गर्व है कि ये सदन में बैठा हुए हर सदस्य, आम आदमी पार्टी का हर सैनिक ये बोल सकेगा कि इस आन्दोलन में हम भागीदार थे। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। अध्यक्ष जी, बस ये कहना चाहूंगा कि–

ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के।
अब अन्धेरे से जीत लेंगे लोग मेरे गांव के।।

धन्यवाद।

v/;{k egkn; % अलका लाम्बा जी।

lJh vydk ykEck : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐतिहासिक जनलोकपाल बिल पर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मैं छोटी सी कहानी जो बचपन में, मुझे लगता है हर एक ने अपनी मां से सुनी होगी या किताबों में पढ़ी होगी। उसमें एक बच्चा था। एक ट्रेन को आते हुए दूर से देखता है और वो ये भी देखता है कि पटरी बीच में टूटी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। उसे ये पता होता है कि लाल कपड़ा लहराने से ट्रेन रुक जाती है। तो उसने शर्ट पहनी हुई थी जिसे उतारा और भागता हुआ ट्रेन की पटरी के ऊपर दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ बढ़ता है और लाल टी शर्ट दिखाता हुआ उस ट्रेन को रोक देता है। उस बहादुर बच्चे का जिक्र हम आज भी जानते हैं लेकिन वही बहादुर बच्चा एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। जब वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पूछा जाता है कि तुमने ये खाना और दवा क्यों चोरी की तो वो अपनी मां की तरफ बताता है कि मैं गरीब हूं और मेरी मां बीमारी और भूख से मर रही है। उस बीमार मां और उसकी भूख ने, उसकी दवाई ने मुझे चोरी करने को मजबूर किया है। हमारे जो बढ़े हुए वेतन हैं जिसके ऊपर आज कांग्रेस बाहर प्रदर्शन कर रही है। मैं इसे भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार से जोड़कर देखती हूं। ये प्रश्न उठा जब हम वेतन बढ़ाने की बात कर रहे थे तो ये बात सदन से ही किसी ने विपक्ष से पूछी कि नगर निगम पार्षद बिना वेतन के अभी तक अपने कार्यालय, अपने घर, अपने दफ्तर, लोगों के बीच में रोजमर्रा की जिन्दगी का पालन कैसे कर रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कमीशनें बंधी

हुई हैं। किस तरह से रिश्वत और उपहार के तौर पर इनके घरों में वो पहुंचता है। इन लोगों को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इनको ईमानदारी की, मेहनत का वेतन बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, मैं फिर कहूंगी। 2003 में श्री मदनलाल खुराना जी के सामने दिल्ली विधान सभा का चुनाव लड़ी मोती नगर से। दो दशक की मेरी राजनीति है। चुनाव में मदनलाल खुराना जी के सामने लड़ रही थी उस समय मैं 27 साल की रही होंगी और मदनलाल खुराना जी कद्दावर नेता थे जिनका मैं सम्मान करती हूं। उनके सामने मुझे चुनाव लड़ने को मिला। लोगों ने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आगे आये। हम आपके राजनीतिक सफर को दिल्ली यूनिवर्सिटी से जानते हैं लेकिन आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भ्रष्ट पार्टी है। इसलिए आप उम्मीद नहीं करें कि आपको वोट मिलेगा और वो चुनाव मैं इस वजह से हारी क्योंकि मैं भ्रष्ट पार्टी के चुनाव के बैनर के नीचे लड़ रही थी। मदनलाल खुराना जीते। लेकिन अलग बात है कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में जब मैं 2015 में दुबारा चुनाव लड़ने गयी उन्हीं लोगों ने वापिस आकर कहा, अब ठीक है। अब आप भी ईमानदार हैं और आपकी पार्टी भी ईमानदार है और उसी ने जन लोकपाल के ऊपर मुहर लगाके आज यहां तक आपने अवसर दिया कि मैं आऊं और अपनी बात करूं। अब अध्यक्ष जी, ये आज की लड़ाई नहीं है। मैं वही देख रही थी। इसका इतिहास 1963 में एम.एल. सिंघवी साहब जो उस समय के सांसद रहे, पहली बार लोकपाल का जिक्र उनके जबान से आया था 1963 की बात है। उसके बाद 1969 जो चौथी लोक सभा थी, उस चौथी लोक सभा में पहली बार लोकपाल बिल वो सदन में रखा गया लोक सभा में। लेकिन आप हैरान होंगे कि 1969 की लड़ाई

आज तक रही कि वो सदन में पेश होता रहा लेकिन कभी भी लोकपाल पास नहीं हो पाया और यही 2011 में वो 2012 में जाकर हुआ और वो भी हमारे अन्ना जी के आन्दोलन के बाद। 1969 से अभी तक 12 बार पेश हुआ लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। लेकिन जब इस लोकपाल के आगे जनलोकपाल जुड़ गया और अन्ना आन्दोलन के दौरान लोग निकलकर जन्तर–मन्तर से रामलीला मैदान से यहां पर पहुंच गये तो ये सपना हकीकत में बदलते हुए हम देख रहे हैं।

अध्यक्ष जी, एक और बात है। इस बिल में मैं देख रही थी। नेता विपक्ष ने भी दिया है उसमें हमारे पंकज पुष्कर जी ने भी इसको इन्डोर्स किया है कि ये बिल के सुझाव है। मैं कहूंगी इन बिलों के सुझाव अगर हम मानते हैं नेता विपक्ष के तो उसमें यही लिखा है कि सारी ताकत दिल्ली के नियुक्त किये हुए एल.जी. साहब को दे देनी चाहिए और एल.जी. साहब को देते ही वही हाल होगा जो एन्टी करप्शन ब्रान्च का हो रहा है कि भ्रष्टाचार के इस कानून को कमजोर करने का प्रयास हो। अध्यक्ष जी, मैं अभी सोमनाथ भारती जी को भी सुन रही थी और हम लोग जिक्र कर रहे थे कि मैं भी गांधी जी की छोटी सी पुस्तक है जिसमें उनके कहे हुए सन्देश हैं। मैंने पूरे छान मारे। मुझे भ्रष्टाचार से सम्बन्धित गांधी जी का कोई सन्देश नहीं मिला। तो जब भारती जी बोल रहे थे उन्होंने कुछ कोट किया भ्रष्टाचार के ऊपर गांधी जी का कहा हुआ। तो मैंने अपने साथी से जिक्र किया करतार सिंह जी कि मुझे क्यों नहीं मिला इसमें। गांधी का कहा हुआ भ्रष्टाचार के ऊपर जब मैं पूरा खोज रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जब गांधी जी का दौर था तब वो आन्दोलन था जो

देश भक्तों का आन्दोलन था और आजादी का आन्दोलन था तब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था। तब देश की आजादी मुद्दा था। नहीं तब देशभक्ति मुद्दा था। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री आजादी के आन्दोलन से निकल के इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए, लेकिन आज देशभक्त नहीं आज भ्रष्ट लोगों का इस देश के सत्ता पर राज हो चुका है। इसलिए लड़ाई भाजपा कहे या कांग्रेस कहे। इस देश में हमेशा देशभक्त रहे, लेकिन इनकी वजह से वो भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। मैं दो बातों से इत्तेफाक रखती हूं। आप इस बात को बतायें या तो इस देश में कोई भ्रष्ट नहीं था, ना है या फिर इस देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी कानून थे वो इतने लचीले कानून थे जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को निकल जाने का हर बार एक मौका दिया। मैं पहली बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि इस देश में आजादी के बाद से जो गुरूबत में ये देश चला गया कि दो वक्त की रोटी के लिए गरीब संघर्ष करता है। वो भ्रष्टाचार को ही मैं कहती हूं कि उसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण लचीला कानून है, तो मुझे लगता है जनलोकपाल कानून जो है वो यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आयेगा। अन्ना जी का मैं जिक्र करूंगी, अध्यक्ष महोदय अन्ना जी के बारे में मैं कहूंगी कि बहुत लोग आन्दोलन में शामिल रहे, मैं उनको सलाम करती हूं क्योंकि मैं उस आन्दोलन के रामलीला मैदान के अन्दर नहीं थी पर मैं उन लोगों में थी जो रामलीला मैदान के बाहर से इस जनलोकपाल कानून को अपना समर्थन दे रहे थे। आज बहुत से लोग इस सदन के भीतर भी नहीं है वे लोगों ने जिन्होंने हमें चुनकर भेजा है। वो बाहर से ताकत देते रहे और हम उन्हें इस जनलोकपाल कानून को लाकर ताकत देने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बस मैं एक छोटी सी स्टडी सेन्टर फॉर मीडिया स्टडी का अभी का जो सर्वे है, वो बता रही हूं दिल्ली पुलिस और नगर निगम को सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाया और ये भी बताया की आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद दिल्ली के अन्दर भ्रष्टाचार 45 प्रतिशत में कमी आयी है और ये भी उसने बताया कि दिल्ली की 30 प्रतिशत लोग आज भी अपने कामों को करवाने के लिए रिश्वत देने को मजबूर होते हैं। 2014 का सुनिए। 2014 में तीस प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनको 2486 रुपये किसी न किसी रूप में रिश्वत के लिए देने पड़े। 15 जनसेवाओं को हासिल करने पर और ये कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार था सिर्फ एक साल में। दो लाख चालीस करोड़ रुपया सिर्फ 2014 में। भ्रष्टाचार के रूप में आम आदमी को मजबूरन इनको देना पड़ा। ट्रांसपरेंसी इण्टरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहता है कि 175 देशों में आज भी भ्रष्टाचार के मामले में भारत 85 वें नम्बर पर है। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करके लास्ट में एक प्रस्ताव, मैं उम्मीद करती हूं मेरी तरफ से मुझे मालूम नहीं आपका उसके बारे में क्या सोचना है। अन्ना जी से इस जन लोकपाल कानून रामलीला मैदान से हमारी चुनकर आने में यहां पर हमें बहुत ताकत मिली है। अन्ना जी के सुझावों को कैबिनेट ने कन्सीडर करते हुए इसमें शामिल किया है मैं उनका धन्यवाद करती हूं और अन्ना जी ने ये भी कहा है कि यहां से पास होने के बाद अगर केन्द्र इसको रोकने का प्रयास करेगा तो दोबारा हम एक आंदोलन छेड़ेंगे जिसमें अन्ना जी भी हमारा साथ देंगे ताकि ये सपना अधूरा ना रह सके। इसमें बस एक बात कहना चाहूंगी जो धारा–3 जन लोकपाल की नियुक्ति में एक सुधार किया गया है धारा–4 में लिखा गया है उक्त चार चयन समिति

सदस्यों द्वारा नामांकित एक विख्यात नागरिक सदस्य होगा, मेरा सुझाव है वह सदस्य अन्ना हजारे जी हों इस कमेटी के अंदर तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा तो मेरा एक प्रस्ताव है कि अन्ना हजारे जी को जन लोकपाल नियुक्ति कमेटी में एक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया जायेगा तो हमें इस आंदोलन को आगे केन्द्र के सामने भी लड़ने में और पास कराने में मदद मिलेगी।

जय हिंद, जय भारत।

v/;{k egksn; : अमानतुल्लाह जी।

Jh vekur|Yykg [kku % अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का मौका दिया। मैं जब ये आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त में मैं आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं था लेकिन मैं भी उन्हीं लोगों में से था, ये सोचता था कि भई किस तरह से ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और एक ईमानदारी की लड़ाई जो कि बहुत जरूरी है। जिस तरह से आज पूरे मुल्क का माहौल है कि कोई भी आदमी अपने काम को ठीक ढंग से करा नहीं सकता। जैसे आज हम एम.एल.ए. हैं और जब एम.एल.ए. मैं नहीं था तो मैं सियासत में था और मैं देखता था कि भई जिस तरह से एक सड़क बनती है, लोग सड़क के लिये उम्मीद करते हैं, लोग कोशिश करते हैं, लोग नेताओं के पास जाते हैं और सालों बाद उसकी गली या सड़क का नंबर आता है लेकिन जैसे ही सड़क पी.डब्ल्यू.डी. की गाईड लाईन है, टेन्डर होता है, उसके हिसाब से सड़क बनना चाहिए। लेकिन नहीं बनती उसमें बेईमानी किस तरह से है, वह मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी सड़क बनी हुई है उसको खोदने का

और पुराने पाईप पड़े हुए हैं सीवर के, उसको निकालने का पैसा भी उसमें इन्क्लूड होता है। उसको खोदकर मिट्टी हटाने का पैसा भी उसमें इन्क्लूड होता है। उसमें जो कच्ची रोड़ी पड़ती है, उसका पैसा भी इन्क्लूड होता है उसके बाद कहीं एम–30 ग्रेड से उसके ऊपर रोड़ी डाली जाती है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? पी.डब्ल्यू.डी. की गाईड लाईन्स है कि कोई भी सड़क अपने लेवल को जो पुराना लेवल है। उसको मेन्टेन करने की उसकी जिम्मेदारी है लेकिन हम क्या देखते हैं कि ना तो पाईप उखाड़ा जाता है। उसी के ऊपर अलग से एक पाईप रख दिया जाता है ना ही उसमें रोड़ी हटाई जाती है। ऐसे ही उसमें रख दी जाती है और वो सारे पैसे हैं पाईप उखाड़ने के, मिट्टी उखाड़ने के और एक कच्ची रोड़ी डालने के वो सारे ठेकेदारों में और नेताओं में बंट जाता है तो जहां एम–30 ग्रेड रोड़ी पड़नी चाहिए, वहां एम–15 भी नहीं पड़ता। जो सड़क पांच साल में बननी चाहिए वह छह महीने में या साल भर में टूट जाती है तो लोग इसकी वजह से सफर करते हैं। हम भी चाहते थे। मैं आम आदमी पार्टी में नहीं था लेकिन मैं दूसरी पार्टी में था और मैं ईमानदारी से सियासत करना चाहता था लेकिन मैं ये सोचता था क्या ये मुमकिन है? लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई ये आंदोलन चला तो ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो इस मुल्क की राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो मैं जब इसके अंदर आया तो मुझे लगा कि हां भई, हम भी काम कर सकते हैं और आज जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक आज जिस तरह से कल बात हुई, बहुत सारे विधायकों ने कहा कि मेरे पास पेट्रोल का इतना भी पैसा नहीं था कि मैं विधानसभा तक आ जाऊं या किसी और

कार्य में...ये एक बड़ी बात है। एक विधायक होना या एक पार्षद होना या किसी विधायक से जुड़े होना भी अपने आप में एक बड़ी बात थी। विधायक से अगर कोई जुड़ भी जाता था तो भी करोड़ों रुपया कमाता था लेकिन आज एक विधायक के पास इतने भी पैसे नहीं कि वह अपने बच्चों की फीस जमा कर सके, उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि महीने के वक्त में अपने स्टाफ को तनख्वाह भी दे सके, उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि अपने गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके या गाड़ी को मेन्टेन कर सके तो यह एक अपने आप में एक बड़ी बात है और अब से पहले जो भी कानून बने जितने भी कानून बने वो उन लोगों ने बनाये जो खुद भ्रष्ट लोग जैसे अलका जी ने अभी कहा कि भ्रष्ट लोग अगर कोई कानून बनायेंगे तो अपने लिये उसके अंदर बचाव जरूर पैदा करेंगे जैसे गाड़ी चलाने का एक है कि ऐक्सीडेंट अगर हो जाये उसके अंदर एक आदमी से चार मर जायें या पांच मर जायें या छह मर जायें लेकिन बेलेबल ओफेन्स है क्योंकि कानून बनाने वाले वो सारे लोग हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, वो अपने आपको कभी भी उसके अंदर फंसाना नहीं चाहेंगे। ऐसे ही जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बने, वो उन लोगों ने बनाये जो लोग खुद भ्रष्ट थे और भ्रष्ट आदमी अपने आपको बचाने की बात जरूर करेगा। लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के 67 लोग जीत कर आये। लोग हमसे ये कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भई कहते हैं कि आप 67 क्यों जीत कर आये तो 67 अगर आज जीत कर आये कि सिर्फ इसलिए जीत कर आये कि लोगों को हमसे ये उम्मीद है कि ये अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी है। अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के साथ में ये उसकी एक टीम है, उस

टीम को लोगों ने वोट दिया। ये ईमानदारी को लोगों ने वोट दिया। हम से अगर काम नहीं हो तो लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हम ईमानदारी से अगर हम काम नहीं करेंगे अगर अरविंद केजरीवाल की इस टीम का एक भी आदमी अगर बेईमानी करते हुए कहीं पकड़ा गया तो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

v/;{k egkn; : कन्क्लूड करिये प्लीज।

Jh vekur\Yykg [kku % ये एक ईमानदारी थी। इस ईमानदारी को लोगों ने वोट दिया और ये ईमानदारी आज ये एक ऐसा कानून लेकर आ रही है कि जिस कानून से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज जाने वाला है इस कानून से दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उससे निजात मिलने वाली है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस पूरे बिल को सपोर्ट देता हूं और ऐसे लोग जो भी इस को सपोर्ट नहीं करते, उनके लिये जैसे बी.जे.पी. वाले हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भई आप इसको क्यों मुखलाफत कर रहे हैं क्या आप नहीं चाहते? अब ये बी.जे.पी. वाले आयें।

v/;{k egkn; : कन्क्लूड करिये प्लीज अमानतुल्लाह जी कन्क्लूड करिये आप।

Jh vekur\Yykg [kku : चलिये अगर आप का भी सपोर्ट है और विजेन्द्र जी का भी सपोर्ट होगा तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मेरा इस पूरे बिल को सपोर्ट है। शुक्रिया।

v/;{k egkn; : श्री राजेश गुप्ता जी। बहुत संक्षेप में करिये जरा और कई सदस्य बोलने वाले हैं।

Jh jkt'k xIrk : अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जब एक आंदोलन की शुरुआत हुई है और हम गली गली में घूमते थे तो बहुत सारे लोग हम से ऐसे भी थे जो कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों को भी वोट... इस बार भी किया है। वो हम से कहते थे कि करप्शन में बुराई क्या है करप्शन की अलग अलग व्याख्या करते थे। कहते थे, ''भई दस हजार रुपये दे दिये एक छज्जा बना लिया किसी को क्या नुकसान'' हुआ? ऐसे लोग शायद भूल जाते हैं कि करप्शन वहीं खत्म नहीं हो जाता करप्शन का कोई अंत नहीं है कोई लिमिट नहीं है कि आप यहां खत्म कर दो, इसके बाद नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। करप्शन वहां पर भी पैदा हो जाता है जब किसी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और वो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने के लिये मना कर देता है और उस वक्त हम पूछें अगर किसी से कि क्या करप्शन अच्छा होता है तब वह बिल्कुल जवाब देने से भी कतराता है। तब घबरा जाता है। उसकी रुह कांप जाती है लेकिन कुछ चीजें जिसमें लोगों को फायदा होता है म्यूचुअल करप्शन जिसे हम कहते हैं उसमें हम कहते हैं नहीं करप्शन अच्छा है और इन चीजों को समझाते समझाते लड़ते लड़ते लोग मुझे कहा करते थे। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं उन दिनों काला कुर्ता पहन के नुक्कड़ नाटक और स्टेज किया करता था कहते थे कि बेटा काला कुर्ता पहनने से दुनिया नहीं बदल जायेगी, वो आज मैंने एक काला कोट पहना है इससे उसी दिन पहना था जिस दिन मैंने शपथ ली थी या आज पहना है तो मैं उन सारे लोगों से जिन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा, ये दुनिया नहीं बदलेगी

तो दुनिया के बदलने के लिये कम से कम दिल्ली को बदलने के लिये कानून जिसका हम वादा करते थे, हम ले के आये हैं। हमारा वादा था कि हम चाहेंगे तो चीजें बदलेंगी हमें इस राजनीति में आना होगा और हम आये और आज हम एक कानून लेकर आये हैं जिसके लिये हम इतने टाईम से लड़ाई करते रहे। वे लोग जो राह चलते कहते थे अभी विजेन्द्र जी है नहीं। नहीं तो मुझसे कहते कि आज मैंने शेर नहीं बोला तो मैं बोले देता हूं कि–

क्या मजहब ईमानदारी कैसी बात करते हो?
उस दौर में इंसान थे ये दौर कुछ और है।

लेकिन ऐसा है नहीं। जनता ने इस बात को प्रूव करके दिखाया कि 67 सीटें सिर्फ एक पार्टी को दे दीं और वो भी मार्जन देखिये बीस हजार, तीस हजार, चालीस हजार, पचास हजार किसलिये? क्या राजेश गुप्ता को ये वोट मिला है? नहीं। ये वोट जनता ने जनता को दिया। जनता ने उन मुद्दों के लिये दिया जिन मुद्दों को जैसे मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि हम ए.सी. रूम में बैठ के सोचा करते थे क्या ये चीजें कभी बदलेंगी? लेकिन जब बदलने के लिए एक आदमी अन्नाजी ने आंदोलन करा और अन्ना जी के आंदोलन के साथ में अरविंद जी ने उसमें जो भूमिका निभाई और बाद में धीरे–धीरे धीरे–धीरे साथी जुड़ते चले गये और आज हम वहां खड़े हैं क्योंकि जनता जब अपने आप को वोट करती है, तब 67 सीटें आती हैं। हमें किसी कांग्रेस ने नहीं जिताया, हमें किसी बी.जे.पी. ने नहीं जिताया। हमें उस जनता ने जिताया है, उन मुद्दों ने जिताया है, जिनके सपने हम रोज घरों में बैठ के देखा करते थे। अध्यक्ष जी, जब वो

आंदोलन हुआ करता था, हम जाते थे मेरे भाई मोहिन्दर जी ने बताया कि वो अन्ना की रसोई चलाते थे और मेरे कुछ साथी क्योंकि हम लोग पीछे से उसमें एक भूमिका निभाया करते थे हम वहां पर जाते थे और पीछे पड़े हुए जो ग्लासिस फेंक दिये जाते थे, उनको उठाते थे और कभी कहीं दूर–दूर तक शायद सोच में ये बात नहीं थी कि कभी ये शायद कितने साल लगेंगे सरकार बनने में, कितने टाईम आयेगी लेकिन हमने एक बात को प्रूव किया सरकार बनाई, 28 सीट आई और 49 दिनों में जन लोकपाल बिल के लिये जब हमें लगा कि ये पास नहीं हो पायेगा, ये लोग मिल जायेंगे तो हमने सत्ता छोड़ दी क्योंकि लोग कहते हैं कि पॉवर डज not make you corrupt perhaps the fear of loosing it makes you corrupt हम में वो डर नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं घबराये कि सत्ता जायेगी। जैसे कल मेरे भाई गोपाल राय जी ने कहा कि सत्ता जाए तो चली जाये। आ गई है तो हम काम कर रहे हैं। हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं है और कल को चली जायेगी तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं है। हमें सिर्फ जनता के लिये काम करना है। हमें जनता पर पूरा भरोसा है पूरी उम्मीद है कि जब हम उनके लिये काम करते रहेंगे तो कभी भी वो हमें वोट आऊट नहीं करेगी बल्कि बार बार हमारे कामों के लिये हमें जिताती रहेगी। एक बात में आखिरी बात मैं जानता हूं समय की कमी है, मैं करना चाहता हूं।

v/;{k egkn; : कन्क्लूड करिये राजेश जी प्लीज।

Jh jkt'k xIrk : दो मिनट में सर। अभी हमारे भाई ने कहा कि पिछली बार जब सरकार आई तो हम में से बहुत लोग ऐसे थे जो गाड़ियों के बिना

आते थे और अब गाड़ियों में आते हैं तो जगदीश प्रधान जी, मैं बहुत आराम से आपको बता रहा हूं कि आप ए.सी.बी. से चैक कराइये किसी से कराइये। एक मेरे साथी मेरे साथ में बैठे हैं सोमदत्त जी। मेरे साथ वाली विधानसभा से है। तब भी स्कूटर पर आते थे और अब भी स्कूटर पर आते हैं और एक दिन तो हम दोनों पिछली बार यहां पर आ रहे थे तब मैं विधायक नहीं था। इनके साथ था तो हमें गेट पर रोक लिया गया और गेट पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं विधायक हूं तो उनको बहुत अचम्भा हुआ तो इन्होंने कार्ड दिखाया तब इनको अन्दर आने दिया गया। एक दूसरी साथ में और विधानसभा है, वो बैठे हैं अखिलेशपति त्रिपाठी। दोनों मेरे साथ की विधानसभायें हैं। दोनों में से किसी के पास कोई कार नहीं है। मैंने कहा चार लाख रुपये का लोन मिलता है ले लो! तो कहते हैं ले तो लेंगे भरेंगे कैसे। अब भर लेंगे तो पैट्रोल कहां से आयेगा। तो आज भी हम वहीं हैं जहां पहले थे बल्कि कुछ घट ही गया होगा। एफिडेविट चैक करियेगा 2013–14 में तो हमारी पूंजियां घट गईं, बढ़ी नहीं।

एक और बात आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आपने बी.जे.पी. के वोट शेयर की बात कही। 2013 और 2015 के बीच में प्रधान जी आप से कहना चाहता हूं कि एक चुनाव और था जिसमें आपकी सातों सीटें आई थीं मैं अपनी विधानसभा की बातें करूं तो साढ़े अड़तालीस हजार आपको वोट मिला था वो घटकर साढ़े उनतालीस हजार से बाहर। बीच के चुनाव का मत बोलिये लोकसभा का चुनाव था। जनता वही थी लेकिन उस जनता ने आपका दस हजार वोट कम कर दिया। उस सात महीने की आपकी सरकार

जिसके बीच में दो चुनाव हुए थे। उन्होंने उस बात का जवाब दे दिया। आप प्लीज चैक करियेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के पूरा–पूरा साथ हूं।

v/;{k egkn; : चौधरी फतेह सिंह जी।

Jh Qrg flag : धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने जन लोकपाल बिल पर बोलने का मौका दिया।

v/;{k egkn; : बहुत संक्षेप में रखिये।

Jh Qrg flag : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जिस प्रकार से पिछले दशक में दिल्ली के अन्दर पूरी तरह से करप्शन का बोलबाला था और जिस प्रकार से अन्ना जी ने दिल्ली के अन्दर आन्दोलन किया, और केन्द्र सरकार से और दिल्ली सरकार से मांग की दिल्ली के अन्दर, केन्द्र के अन्दर एक ऐसा जनलोकपाल बिल आये जो भ्रष्टाचार को देश से और दिल्ली से दूर करे। उस टाईम पर जो आन्दोलन चला, उस आन्दोलन ने पूरे देश में एक मूर्खता पाई और उस मूर्खता कारण केन्द्र सरकार ने अनेकों प्रकार के ढकोसले दिखाये, अनेकों प्रकार के ड्राफ्ट बार–बार बनाकर दिल्ली वालों को और देशवासियों को ठगने का प्रयास किया लेकिन अन्ना जी और उनके समर्थकों ने किस प्रकार से उनका प्रतिरोध किया और जितने ड्राफ्ट केन्द्र सरकार ने बनाये, उतना ही देश और दिल्ली के अन्दर अन्ना द्वारा चलाया गया आन्दोलन और मुखर होता गया और उसके बाद जिस प्रकार से दिल्ली के देशवासियों ने देखा है कि आज दिल्ली के अन्दर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो जनलोकपाल बिल के आधार पर बनी है और आम आदमी पार्टी ने यह साबित करके दिखाया है

कि हां, इन वायदों के साथ हमने दिल्लीवासियों के लिये आन्दोलन चलाये और उन वायदों को पूरा करने का आज वक्त आ गया है और यह सत्य है कि दिल्ली के अन्दर अगर दिल्ली के नागरिकों को न्याय दिलाना है तो निश्चित रूप से यह जनलोकपाल बिल जरूर आना चाहिए और सर्वसम्मति पास होना चाहिए और जिस प्रकार से दिल्लीवासियों ने दिल्ली के अन्दर आम आदमी पार्टी को 67 सीट देकर जो बहुमत दिया वो इसी बात का द्योतक है कि वास्तव में दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और आज इसी प्रकार से उसी जनता ने अपने जनलोकपाल बिल का समर्थन किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर इस जनलोकपाल बिल को पूरे समर्थन के साथ इस विधानसभा में पास करें और दिल्ली से भ्रष्टाचार का खात्मा करें इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जनलोकपाल बिल पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

v/;{k egkn; : श्री मदन लाल जी।

Jh enu yky : धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसे कानून की परिकल्पना कर रहे हैं जिसे इस सरकार ने काफी लम्बे समय बाद पेश किया है और जिस पर आज अपनी उन दिनों की यादें आज ताजा की हैं और दौर बताया जिससे गुजर कर उन्होंने इस कानून की कल्पना की। हमने अपने जीवन में लगातार हर बार चोरियां होती देखी हैं, बेईमानी होती देखी हैं। 1982 में मुझे याद है मेरे विधानसभा क्षेत्र का सफदरजंग पुल बनते–बनते गिर गया और 2010 के कॉमन वैल्थ गेम्स में नेहरू स्टेडियम में बना फुटओवर ब्रिज बनते–बनते गिर

गया। हमने देखा उस समय चाहे वो स्टेडियम बन रहे हों, चाहे वो खिलाड़ियों के लिये कमरे बन रहे हों, चाहे उनके लिये सामान खरीदा जा रहा हों, सबमें भ्रष्टाचार था। हर बार लगातार रिपोर्ट आती रही, हर बार यह जानकारी लोगों को दी जाती रही कि हर क्षेत्र में करप्शन हो रहा है परन्तु उसका रिजल्ट, उसके चाहे केस बने हों पर हमने आज भी देखा है कि क्योंकि भ्रष्टाचार हर तरफ अपनी बाहें फैला चुका, अपना शिकंजा कस चुका। यहां कन्विक्शन इस देश में इज बेयर मिनिमम, यहां किसी को सजा ही नहीं हेाती। यहां लोगों को डर ही नहीं है। चाहे कई हजार करोड़ों का टूजी घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, किसी भी तरह घोटाला हो। न घोटाला करने वाले को डर है और न उनको सजा देने वालों को। आखिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ऐसी कौन सी इन्वेस्टिीगेशन कर रही है सब्सटैंडर्ड मैटेरियल यूज हुआ है। और तो और इन लोगों ने हमारे उन बहादुर सैनिकों को नहीं बख्शा जिनके लिये बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदनी थी, स्नो बूट्स खरीदने थे और ताबूत इन्होंने वहां भी बेईमानी की। एक ऐसे सशक्त कानून को लाने जरूरत थी जिसको न आज तक बी.जे.पी. ने लाने की हिम्मत की और न ही कांग्रेस ने और इसीलिए शायद यह दोनों पार्टियां इस कानून के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं। यह नहीं चाहते कि ऐसा कोई कानून पास हो जिससे इनकी गर्दन नापी जाये। तो यहां सदन में भी, और सदन के बाहर लगातार शोर मचा रहे हैं। यह कानून उन कानूनों को जो पिछले हैं और भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर इस देश ने पास किये, उनको हटाकर एक ऐसे नये कानून को जन्म देगा जो बहुत सशक्त भी होगा, बहुत कारगर भी होगा और बहुत इन्डिपेन्डेन्ट भी होगा। अध्यक्ष महोदय, इस कानून की परिकल्पना में हम देखें

तो सात मेम्बर्स कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, सी. एम. होंगे, स्पीकर होंगे हाई कोर्ट के एक और जज होंगे, एक सम्मानित व्यक्ति होंगे ऐसे सात मैम्बर्स की कमेटी जब एक लोकपाल और दो मैम्बर्स की नियुक्ति करेगी और जरूर मानेंगे वो स्पष्ट भी होंगे और ईमानदार लोगों को इस कमेटी में लायेंगे। उनका जो आगे का प्रोसीजर जो इस कानून तहत दर्शित है जहां उन्होंने कहा इनके लिये एक इंडीपेंडट एजेंसी प्रोसिक्यूशन के लिए बनाई जायेगी और जन लोकपाल को यह पावर भी होगी कि अगर कुछ ऐसे मामले हों, जहां लगे कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके पास एक्सपर्ट नहीं हैं तो वो और दूसरी ऐजेंसी जो सी,बी.आई. भी हो सकती है, उसकी भी मदद ले सकते हैं। ये कानून इस बात की गारंटी देगा कि ह्विसल ब्लोवर को ना तेा कोई तंग करे और ना ही उसके खिलाफ प्रतापना हो। उसकी सर्विस की भी रक्षा की जाएगी, उसके बाल बच्चों को, उसको सुरक्षा प्रदान करने की इसमें पूरी गारंटी है। इसमें उन लोगों की भी गारंटी है जो लोग शिकायत करेंगे, मात्र केवल अगर उस शिकायत पर जनलोकपाल कार्रवाई ना करे तो ये ना समझा जायगा कि वो झूठी गवाही थी तो एक बहुत बड़ा रिलीफ उन लोगों को भी मिलेगा जो अपने विवेक के आधार पर ओर अपनी विजडम के आधार पर, इसमें कंप्लेंट करेंगे क्योंकि ऐसा इतना डिटरैंट नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर शिकायत कर देगा तो चाहे उस पर एक्शन हुआ, ना हुआ हो, उसे दोषी समझा जायेगा, पर साथ ही अगर किसी ने इस जनलोकपाल कमेटी के समक्ष कोई झूठी कंपलेंट की और किसी को मैलाइन करने की कोशिश की तो उसके लिए भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी है। यह एक ऐसा कानून है जो न केवल चोर को

सजा देगा बल्कि उन लोगों को भी सजा देगा जो झूठी कंपलेंट कर किसी व्यक्ति की, या किसी संस्था की इज्जत को मेलाइन करते हो। ये कानून अपने आप में बहुत सशक्त है। बहुत सारे मेरे साथियों ने इस पर विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की है। यहां इसमें जो एक और बहुत बड़ी बात है, आज दिन तक जहां–जहां कहीं भी रिश्वत खोरी की शिकायतें हुई चाहे वो हजारों करोड़ की हुई पर आज दिन तक प्रोपर्टी के सीजर की या कान्फिस्केशन की बात नहीं हुई। इस बिल में प्रावधान है कि लोकपाल ऐसी किसी भी संपत्ति को कान्फिस्केट कर सकेंगे जो ऐसे बेईमानी से कमाया गया हो और उसकी रिपार्ट कंपीटेंट कोर्ट को, जो कोर्ट ऐसे मुकदमों को सुनने के लिए क्रिएट की जाएगी, वहां भेज देंगे जो फर्दर उस पर काम करेगी। कुल मिलाकर एक ऐसा कानून है जिससे विपक्ष पूरा डरा हुआ है या तो वो शोर मचा रहा है या बेहत चिंतित हैं।

v/;{k egkn; : कन्क्लूड करिए, मदन जी प्लीज।

Jh enu yky : और मुझे उम्मीद है कि ये सदन इस पर गंभीरता से चूंकि चर्चा भी कर रहा है और बहुत लंबे अरसे के बाद इस कानून को यहां तक लाने में माननीय सी.एम. साहब, डिप्टी सी.एम. साहब और अन्य मंत्रीगण यहां तक लाए हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि कानून भी पास होगा और ये उन बेईमानों के लिए सबसे बड़ा डिटरैन्ट साबित होगा क्योंकि सजा का प्रावधान इसमें आजीवन कारावास तक भी है। जस्टिस मनमोहन ने पिछली बार सही कहा था कि पिछला लोकपाल टूथलेस था। जितने ईमानदार

लोग हैं, वह बहुत खुश होंगे कि बेईमानी अब खत्म हो जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सरकार का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

v/;{k egksn; : सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए, इसकी इजाजत दीजिए सभी सदस्य। श्री विशेष रवि जी।

(सदन का समय 7:00 बजे तक बढ़ाया गया)

Jh fo'ks"k jfo : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, शायद 1992 या 1993 में अक्सर स्कूल या कॉलेज ग्रुप में बैठकर ये बातें करते थे कि 2011 या 2012 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ टी.वी. चैनल्स पर भी आता था और न्यूज में भी हम सुनते थे। ये बातें होती थीं। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 2011 के अंदर दिल्ली की धरती पर एक अद्भुत आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन ने अगर हम ये, उस समय कोई ये कल्पना करता कि केंद्र में बैठी हुई इस मजबूत कांग्रेस सरकार को कोई हरा सकता है तो शायद इस कल्पना करने पर भी लोग उसे बेवकूफ कहते। अगर कोई ये कहता कि दो साल के बाद दिल्ली में चुनाव होंगे और 15 साल से शासित मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित चुनाव हार जाएंगी और दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी आएगी, जिसके मुख्यमंत्री वो होंगे, जिनका कभी चुनाव और राजनीतिक जीवन नहीं रहा लेकिन वो भी हुआ। जनलोकपाल बिल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे साथियों ने जनलोकपाल बिल पर बहुत ही बारीकी से उस पर चर्चा की, उस पर हमें बताया। मैं इस पूरे प्रोसस के अंदर जनलोकपाल बिल के अलावा जो दूसरी चीज मुझे महत्वपूर्ण दिखती है, जो समझ में आती है, उस पर यहां पर आपका

ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आंदोलन में, प्रोटेस्ट में, आवाज उठाने में इन तीनों चीजों में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, ये इस बिल को आज यहां पर हम पास कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है। इंगलिश में एक लाईन है कि there must be a time you fail to prevent injustice but there must never be a time you fail to protest जब हम आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और किसी भी काम के लिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर ये कहते हैं कि कोई तो शक्ति है। एक मूवी में एक फिल्म अभिनेता जिनका नाम शाहरुख खान है तो उन्होंने अपने एक डायलोग में ये कहा था हालांकि ये फिल्मी डायलोग है लेकिन मुझे लगता है कि इस डायलोग बहुत ताकत है, बहुत सच्चाई है, उन्होंने ये कहा था कि जब आप कोई भी काम पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से करते हैं तो ये पूरी कायनात आपको उस काम को करने के लिए साथ हो जाती है और ये बिल जिस तरह से आज हम सभी ने यहां पर इस पूरे दौर में, आंदोलन से लेकर आज तक बहुत सारे चमत्कार हुए। चमत्कार ये हुए कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी पार्टी जिसने एक बूंद किसी को शराब नहीं पिलाई, एक रुपया किसी को दिया नहीं, उसके बाद भी पहली बारी में 28 सीट जीतकर आई। दिल्ली और पूरे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि उसने जो अपनी बात मेनीफैस्टो में कही थी, उसको पूरा न कर पाने की स्थिति में इस्तीफा दिया और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ और जिस तरह से आज अभी जरनैल सिंह जी ने बताया भी कि किस तरह से सरकार ने इस बिल को लाकर अपने हाथ काटे हैं, ये दिखाता है, ये बताता है कि इस बिल को लाते समय सरकार

की नीयत कितनी सच्ची थी कि मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुझे भी इसके दायरे में लेकर आइये और अगर कोई भ्रष्टाचार मैं भी करता हूं या मुझसे भ्रष्टाचार कोई होता है तो मेरे साथ भी वही व्यवहार, वही सजा होनी चाहिए जो बाकी लोगों के साथ होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बिल को यहां पारित करने में इसका हिस्सा हूं। मैं बाकी सदस्यों के साथ अपनी भी सहभागिता सरकार को बधाई के रूप में देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।

v/;{k egkn; : विजेन्द्र गुप्ता जी।

Jh fotUn xIrk : अध्यक्ष जी, आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है उसमें हमने 9 अमेन्डमेन्ट्स मूव किये हैं और मुझे लगता है कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा के समय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले होंगे अगर विपक्ष की भावना उनके समक्ष आए तो बहुत अच्छा होगा, पूरे मामले में 9 अमेंडमेंट हमने दिये हैं। उसके पीछे एक ही भाव है कि इसको अमली जामा पहनाया जाए। मैंने मीडिया के माध्यम से भी यह घोषणा की थी कि हम ये अमेंडमेंट्स दे रहे हैं और ये सब इस बिल को तर्कसंगत बनाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि सरकार हमारे अमेंडमेंट्स पर गौर करेंगी और ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी से हम मिलकर के भी उनसे चर्चा करेंगे। आज मैंने सुबह फोन भी किया था मुख्यमंत्री जी को। लेकिन व्यस्त रहे होंगे, इसलिए समय नहीं निकाल पाए। लेकिन अगर हमें मौका मिलता इस विषय पर बात करने का तो निश्चित रूप से जो बात हमने तीन दिन पहले सदन में कही थी कि कन्सेन्सस से अगर आगे बढ़ा जाए तो दिल्ली

के लिए वह बहुत बेहतर होगा। मेरे पास जो पहले अमेन्डमैन्टस हैं, उन अमेन्डमैन्ट्स का कोई आधार है। ये हालांकि 55(1) transaction of Business Rules का वायलेशन हुआ है। हमने सरकार को बहुत कहा कि ये पी.बी.आर. का वायलेशन हो रहा है। सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। हमने कहा बावजूद इसके कि क्योंकि इसके दो हिस्से हो गए हैं अब, एक तो violation of PBR Section-55 और दूसरा contents of the proposed Act तो एक वायलेशन हुआ है हमने रजिस्टर करा दिया है। हमने यहां उसके बारे में अपनी बात पहुंचाई है और आज जितने सदस्य बोल रहे हैं, कोई बंदर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम एक शब्द इस लिए बोल रहे कि दिल्ली के लोगों को पता लगना चाहिए कि बिल को लेकर सीरियस कौन है। सत्तारूढ़ दल सीरियस है कि विपक्ष सीरियस है। अभी तक की डिबेट में एक भी विषय ऐसा नहीं आया किसी सदस्य की ओर से कि जिससे ये लगे कि इस बिल के गहन अध्ययन के बाद यहां पर चर्चा प्रारम्भ की गई है। मुख्य मंत्री जी आ भी गए हैं। अभी मैंने जिक्र भी किया था। मैं दोहरा भी देता हूं कि एक लाईन में समय भी मैंने मांगा था। व्यस्त रहे होंगे आप। निश्चित रूप से मैंने सदन से भी यही कहा है कोई आपके मन में कोई भाव नहीं रहा होगा, क्योंकि पहले केबिनेट थी फिर उसके बाद हाउस शुरू होने वाला था आपकी मजबूरी जरूर रही होगी। अनफॉच्युनेटली हम नहीं मिल पाए। हम आपके ध्यान में यही डालना चाहते थे कि इसमें क्या–क्या डिस्क्रिपेन्सीज हैं जो इस बिल को कानून बनने से रोक रही हैं। मेरे पास ये Committee on reorganization of Delhi setup 1989 ये कमेटी है जिसके चेयरमैन थे, एस. बालाकृष्णन, उस कमेटी की रिपोर्ट है

और इस कमेटी की रिपोर्ट का मैंने अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद क्योंकि इसी रिपोर्ट से 239(एए) का जो constitutional amendment है वो इस रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। इसको बोलते हैं 69th amendment ये जो constitution of India का 69th amendment है, ये part one की report से हुआ था और पार्ट–II की report से 73rd and 74th amendment हुआ था। ये 14 दिसम्बर, 1989 को दी गई थी। इस रिपोर्ट में जो विवाद चल रहा है, दिल्ली सरकार का केन्द्र के साथ जो बार–बार विवाद होता है उसके बारे में इसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं। इसमें कहा गया है कि USA का washington DC, Austria का Canbera, Canada का Otava ये कभी capital हुआ करती थी। जापान का टोकियो U.K. का London इन सभी प्रदेशों की studies का जिक्र किया गया है, ये दुनिया की राजधानियां हैं। और ये राजधानियां है तो इसको मैं nutshell में 4 लाईन पढ़ देता हूं जिससे आप सबको स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर word किया गया है exclusive यानि की ये जो कैपिटल है, ये exclusive हैं और यहां पर स्टेट क्योंकि मैं यहां पर लम्बा चौड़ा पढूंगा तो आपको भी थोड़ा बोरियत होगी और because of the difficulties securing a balance between these two considerations the problem of evolving an appropriate governance structure for National Capital has proved difficult in many countries particularly those federal types of Govt. बालाकृष्णन ने ये कन्क्लूड किया है कि जो कैपिटल होती है, एडमिनिस्ट्रेशन है नेशनल गवर्नमैन्ट है, इसके बीच में बहुत सारे कन्ट्राडिक्शन होते हैं। इसलिए डेफाइन करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेट फारवर्ड

वहां की जो इलेक्टिड लोकल गवर्नमैन्ट है उसमें और नेशनल गवर्नमैन्ट में और नेशनल गवर्नमैन्ट का किसी तरह कंट्रोल होना चाहिए ये इसमें पूरा डिफाइन किया गया है। एक-एक शब्द एक एक लाईन ये इसके अंदर बहुत ही विस्तार से हैं।

v/;{k egkn; % भई नितिन जी, ऐसे नहीं।

Jh fotUnj xIrk % मैं एक भी शब्द फालतू बोलूं, रोक दीजिए। मैं जो भी बोलूंगा तथ्यों के आधार पर बोलूंगा और फैक्ट्स पर बोलूंगा। आपकी जानकारी हो सकता है, उससे थोड़ी बढ़े। मेरी भी जानकारी उससे बढ़ेगी। कहने का अर्थ ये है कि जो डेफिनेशन यहां दी गई है पहली एड एण्ड एडवाइस पर खत्म कर दी गई है। उसमें Constitution of India 239 का (ए.ए.) का four है, उसको ये बालाकृष्णन रिपोर्ट जो है वो मजबूती प्रदान करती है और ये एक तरह से इसको पूरी तरह से कन्क्लूड करती है। हमने एक अमेन्डमैन्ट मूव किया था कि इसके साथ 239(ए.ए.) के साथ part IV जोड़ दीजिए। यानी कि हमने अमेन्डमैन्ट मूव किया है Lt. Governor means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi apointed by the President under Rule under article 239 of the Constituion and Rule shall act in accordance with article 239 (AA) 4 of the Constitution अर्थात अगर Govt. में और Lt. Governor में कोई difference of opinion हो रहा है तो वो प्रेजीडेन्ट के पास जाएगा। प्रेसीडेन्ट का डिसीजन फाइनल होगा। जब तक प्रेसीडेन्ट का डिसीजन नहीं आएगा और कोई एजेन्सी है तो उपराज्यपाल

का डिसीजन इम्पलीमेन्ट होगा उतनी देर के लिए। ये जो स्कोप आपने खत्म किया है 4 का उससे अल्ट्रावायरस होता है। कॉस्ट्टियूशन से उपराज्यपाल की डेफिनेशन जो हमारे इस एक्ट को रोके। अब एक सरल भाषा में आज यहां पर एक अमेन्डमैन्ट हमने मूव किया था स्पेशल कोर्टस पर मैं भी देख रहा था आपने वैल्यू एडिड tax 3rd amendment Bill 2015 आज मॉर्निंग में डिस्कस किया है और उप मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा वो मुझसे आंख मिलाएं। इसमें आपने जो स्पेशल की कोर्ट दी है, दोनों में फर्क है। क्या कभी एक शब्द की दो डेफिनेशन हो सकती है। यानि की जो VAT Amendment 3rd amendment Bill 2015 में जो आपने Special Court की definition दी है वो मेरा amendment है और वो amendment इस लिए है कि वो स्पेशल कोर्ट को कॉस्ट्टियूशन के ज्यूरिस्डेक्शन में लाता है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म है इसलिए आपने इसमें डेफिनेशन ले ली और ये एक पोलिटिकल मसौदा है सिर्फ चर्चा के लिए है सिर्फ यहां पर राजनीति के लिए है। डेफिनेशन बदल दी है। मुझे मालूम है, हमारा अमेन्डमैन्ट भी गिरा दिया जायेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप सीरियस हैं तो क्या आपने वेट के बिल में जो स्पेशल कोर्ट की डेफिनेशन दी है, वो इसमें क्यों बदल दी? मैं ये जानना चाहता हूं। अभी बिल पेश करते वक्त आपने कहा कि अन्ना जी के कहने पर...मैं अन्ना जी का एक लेटेस्ट स्टेटमैन्ट पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा I will support Kejriwal only if he stuck to the 2014 draft उनका आपके इस बिल को कोई सपोर्ट नहीं है, यह मैं आपकी ही बताई हुई बात को कांट्राडिक्ट कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड।

सर, मेरा ये कहना है कि आपने सैक्शन 15 में कहा है चालबाज नहीं हैं, सही सही बात बता रहे हैं, इसीलिए चाजबाज नजर आ रहे हैं। चाल बाज हैं। सही बात बता रहे हैं। आप बहुत ईमानदार हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर सैक्शन 15 में आपने वर्ड यूज किया 'public servant' "to recommend transfer or suspension of public servant connected with allegation of corruption" हमने सैक्शन 15 में एक अमेन्डमैन्ट दिया है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में केन्द्र सरकार को भी आपने पार्टी बनाया है दिल्ली के जनलोकपाल के अंतर्गत एक्शन लेने के लिए। हमने बड़ा सिम्पल सा एक बीच का रास्ता निकाला और हमने कहा the word 'public servant' shall include only such central Govt. employees who are at the disposal of Govt. of NCT of Delhi on deputation यानी कि जो सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट का एम्पलाई इस सदन के अधिकार क्षेत्र में आकर काम कर रहा है, उस पर जनलोकपाल की कार्रवाई करने के लिए जनलोकपाल सक्षम होंगे। प्रोवाइडेड इसको और ज्यादा लीगेलिटी प्रदान करने के लिए हमने अगला जोड़ा provided action against such Central Govt. employees deputed to the Govt. of NCT shall only be taken after taking prior sanction from the L.G. of Delhi यानी कि आप एक सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट के एम्पलाई को अगर वह करप्शन करता है और आपके ज्यूरिस्डिक्शन में है, आप उसको जो सख्त से सख्त सजा देना चाहें, दीजिए और देनी चाहिए। लेकिन उस पर कांस्टिट्यूशनल सिस्टम की मोहर लगाने के लिए एक बार एल.जी. से कन्करैन्स ले ली जाये। क्योंकि एक्ट के अंदर

एडमिनिस्ट्रेटर को प्रैजीडैन्ट से पॉवर ट्रान्सफर की गयी है। अगर आपको लगता है, ये मैं जो भी अमैन्डमैन्ट यहां दे रहा हूं, सिर्फ इसको लीगैलिटी प्रदान करने के लिए देना चाहता हूं। जिससे कि ये बिल पारित होकर लागू हो। फिर हमने कहा कि आप अगर कल्पना में पूरा हिन्दुस्तान ले रहे हैं और फिर बाहर जाकर ये कहते हैं कि हम तो लोकपाल लाना चाहते थे। हमको लोकपाल लाने नहीं दिया गया। तो हमने सोचा कि क्यों न कन्सैसन्सस बनाई जाये क्योंकि दिल्ली से करप्शन मिटाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और भारत की केन्द्रीय सरकार के श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी है।...मुझे मालूम है, आपको नकली हंसना पड़ रहा है। पर मुझे मालूम है कि आपको अपने बॉस की डांट पड़ेगी।... आपको अपने बॉस की डांट पड़ेगी। इसलिए आपका हंसना लाजमी है, आप हंसें। लेकिन दोस्तो, अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये रंगमंच है और पूरा देश और दिल्ली देख रहा है तो वे समझ जायेंगे कि यहां इस सदन में जो चल रहा है, जो नकली हंसी हंसी जा रही है, जो बिल को तोड़ मरोड़कर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए पॉलिटिकल डाक्यूमैन्ट बनाया गया है, उसकी असलियत क्या है, वह बाईस्कोप से सब नजर आ रहा है, वह सब नजर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नॉमिनल सी बात मैंने कही थी। मुझे लगा इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए। इसमें क्या इश्यू है। हमने सैक्शन 3(2)(बी) जिसमें आपने जन लोकपाल के दो मेम्बर्स की बात की है, हमने कहा है कि आपने कहा है कि एमिनेन्ट पर्सनैलिटी होना चाहिए वगैरह वगैरह। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो डिसाइड कर लीजिए ब्लैक एण्ड ह्वाइट में। ब्लैक एण्ड ह्वाइट

में उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने शायद, क्योंकि विपक्ष ने कहा है इसलिए परनाला यहीं गिरेगा। चाहे कुछ हो जाये। जो हमने कह दी, वह सही और जो इन्होंने कह दी हो वह गलत। हमने छोटा सा टैक्नीकल प्वाइंट बताया। अरे जब आपने जज ऑफ हाई कोर्ट लिख दिया तब चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी? या तो आप डिस्कस्रीमिनेट करते कि चीज जस्टिस or seven or four years experience of as a judge of high court. अब वो फर्क होता। जब आपने जज लिख लिया हाई कोर्ट का तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहां से आ गया? ये छोटा सा टैक्नीकल इश्यू था। इसको करैक्ट कर लेना चाहिए था। ये उसको एक तरह से क्लेयरिटी प्रदान करता है। लेकिन उसको भी आपने शामिल करने में अपनी...आपने जैसा मैंने कहा, मैं कहता भी रहा हूं और कभी समझौता नहीं करेंगे, ऐसे नौ टोटल अमैन्डमैन्ट्स है जो इस बिल को लीगैलिटी प्रदान करते हैं। सही मायनों में करप्शन से लड़ने का एक दम रखते हैं। लेकिन मैं बार–बार कहता हूं, शायद मैं आदत से मजबूर भी हूं और मेरी फितरत भी है कि दोस्ती अपनी जगह पर और अपनी जिम्मेदारी अपनी जगह है। और ये भी अपने आप में एक ईमानदारी है, एप्रिशिएट होनी चाहिए। कभी अपने फर्ज से दगा मत करो। कभी अपनी पोजीशन से दगा मत करो। कभी अपने जमीर से समझौता मत करो। और इसलिए कम संख्या में होने के बाद भी हमने हमेशा पुरजोर कोशिश की है कि हम सदन के समक्ष कुछ सकारात्मक, कंस्ट्रक्टिव बात कहें। मैं एक सच्ची बात कहना चाहता हूं और वह सच्ची बात ये है कि आप लोगों की जन लोकपाल लाने की कोई तैयारी नहीं थी। इच्छा भी नहीं थी और

आपके एजेन्डा पर भी नहीं था लेकिन आपने जो 9 बिल्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें जन लोकपाल शामिल भी नहीं था। उसमें शामिल था, लोकायुक्त एण्ड उपलोकायुक्त एक्ट 95 का अमैन्डमैन्ट। सी.एम. साहब यहां बैठे हैं। ये पिछले महीने की 20 तारीख की बात है। लोकायुक्त की एप्वाइंटमैन्ट होनी थी, उससे पहले मैं कोर्ट गया था लोकायुक्त की एप्वाइंटमैन्ट के लिए। क्यों गया था? सरकार ने लोकायुक्त की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार ने क्या किया कि अपनी मर्जी से एक नाम चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट को भेज दिया। हमने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। नेता, प्रतिपक्ष की इसमें भूमिका है, उस भूमिका को नजर अन्दाज किया जा रहा है। हमारा मकसद लोकायुक्त की एप्वाइंटमैन्ट में कोई इन्डिविज्युअल एजेन्डा नहीं था। कोई इन्डिविज्युअल च्वाइस नहीं थी, कोई कान्सप्रेसी नहीं थी। लेकिन हां, सवाल कानून का था, सवाल संविधान का था और सवाल अधिकार का था। जो नाम सरकार ने भेजा था। अगर मैं गलत हूं, तो इस सदन में कोई भी चेलेंज कर सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा। जो नाम सरकार ने भेजा था, हमने उसका विरोध किया, हमने हर लेवल पर जाकर उसका विरोध किया। हम गृह मंत्री जी से मिले, हम उपराज्यपाल से मिले, हम हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट से आदेश पारित करवाये, उसके बाद नियम और कानून से लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, दोस्तो, चूंकि हमारी कोई अपनी इगो नहीं थी, हमारा कोई इशु नहीं था, हमारा इशु एक ही था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, नियमों के अनुसार चीजें आगे बढ़नी चाहिए। जो

नाम सरकार ने अपने आप भेजा था, हमने खुद आगे बढ़ कर कन्सेंसस बनाकर उसी नाम को मंजूरी करवाई। कभी मैंने अरविंद जी से इस बात का श्रेय भी लेने की कोशिश नहीं की। कभी इस बात का कोई एहसान भी किसी पर दिखाने की कोशिश नहीं की। हम सरकार को मुसीबत में डालने के लिए नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन जहां सरकार किसी रास्ते से भटक रही है, एरोगेंस में आ रही है, ब्रूट मैजोरिटी है बार–बार कहूंगा 67 आदमी कोई इस देश में, इस तरह के मेनडेट कभी, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना, पहले कभी हुआ है, ऐसा भी मेरी जानकारी में नहीं है। 67 आदमी किसी एक पार्टी के और वो भी किसी एक व्यक्ति के नाम से जीत कर आये हों, इस सदन में कोई अपने आपको कितना भी तुर्रम खां समझे, तो अपने घर में समझना। यह सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर सब लोग जीत कर आये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कहीं मेरे साथियों का दिमाग खराब न हो जाये कि उनके नेता के मन में कोई भ्रम पैदा न हो जाये इसलिए हम बार–बार क्रिटिसाइज करते हैं। बार–बार हमारा उपहास होता है, हमारी हंसी उड़ाई जाती है, हमें बंदर कहा जाता है। अभी आगे हो सकता है और भी इससे नीचे आकर के कुछ कहा जाये। लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, हमारी सरकार केन्द्र में भी रही, पर फाच्युनेटली अनफार्च्युनेटली हमने मैक्सिमम समय अगर मैं अपना कहूं, तो मैंने विपक्ष में गुजारा है। इसलिए विपक्ष से हम घबराने वाले नहीं हैं। जब हमारी पार्टी की दो सीटें थीं लोक सभा में, तब भी हम 1984 में भारतीय जनता पार्टी का दीवानों की तरह झंडा लेकर घूमते थे। ऐसा नहीं है, हम सत्ता के लिए नहीं हैं, हम संघर्ष के लिए हैं और अगर सत्ता भी आयेगी

तो वो भी एक संघर्ष ही होगा सत्ता के माध्यम से। लेकिन सरकार को सिर्फ और सिर्फ हम यह कहना चाहते हैं कि जो हमने बालाकृष्णन रिपोर्ट यहां दिखाई, जो आपको आइना दिखाया, आपके अपने एक बिल में और दूसरे बिल में दो डेफिनेशन है।

अरविंद जी, उस दिन 30 तारीख की बात पर मैं लौट कर आऊंगा, 20 तारीख को जब लोकायुक्त की एप्वाइंटमैंट के लिए मीटिंग थी। चीज जस्टिस, हाई कोर्ट वहां थी, दिल्ली के उपराज्यपाल थे, दिल्ली के होनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, एक ना चीज मैं भी वहां था सौभाग्य से, अरविंद जी से मैंने पूछा चार लोगों के बीच की बात है, मैंने अरविंद जी से पूछा कि लोकायुक्त की appointment within few seconds आधा मिनट भी पूरा नहीं होगा, तय हो गया नाम। मैंने अरविंद जी से पूछा कि अब आगे क्या करना है तो अरविंद जी ने कहा कि हम लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त एक्ट, 1995 में अमेंडमेंट लेकर आयेंगे। मैंने जहां से बात शुरू की थी अध्यक्ष जी, मैं वहीं आ रहा हूं कि सरकार बिना तैयारी के यह बिल लेकर आई है। रातों–रात जब 18 तारीख को सदन शुरू हुआ और हमने इसको मुद्दा बनाया तो सरकार को यह लगा कि हम अपने ही विकेट पर, अपनी ही पिच पर हम डिफेंसिव हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव होकर खेलने की आदत नही है, वो फ्रंट फुट पर जाती है।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh fotUn xIrk % वो फ्रंट फुट पर जाती है और फ्रंट फुट पर आकर, अपनी–अपनी बेटिंग का स्टाइल है। जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ डिफेंसिव होकर

खेलते हैं कुछ फ्रंट फुट पर जाकर, छक्का तो डिफेंसिव से भी मारा जा सकता है।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आपका विषय पूरा हो चुका है। आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh fot Un xIrk % जरूरी नहीं है कि छक्का मारने के लिए हर बार फ्रंट फुट पर ही आया जाये। गोल करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बॉल को सीधा गोल की तरफ ही लेकर जाये। अगर बॉल को गोल करना है तो कई बार बॉल को पीछे भी लाना पड़ता है।

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आप कनक्लूड कीजिए प्लीज।

Jh fot Un xIrk % अध्यक्ष जी, अगर तैयारी होती तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने बिना किसी लाग–लपेट के मुख्यमंत्री जी क्रेडिट लेते हुए कहते कि नहीं, हम तो लोकपाल लायेंगे। मेरा कहना है कि अब लोकपाल लाये, आप लोकायुक्त में अमेंडमेंट करे, यह आपकी च्वाइस है। मकसद क्या है हमारा? मकसद है करप्शन को एलिमिनेट करना, मिनिमाइज करना। इसमें कोई क्रेडिट इशु नहीं है, क्रेडिट आपको मिले, आपको मिलेगा। यह मत समझिये कि क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्रेडिट आपको मिलेगा पर सवाल यह है कि नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए, यह पोलिटिकल डॉक्युमेंट को कभी भी आप कानून का जामा नहीं पहना सकते, जब तक कि भारत के संविधान में इस देश के 125 करोड़ लोगों का एक विश्वास बाकी है। विश्वास है और इसलिए मैं अपनी बात को कनक्लूड

करूंगा, कई चीजें हैं विपरीत परिस्थितियों में मुझे बोलना पड़ता है। किसी मेरी अच्छी बात पर भी कोई ताली कभी आ ही नहीं सकती, वरना आप सोचिये, आ ही नहीं सकती और कब कहां से कौन सा तीर आ जाये, पीछे से, आगे से, दांये से, बांये से उसको भी मुझे संभालना पड़ता है इसलिए इस विपरीत परिस्थितियों में मुझे जाकर के अपनी बेटिंग करनी है। आपने मुझे जितना भी समय दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैंने कोशिश की है कम समय में बहुत सारी बात कहने की और भी अगर खुले दिल से कोई मंच मिलेगा मुझे, जहां मुझे यह फिक्र नहीं होगी कि मुझे टोक दिया जायेगा, रोक दिया जाये, बिठा दिया जायेगा, मेरी हंसी उड़ाई जायेगी, ऐसा मेरे अंदर कोई भय नहीं होगा तो हो सकता है मैं इससे और बेहतर तरीके से अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर सकूंगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री गोपाल राय जी।

ifjogu e=h ¼Jh xksiky jk;½ % आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सदन उस बिल पर चर्चा कर रहा है, जिसके सपने न सिर्फ दिल्ली से जुड़े हैं, न सिर्फ देश से जुड़े हैं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस सपने के साथ जुड़े रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस सदन के माध्यम से आदरणीय अन्ना हजारे जी को सलाम करना चाहता हूं जिनके मार्गदर्शन में आंदोलन शुरू भी हुआ था और जिनके मार्गदर्शन से आज एक मुकम्मल जनलोकपाल बिल का प्रस्ताव सदन के अंदर से पास होने जा रहा है, उनके मार्गदर्शन से यह लड़ाई आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ–साथ दिल्ली के भी, देश के भी और पूरी दुनिया

के उन सारे वालंटियर्स को सलाम करना चाहता हूं। हम इन 67 विधायकों के नाम भी लोग जानने लगे हैं, लेकिन उन लाखों लोगों की बदौलत यह आंदोलन खड़ा हुआ, उन लाखों लोगों के समर्थन से यह आंदोलन आगे बढ़ा, उन लाखों लोगों के समर्थन से यह पार्टी पैदा हुई और उन लाखों लोगों के समर्थन से आज ये 67 सीट जीत कर यह पार्टी सदन में बैठी है। उन सारे वालंटियर्स को भी तहेदिल से सलाम करना चाहता हूं कि आज उनकी लड़ाई जिस सपने को लेकर के उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, आज अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता जी ने दो बातों की मुख्य तौर पर चर्चा की, क्योंकि जो सदन के अंदर भी इस मौके की तलाश कर रहे थे कि इस बिल के अंदर हम कैसे कमियां निकालेंगे और जो सदन के बाहर भी तलाश कर रहे थे कि हम कौन सी मिट्टी लेकर के और कौन सा मुद्दा लेकर के देश में जाकर के अपनी जमीन तलाश करेंगे। आज सदन के सामने जो विचार के लिए बिल है, उसने सारी सम्भावनाओं को खत्म कर दिया है। विपक्ष के नेता ने भी और आज सारे लोग कह रहे हैं इसमें सिंगल कोमा नहीं, इस जगह पर डबल कोमा होना चाहिए। यहां पर पूर्णविराम नहीं, यहां पर कोमा होना चाहिए। ये शब्द मोटे अक्षरों में क्यों नहीं लिखा गया, सिंगल अक्षर में क्यों लिखा गया? इसके अलावा वहां बोलने के लिए इस बिल पर न तो अंदर किसी के पास है और न तो बाहर किसी के पास है लेकिन एक बिन्दु है जिसको लेकर के माननीय विपक्ष के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखी है और इस सदन के बाहर भी उसको लेकर के षड्यंत्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो बिल है देश के संविधान, देश के प्रावधान के खिलाफ है, इसलिए पास नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ इस सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। इस देश में जब हमारी सरकार बनी, पहली बार 49 दिन की, उसके पहले भी इस दिल्ली में सरकारें बनी थीं, उसके पहले भी इस दिल्ली में संविधान, कानून काम करता था। देश में जो संविधान की मर्यादा है, उसके अनुरूप दिल्ली चलती थी और उसी संविधान की मर्यादा के अनुरूप, उन्हीं प्रावध ाानों के अनुरूप दिल्ली में एंटी करप्शन ब्रांच का गठन हुआ था। उस एंटीकरप्शन ब्रांच के तहत उसी संविधान ने अधिकार दिया था कि दिल्ली की एंटीकरप्शन ब्रांच दिल्ली के बेईमानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हो और केन्द्र में बैठे हुए मंत्रियों की बेईमानी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है और 49 दिन की सरकार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एंटीकरप्शन ब्रांच ने दिल्ली के बेईमानों को भी पकड़ा और इस देश के सबसे बड़े मालदार व्यक्ति की बेईमानी के खिलाफ भी एंटीकरप्शन ब्रांच ने एफ.आई.आर. की और आज तक वह संविधान के विरुद्ध नहीं सिद्ध हुआ। कौन–सा संविधान था, उस संविधान के तहत उस समय वो अधिकार प्रदत्त थे, आज वो गैर–संवैधानिक हो गया। उस संविधान के पर कतरने की क्यों जरूरत पड़ी जब देश के अंदर केन्द्र की सरकार बनी? केन्द्र की सरकार बनने के बाद एंटीकरप्शन ब्रांच से उस पर को काटा गया और डी.डी.ए. को एम.सी.डी. को और पुलिस को उसके दायरे से बाहर निकालने की कोशिश की गई। अगर संविधान में था ही नहीं तो एंटीकरप्शन ब्रांच के पास ये अधिकार कैसे थे, उसके तहत कार्रवाई कैसे हुई? अगर संविध ाान में उसकी जरूरत नहीं थी तो केन्द्र सरकार उसके संशोधन का प्रस्ताव क्यों लाई और इतने से काम नहीं चला, दोबारा सरकार बन गई। एंटीकरप्शन

ब्रांच ने जब एक पुलिसवाले को रंगे हाथ पकड़ा और उसको गिरफ्तार किया तो सारे लोग भागकर के कोर्ट में गये, कोर्ट ने कहा कि अगर बेईमानी की है तो जेल जाएगा और ये कानून संविधान के अंदर ही पारित किया। इसलिए संविधान की बात नहीं है, बात किस बात की है, क्या चर्चा हो रही है? चर्चा की जा रही है। बाहर विद्वान भी कह रहे हैं कि ये बिल पास नहीं होगा क्योंकि संविधान का इसमें उल्लंघन किया जा रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? आपका कमिटमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ है या इस बिल को रोकने के लिए आपके मन में पहले से मंशा है? आप कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एम.सी.डी. के हस्पताल में अगर बेईमानी होगी तो इस बेईमानी की जनलोकपाल जांच नहीं करेगा लेकिन अगर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में बेईमानी होगी तो उसकी जांच वो करेगा, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की बेईमानी की जांच करेगा जनलोकपाल लेकिन इस दिल्ली के अंदर एम.सी.डी. के हॉस्पिटल की जांच नहीं करेगा जनलोकपाल। आप कह रहे हो कि वो जनलोकपाल, जो दिल्ली सरकार का विद्यालय है, वहां अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच करेगा जनलोकपाल। एम.सी.डी. के विद्यालय में भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच नहीं करेगा जनलोकपाल।

आप कह रहे हो कि अगर दिल्ली सरकार के अंडर में जो जमीन है, ग्रामसभा की जमीन में अगर बेईमानी होती है तो उसकी जांच करेगा जनलोकपाल लेकिन डी.डी.ए. अगर जमीन की बेईमानी करेगा तो जांच नहीं करेगा जनलोकपाल। ये दोहरा मापदण्ड दिल्ली के अंदर नहीं चलने वाला है इसलिए ये जनलोकपाल बिल आया है। क्यों दोहरा मापदंड अपनाना चाहते हो? भ्रष्टाचार,

भ्रष्टाचार होता है। बार–बार आप कहते हो आतंकवाद, आतंकवाद होता है चाहे करने वाला कोई हो उसी तरह से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार होता है चाहे करने वाला कोई हो। इसलिए जनलोकपाल बिल लाया जा रहा है और हमारा कमिटमेंट क्या है? हमने यह संकल्प लिया है, दिल्ली के लोगों ने हमें इस सदन में भेजा है भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए, इसके लिए हमें भेजा है और उसके लिए हम आज ये जनलोकपाल बिल लेकर के आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर आज जो ये मुकाम पर लड़ाई पहुंच रही है। हम क्यों ये कहना चाहते हैं? क्या हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ है? ऐसा नहीं है। ये मत सोचिये कि आज हम दिल्ली की सरकार में बैठे हैं और कल केन्द्र की सरकार में नहीं बैठेंगे। आज हम दिल्ली में हैं, हमें भी केन्द्र में जाने का मौका मिलेगा लेकिन तब भी ये कानून कानून की तरह से काम करेगा, जो भी यहां बैठेगा वो दिल्ली के भ्रष्टाचार के लिए काम करेगा। हम संविधान की मर्यादा, संविधान की परंपरा, संविधान के कानून के अनुरूप ही हम इस जनलोकपाल बिल को लेकर के आए हैं और अध्यक्ष महोदय, इस बिल ने दो काम किये हैं। इस देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है, हम सब जानते हैं। हिन्दुस्तान के अंदर जिस तरह के स्वास्थ्य की दिक्कत है, हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के कह रहे हैं हमारे देश में आओ और पैसा लगाओ, अध्यक्ष महोदय, इस देश को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान के अंदर जितनी नदियां बहती हैं, दुनिया के कम मुल्कों में इतनी नदियां बहती हैं। हिन्दुस्तान के पास जितनी उपजाऊ जमीन है दुनिया

के कम मुल्कों में पाई जाती है। हिन्दुस्तान के पास जितना खनिज पदार्थ है, दुनिया के कम मुल्कों में पाया जाता है। हिन्दुस्तान के पास जितनी मानवीय संपदा है आज दुनिया के सत्रह देशों में हिन्दुस्तान के बेटे–बेटियां जाकर के अपने पसीने से उस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, ये हिन्दुस्तान की ताकत है। हिन्दुस्तान के पास जितनी बौद्धिक क्षमता है, हिन्दुस्तान दुनिया के तेरह मुल्कों की अर्थव्यवस्था उठाकर के देख लो, पूरी औद्योगिक क्रांति को देख लो, पूरी आई.टी. क्रांति को देख लो दुनिया के तेरह मुल्कों में हिन्दुस्तान के बेटे–बेटियां जाकर के वहां के विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। हिन्दुस्तान में हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हिन्दुस्तान की जो कुदरत ने सारी प्राकृतिक संपदा दी है, वो बेईमान धीरे–धीरे लूट करके अपनी पर्सनल संपदा बनाते जा रहे हैं और इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। हिन्दुस्तान के अंदर अगर लाखों लोग करोड़ों लोग सड़क पर आये, एक सपना लेकर के आये, क्यों आये? क्योंकि हिन्दुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार पहले से था लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेस ने घोटाला किया और देश के अंदर हलचल पैदा हुई। देश सोचने लगा क्या कोई बोलेगा नहीं इस देश के अंदर, उसके बाद इस देश के अंदर अध्यक्ष महोदय, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ एक लाख छयत्तर हजार करोड़ रुपये का घोटाला। जब घोटाला सामने आया कानून के पन्ने पलटे गये तो हमने देखा कि अगर कोई बेईमान एक लाख छयत्तर हजार करोड़ रुपये लूट लेता है, तो हमारा कानून कहता था कि कानूनी कार्यवाही तो हो सकती, अधिकतम दो से चार साल की सजा तो हो सकती लेकिन एक लाख छयत्तर हजार करोड़ उसका हो गया।

अध्यक्ष महोदय, जनलोकपाल ने यह संकल्प लिया है कि अगर इस मादरेवतन की एक रुपये की बेईमानी अगर कोई करता है। हिन्दुस्तान के खजाने से अगर एक रुपया कोई बेईमानी करता है इस दिल्ली के अंदर, हमारी परिधि के अंदर अगर कोई एक रुपये की बेईमानी करता है या एक लाख छयत्तर हजार करोड़ की करता है अगर ये जनलोकपाल कानून होता और अगर ए. राजा दोषी पाया जाता तो केवल जेल नहीं जाता आज आजीवन कारावास जाता और एक लाख छयत्तर हजार करोड़ रुपया नहीं, इससे पांच गुना खजाने में हिन्दुस्तान के जमा होता, ये ताकत है इस बिल की। दिल्ली के अंदर अगर कोई बेईमानी करता है, जो संपत्ति लूटता है, उस संपत्ति से पांच गुना ज्यादा जब्त करने का अधिकार ये कानून देता है। इस दिल्ली के अंदर अगर कोई बेईमानी करता है तो दस साल से लेकर के आजीवन कारावास तक तिहाड़ जेल में बंद करने का अधिकार ये कानून देता है। हिन्दुस्तान के कानून के इतिहास में इतना सख्त कानून बेईमानी के खिलाफ न आज तक आया और अगर केन्द्र सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं आ पायेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या चुप बैठ जाएगी? ये कह रहे हैं हम पास नहीं होने देंगे और बाहर भी कुछ घूम रहे हैं और कह रहे हैं ये पास नहीं हो पाएगा। जब इस बिल को लाने की हम क्षमता रखते हैं, हम नहीं दिल्ली के लोग इस बिल को पास करवाने की भी देश के लोग क्षमता रखते हैं। इतनी बात समझ लो। ये आंदोलन शुरू हुआ है खत्म नहीं हुआ। आजादी की लड़ाई कई चरणों में धीरे–धीरे आगे बढ़ी। एक आंदोलन ने एक लड़ाई को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों ने गद्दारी की, आंदोलन फिर दूसरे चरण में आगे बढ़ा। दूसरी बार अंग्रेजों ने फिर भरोसा दिया फिर गद्दारी की। आंदोलन

फिर आगे बढ़ा। ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर से जो ये बात निकली है, ये बात आगे बढ़ेगी। एक बात और कहना चाहता हूं सदन के बाहर के लोगों से। कई लोगों के दिल में बहुत बेचैनी है। ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, इस आंदोलन में हमने और पार्टी ने हमने बार–बार देखा जितने निकले आदर्श के नाम पर, जितने निकलकर गये इस पार्टी से ईमानदारी के नाम पर। सबको मैंने देखा कि भाजपा ने उसे खरीद लिया। जब चुनाव जीतकर आये इस सदन में बिन्नी जी निकले। अब उस दिन जिक्र कर रहे थे अध्यक्ष जी, आदर्श की बात करते थे, सिद्धान्त की बात करते थे, ईमानदारी की बात करते थे। अरविन्द जी तानाशाह थे और लोकतंत्र की बात करते थे। लेकिन लोकतंत्र अंततोगत्वा भाजपा के टिकट में सिमट गया। साजिया इल्मी निकली, एक आवाज बनकर के लोकतांत्रिक आवाज बनकर के। बाद में हमने देखा नीचे लिखा हुआ है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अश्वनी उपाध्याय निकले। यहां वालियेंटर के प्रतिनिधि थे। बाद में हमने देखा नीचे लिखा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। वी.के. सिंह निकले बाद में हमने देखा उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी। किरणबेदी जी निकली हमने देखा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री। ये सारे के सारे गद्दार आखिर बिक जाते हैं जो ईमानदारी की बात करते रहते हैं। अरविन्द केजरीवाल कल भी वही थे, अरविन्द केजरीवाल आज भी वही हैं। अभी जो बाहर बोल रहे हैं उनके नाम के नीचे किसी दिन पट्टी में प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, ये कहना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये हुआ है और ये पहली बार नहीं

हुआ है। विकास मंत्री–लेकिन ये हुआ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है आपने उस दिन एक बात मजाक में बोली थी कि थोड़ा सतर्क रहो, पार्टी में बिन्नी न पैदा हो। अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का गवाह है आजादी की लड़ाई में जब मादरे वतन की मुक्ति की लड़ाई चल रही थी, हिन्दुस्तान के लिए जो अपने सीने में देश भक्ति प्रेरणा लेकर के शहीदे आजम भगत सिंह के नेतृत्व में जो टोली बनी थी, उस टोली में भी गद्दार पैदा हो गए, वहां भी गद्दार पैदा हो गए, लेकिन उस गद्दारी की वजह से भगत सिंह ने हंसते–हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया मादरे वतन के लिए कुर्बानी दे दी। आज भी दूसरी जंगे आजादी में ये काम हो रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, गद्दार अपना काम करते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में देशभक्त अपना काम करते रहेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई आज जो सदन से बिल पारित होने के बाद एक कदम आगे बढ़ रही है, कहीं से किसी तरह से किसी कोने में अगर किसी को ये मुगालता हो कि केंद्र में सरकार हमारी है, इसे पास नहीं होने देंगे तो जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा था, कांग्रेस ने अगर जन लोकपाल बिल पारित कर दिया होता तो इस सदन में दो–चार सदस्य उनके होते, मैं अहंकार की बात नहीं करता, लेकिन विनम्रता से इस सदन में और देश के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जन लोगों ने अपने खून पसीने से अपने त्याग के दम पर इस लड़ाई को यहां तक पहुंचाया है, हमें इस देश की उस आत्मा पर भरोसा है अगर केंद्र सरकार इस बिल को रोकने की कोशिश करेगी तो देश जागेगा और इस देश के अंदर दिल्ली ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त जन लोकपाल

के निर्माण करने के लिए संसद में बदलाव लेकर के आएगा, ये हमें भरोसा है और उस भरोसे के साथ कहना चाहता हूं, हमने हर बात पे जो भी हमारे अंदर कमियां आएं, आप सामने लाइए उसका सुधार करेंगे। आदरणीय अन्ना हजारे जी ने कहा जो सलैक्शन कमेटी बनी है। उसमें चार की जगह तीन और जोड़ दो, हमारे साथी गए थे, अभी विजेन्द्र जी ने कहा, अन्ना जी ने ये बयान दे दिया, कुमार भाई बैठे हैं और संजय भाई, दो लोग गए थे, प्रत्यक्ष सामने–सामने बात हुई और उन्होंने जो सुझाव दिये, वो सुझाव यहां तक आए और उस सुझाव के आधार पर कैबिनेट ने संशोधन पास किए और इस सदन के अंदर रख दिया, जो भी जायज और देश हित में भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जो भी सुझाव है सर आंखों पर है लेकिन बेईमानी को बचाने के लिए कोई भी चालबाजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जन लोकपाल को लेकर के जो प्रस्ताव सदन में आया है, उस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करते हुए और एक बार मैं जरूर चाहता हूं, आम तौर पर हम सारे लोग इस सदन में तालिंया बजाते हैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं जिन लाखों लोगों के दम पर हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, सरकार बन गई लेकिन जिन लाखों लोगों के पास सिर्फ एक सपना था कि कानून बन जाए उनके लिए मैं जरूर चाहता हूं इतनी जोर दार करतल ध्वनी से हम लोग आवाज दें कि उनके दिल तक भी ये संदेश पहुंच जाए कि हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अध्यक्ष जी बहुत–बहुत धन्यवाद।

v/;{k egksn; % सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। श्री सत्येन्द्र जैन जी।

Åtk e=h ¼Jh lR;Un tu½ % अध्यक्ष जी, आज का दिन मेरे लिए और हमारे साथियों के लिए काफी भावुक क्षण है। मुझे याद है, 14 फरवरी, 2014 का वो दिन जिस दिन इसी लोकपाल बिल को, जन लोकपाल बिल को इसी सदन में पेश किया गया था, परन्तु उस दिन बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उस बिल को पेश भी नहीं होने दिया था, पास होने की बात को छोड़ दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था जिस दिन मैंने बिल पेश किया था तो मुझे तो शक था कि कहीं पिछली बारी की तरह कोई फरमान जारी ना हो जाए कि आप इसको पेश नहीं कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम पेश होने में तो कोई अडंगा नहीं अड़ाया गया और दूसरा ऐसा भी लगता है कि पास तो हो ही जाएगा। तीन सीढ़ियां हैं, पहला पेश करना, दूसरा पास करना और तीसरा ऊपर वालों के पास जाना जो ऊपर वाले देखेंगे, ऊपर वालों ने पेश करने दिया है और पास भी करने दे रहे हैं। अभी विजेन्द्र जी ने कहा कि ये बिल शायद राजनीति करने के लिए आया है, इससे करप्शन खत्म नहीं होने वाला। हम कहते हैं कि केंद्र सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। इनकी सरकार डेढ़ साल हो चुकी है बने हुए। अभी तक वहां पर ये लोकपाल पास नहीं कर पाए हैं, लागू नहीं कर पाए हैं। आप हमें इसको करने दीजिएगा एक–दो साल के लिए करने दीजिएगा देखिए दिल्ली में करप्शन खत्म होता है या नहीं होता है। आप इस मुगालते में क्यों है? पहले की तरह से ये क्यों दलीलें दे रहे हैं, 1963 से लेकर आज तक इन नेताओं ने देश के अंदर लोकपाल बिल नहीं बनने दिया, ये पता है, क्या कहते हैं कि एग्जाम के अंदर 100 में से 100 नम्बर आएंगे तो हम एग्जाम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, एग्जाम देंगे ही

नहीं, अरे भई 100 में से 100 नहीं आ रहे एग्जाम दीजिएगा मैं मानता हूं हो सकता है 100 में से 100 नंबर इसके भी ना आएं 100 में से 90 तो आएंगे, जीरो से तो अच्छे रहेंगे, कम से कम हमें एग्जाम देने का मौका को दें। हमारे विपक्ष के साथियों का सबसे बड़ा ऑब्जैक्शन है कि ये केंद्र के कर्मचारियों पर लागू क्यों हो रहा है अभी सड़क के ऊपर एक एक्सीडैंट हो जाता है, हम क्या पूछेंगे कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं कि आपको अस्पताल लेके जाएं या लेकर नहीं जाएं। एक बिल्डिंग में आग लगती है, उस बिल्डिंग के पास दिल्ली सरकार फायर ब्रिगेड भेजे या कहे कि ये तो केंद्र सरकार की बिल्डिंग है कि हम यहां भेजें या नहीं भेजेंगे। इसी दिल्ली के अंदर केंद्र की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, केंद्र सरकार की बिल्डिंगे हैं, क्या वे बिल्डिंगे बॉयलॉज मानती हैं या नहीं मानती हैं, कॉरपोरेशन से नक्शे पास करवाती हैं या नहीं करवाती हैं तब तो वो कहते हैं सारे कानून माने जाते हैं, इनको कानून के अंदर आने में डर किस बात का है? आज हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री एक एस.एच.ओ. के अंडर आते हैं, आपको अजीब सा लगेगा कि एस.एच.ओ. के अंडर में कैसे आ गए। अगर वो कोई क्राईम करे तो, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी नागरिक, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करेगा तो वो पुलिस के अंडर आता है, उसको ये नहीं कह सके कि ये तो प्रधानमंत्री है, ये केंद्र का मंत्री है, ये केंद्र का बड़ा अफसर है इसको इन्यूमिनिटी मिली हुई है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जगह मिलती है, वह है एम्बैसी। अगर इनको इतना ही डर है तो केंद्र के कुछ दफ्तरों को, एक नोटिफिकेशन जारी करें और कहें कि ये हमारे जो एरिया हैं भ्रष्टाचार के लिए खुली छूट है यहां पर, इनको हम भ्रष्टाचार से मुक्त करते

हैं। भ्रष्टाचार के लिए कुछ भी करें इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनकी पावर है, संसद है, ऐसा कानून पास कर दें। हमें मानना पड़ेगा, संसद के नीचे ही आते हैं हम लोग। बिल्डिंग बॉयलॉज अध्यक्ष जी, बिल्डिंग बॉयलोज डी.डी.ए. बनाती है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की सारी बिल्डिंगों के ऊपर भी, दिल्ली सरकार की सारी बिल्डिंगों के ऊपर भी, एन.डी. एम.सी. की बिल्डिंगों के ऊपर भी सबके ऊपर ही वही कानून लगता है। लोकसभा के अंदर एक कैंटीन चलती है, अगर उस कैंटिन के अंदर कोई माननीय सदस्य शिकायत करता है कि क्वालिटी खराब है जी, चैक करने के लिए दिल्ली सरकार का एडल्ट्रेशन डिपार्टमैंट ही जाएगा, उसकी अथोरिटी है। तो मैं बताना चाहता हूं किसी की अथोरिटी नहीं है, कानून का राज है, जन लोकपाल जो दिल्ली में हम पास करने के लिए जा रहे हैं, जन लोकपाल उनको सजा नहीं दे रहा है, जन लोकपाल सिर्फ जांच करके कानून के हवाले दे रहा है, कानून उसका फैसला करेगा। तो कानून से क्यों डरते हैं? जज ने फैसला करना है ना? जन लोकपाल ने सिर्फ जांच करनी है और इंडिपैंडैंट है, इंडिपैंडैंट है इसीलिए डर लग रहा है। सर, इन्होंने क्या ये अमंडमैंट दिया है जिस पर हंसी भी आती है कि आप सब कुछ प्रपोजल बनाकर एल.जी. के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजेंगे और वो फाइनल डिसीजन करेंगे किसको बनाना है। किसको नहीं बनाना। ये कह रहे हैं गृह मंत्रालय को भेजेंगे जिसको बनाना चाहे बनाए, नहीं बनाना चाहे ना बनाए और लेके फाइल अपने पास बैठ जाएं, ऐसे नहीं बनने वाला। एक बार की बात है कि एक मेमना पहाड़ों में नदी से पानी पी रहा था। भेड़िये

ने इसको देखा तो कहा कि आपने मेरा पानी झूठा कर दिया। मेमना बोला, सर, आप तो मेरे से ऊपर हो। मैं कैसे झूठा कर सकता हूं? तो ये तो आपकी माताजी ने किया था। ये तो बहानेबाजी है। इन बहानों की कोई लिमिट नहीं है। हम इस कानून को बदल देते हैं। पूरा का पूरा बदल डालते हैं। आज नौ एमेन्डमेन्ट दिये हैं, कल अट्ठारह लेकर के आ जाएंगे। एमेन्डमेन्ट इसलिए नहीं हैं कि उसके अन्दर कोई कमी मिली है, एमेन्डमेन्ट इसलिए है कि इनको डर लगता है। सर, इस देश के अन्दर राजनीति सबसे बड़ा बिजनेस है। उस बिजनेस को चैलेन्ज किया जा रहा है आज। सर, कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर बनते हैं जिनको तीन सौ रुपये मिलते हैं, एक मीटिंग के। एक महीने में दो–तीन हजार रुपये मिलते हैं। सर, एक गाड़ी जिसमें चलती है, तीन हजार का रोज पेट्रोल डलवाते हैं उसमें। किसी से पूछा नहीं गया आज तक। कोई पूछता नहीं है तीन हजार का पेट्रोल कहां से आया? उनकी गाड़ियों का साईज देख लीजिए क्या साईज होता है अब राजनीति को अगर चैलेन्ज किया गया, इस बिजनेस को चैलेन्ज किया जायेगा तो दर्द तो होगा ही होगा। सर, इस देश के अन्दर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं। नहीं सर मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। मैंने आपको नहीं कहा सर। मैंने अट्ठारह वालों, आप तो छोटी सी में आते हो। ...(व्यवधान)...इस देश के अन्दर बहुत सारे नौकरशाह ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर सरकारी नौकरी में आ गये, कुछ लोग हैं ऐसे तो उनका परम धर्म है जनता को लूटना। उनको कोई रोक नहीं सकता। उसको ये कानून रोकेगा। उसको ये कानून बतायेगा कि देश की जनता के साथ अगर बेईमानी की तो

उसको सजा दिलाई जाएगी। अध्यक्ष जी, अब पूर्व में आसाम के अन्दर एक तहसीलदार के पास जाइयेगा, वहां पर भी वही समस्या से आपको जूझना पड़ेगा जो पश्चिम के अन्दर गुजरात में जूझना पड़ेगा। वहां भी पैसे देने पड़ेंगे और वहां भी पैसे देने पड़ेंगे। कश्मीर में जाइयेगा, पुलिस से काम कराना पड़ेगा तो वहां भी पैसे देना पड़ेगा। चेन्नई में जायेंगे तो वहां भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। इस देश की एकता में, पता नहीं इस देश की अनेकता के अन्दर एक ही एकता है और वह भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार इस देश को जोड़े हुए है। इनको लगता है, नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो इनकी आत्मा उड़ जाएगी। इनके पास बचेगा ही कुछ नहीं। नेता बनने के लिए आज जो हजारों लोग लाईन में लगे होते हैं। देखने वाले नहीं मिलेंगे, ढूंढने वाले नहीं मिलेंगे। जैसे कि हमारी पार्टी को समस्या होती है। जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो घर–घर जाकर के पूछते हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं। कईयों के घर तो वो भी गये हैं। जाते हैं भाई साहब, टिकट ले लीजिए, इलेक्शन लड़ लीजिएगा। बाकी पार्टियों में भी वहीं हो जाएगा कि इलेक्शन लड़ने वाले नहीं मिलेंगे। जिस दिन पता लगेगा कि बिजनिस खत्म। इसलिए ये चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी करना पड़े, प्रपंच करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, जैसा मर्जी करना पड़े। किसी भी तरीके से इस लोकपाल बिल को रोका जाये और इसके ऊपर सभी लोग एक हैं। किसी के अन्दर कोई आपस में मतभेद नहीं है। पार्टियों का मतभेद दूर हो चुका है। एक ही लैंग्वेज भाषा बोलते हैं सारे के सारे। मुझे तो जैसे गोपाल जी ने कहा–एक ही छोटी सी बात कहनी है। इस बिल को रोकने

की कोशिश कांग्रेस ने बहुत की थी। एक बात ये पांडवों को दुर्योधन ने क्या बोला, सूई की नोंक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाये। हमने क्या मांगा था। एक लोकपाल बिल मांगा था। अपने–अपने काम कर रहे थे। कोई नौकरी करता था, कोई अपना काम करता था। कहते थे कुछ भी हो जाये, एक इंच भी जमीन नहीं देंगे। आपको भी समझ लेना चाहिए कि अगर उसी कांग्रेस के जूते आपने पहने तो वो जूते जो कांग्रेस को लगे थे, आपको भी लगेंगे। तो पीछे नहीं रहना। ये बिल, मेरी तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है परन्तु मुझे लगता है कि हो सकता है इतनी सद्बुद्धि भगवान ने दी कि इसको पेश होने दिया गया। इसको पास भी होने दिया जा रहा है। तो हो सकता है ऊपर वाले, उनकी तरफ से कोई इच्छाशक्ति। (व्यवधान)

v/;{k egkn; % जैन साहब एक सेकेण्ड। समय के लिए फिर मेरी प्रार्थना। फिर एक घण्टा बढ़ाने की अनुमति सदन प्रदान करें। चलिए जैन साहब।

(सदन का समय 8.00 बजे तक बढ़ाया गया)

Åtk e=h % इस बिल के अन्दर अध्यक्ष महोदय हमारे कुछ साथियों को दिक्कत कुछ नहीं है। बस एक ही दिक्कत है। वो कहते हैं दिल्ली सरकार ये कानून बनाये। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है परन्तु जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री है वहां पर कुछ न करें। अगर दिल्ली के अन्दर पुलिस और कॉरपोरेशन के बारे

में कुछ कह दिया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इन लोगों को पता है कि पिछली बार ही हमारी 28 सीट आयी थीं और 28 की 67 जो हुईं वो हमारी वजह से बिल्कुल नहीं हुईं। हमने 49 दिन में कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से हो जाये। एक ही काम किया था दिल्ली के अन्दर, 49 डेज के अन्दर हमने भ्रष्टाचार खत्म किया था। अगर वो भ्रष्टाचार फिर से खत्म हो गया तो जिन लोगों ने 68 साल से भ्रष्टाचार के ऊपर रोटियां सेंकी हैं तो उनकी रोटियां कहां सिकेंगी? उनको कोयले की कमी पड़ जायेगी। वो कोल घोटाले कहां से करेंगे? थ्री जी घोटाले कहां से करेंगे और बड़े–बड़े घोटाले जो हो रहे हैं, उनकी थोड़े दिनों में पता लगेगा वो कहां से करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूरी तरह से, अपनी तरफ से समर्थन करता हूं और ये कहता हूं कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, वो ऊपर जायें और इसके समर्थन में अपनी तरफ से गुहार लगायें ताकि ये पास हो सके। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। आप नहीं बोलेंगे?

Jh euh"k fl lksfn;k (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं अपना वक्तव्य बिल प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रख रहा हूं और मुझे लगता है फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी चर्चा के जवाब के साथ आगे आयें।

v/;{k egksn; % माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी।

e[;e=h % (मुख्यमंत्री तथा उनके साथ सदस्यों द्वारा भारत माता की जय, इन्क्लाब जिन्दाबाद इन्क्लाब जिन्दाबाद। वन्दे, मातरम, वन्दे, मातरम के नारे लगाये गये)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाकई आज का दिन पूरा लोकपाल आन्दोलन के लिए एक बहुत ही भावुक दिन है। सबसे पहले इस सदन के माध्यम से मैं हम सबके गुरू अन्ना हजारे जी को नमन करता हूं। उनको प्रणाम करता हूं। इस आन्दोलन में हजारों–हजारों वालन्टियर्स, जिन लोगों ने समय–समय पर हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि नियति ने, भगवान ने हम सब लोगों को तो शोहरत दी। आज लोग हमें जानते हैं। इस सदन के अन्दर बैठे हुए सभी विधायकों को भी जानते हैं लेकिन ऐसे हजारों वालनिटयर्स हैं जिन लोगों, जो फेसलेस वालन्टियर्स हैं। जिन लोगों ने इस पूरे आन्दोलन के अन्दर हिस्सा लिया, अपनी नौकरियां छोड़ दीं, अपनी दुकानें बन्द कर दीं। अपने बीवी–बच्चे बर्बाद हो गये उन लोगों के। उन लोगों ने लाठियां खाईं। वो जेल गये। उन सभी वालन्टियर्स को मैं नमन करता हूं। इस आन्दोलन में हजारों लोगों ने, आम लोगों ने, आम आदमी ने इस देश के हजारों–हजारों, लाखों लोगों ने इस आन्दोलन के अन्दर हिस्सा लिया। उन सबको मैं नमन करता हूं। मुझे याद आ रहा है 4 अप्रैल, 2010 का दिन था जब अन्ना हजारे जी जन्तर–मन्तर पर आकर बैठे थे। सितम्बर, 2010 के आसपास हम कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने एक लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया था। कई सारे देशों के कानून अध्ययन किए

थे। हांगकांग का कानून अध्ययन किया था और भी कई सारे कानून अध्ययन किए थे और एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद बाबा रामदेव जी जुड़े इस पूरे आन्दोलन के साथ। श्री रवि शंकर जी जुड़े इस आन्दोलन के साथ। किरण बेदी जी जुड़ी इस आन्दोलन के साथ। प्रशासन भूषण जी जुड़े इस आन्दोलन के साथ और कई लोग समय–समय पर जुड़े इस आंदोलन के साथ। उन सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, उनका वंदन करता हूं उनको सलाम करता हूं। ये कानून पास करना था। हम लोगों को ये लगा करता था कि अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार हो जाए और मेरे पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो मैं किस के पास जाऊं कौन सी वह निष्पक्ष एजेन्सी है, जिस के पास मैं जाऊं। आम आदमी के तौर पर और मैं जाकर कहूं जी ये यहां पर फलानी जगह भ्रष्टाचार हो गया इसके ऊपर पर एक्शन लो। कोई ऐसी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी नहीं थी। पुलिस है, पुलिस भी सरकार के कंट्रोल में आती है। सी.बी.आई. है, सी.बी.आई. भी सरकार के कंट्रोल में आती है। जितनी एजेंसियां हैं, सारी सरकार के कंट्रोल में आती थीं। तो जब हमने दूसरे देशों का कानून स्टेडी किया तो पता चला कि एक ऐसी इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी होनी चाहिए जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं आए। तो हम लोगों ने कानून ड्राफ्ट कर लिया। कानून ड्राफ्ट करना तो बड़ा आसान था। चार लोग बैठ गए कानून ड्राफ्ट कर लिया। इसको पास कैसे कराएं। तो हम अन्ना हजारे जी के पास गए, अन्ना हजारे जी हमारे गुरु थे। राइट टु इन्फार्मेशन के आन्दोलन से उनके हम सम्पर्क में थे। राइट टु इन्फार्मेशन के लिए भी उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किए थे। जब अन्ना

जी से हम लोग मिले तो अन्ना जी ने कहा कि ठीक है, मैं जंतर मंतर पर आकर आंदोलन करूंगा, आप लोग वहां पर जनता के बीच में इसके लिए मोविलाइजेशन चालू कीजिए। मुझे याद है 4 अप्रैल के दो तीन दिन पहले मैं कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया हम तीन चार लोग बैठे थे और हम सोच रहे थे कि यार, चार अप्रैल को अन्ना जी आ रहे हैं, 200–300 लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्या? मैं ये इस लिए कह रहा हूं हमारी कुछ भी औकात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं। हमारे पीछे चार आदमी नहीं खड़े थे। हम कुछ नहीं थे। कुछ न कुछ तो कुदरत का चमत्कार हुआ। अन्ना जी आए, 4 अप्रैल को अन्ना जी अनशन पर बैठे। हम लोग स्टेज पर थे। पहले 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग फिर हजार हुए, फिर 2000 हजार हुए और होते–होते कुछ तो चमत्कार हुआ, दो तीन दिन के अंदर ऐसे लगा जैसे सारा देश इकट्ठा हो गया। ऐसे लगा जैसे हर शहर अंदर लोग मोमबत्ती लेकर निकल पड़े। जगह–जगह बम्बई के अंदर, फलानी जगह, इधर–उधर, साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर पूरे देश के अंदर लोग मोमबत्ती लेकर निकल पड़े। कुछ तो कुदरत का करिश्मा था। कुछ न कुछ तो चमत्कारिक हो रहा था। चार दिन के अंदर 9 अप्रैल को केन्द्र सरकार को एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी पड़ी। जिसमें पांच केन्द्रीय मंत्री इतने बड़े–बड़े मंत्री, उसमें उस वक्त प्रणब मुखर्जी साहब, चिदम्बरम साहब थे, कपिल सिब्बल साहब थे, मोइली साहब थे और एक मंत्री थे और पांच हम छुटके–छुटके लोग उनके साथ बैठा करते थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने धोखा दिया। सब लोगों ने देखा पूरे देश ने देखा उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने धोखा दिया।

उनके साथ कई मीटिंग हुईं। मीटिंग में चर्चा करते थे, चर्चा करते थे। मेरे ख्याल से 10 मीटिंग हुई कि 13 मीटिंग हुई उनके साथ और उन 10 या 13 मीटिंग्स के बाद आखिरी में अचानक वो पांचों लोग एक ड्राफ्ट लेकर आ गए। बोले जी, बस ये ड्राफ्ट है। हमने कहा कि इतनी सारी मीटिंग्स हुई इतनी चर्चा की उसका? बोले वो सब खत्म। बस ये ड्राफ्ट है अब। तो ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। सारे देश ने देखा धोखा हो गया। देश की जनता बड़ी सयानी है। देश की जनता समझती है, बोल सकती नहीं है जनता लेकिन समझती है और जब टाईम आता है तो अपना वोट देकर वो बताती है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। देश की जनता देख रही थी कि सच्चाई हमारे साथ है, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे थे। अन्ना जी अपने लिए थोड़े ही बैठे थे वहां अनशन पर। 75 साल की उम्र में वो बूढ़ा आदमी अपने लिए थोड़े ही बैठा था। फिर 16 अगस्त का दिन आया। जब इन्होंने ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी ने धोखा दिया तो अन्ना जी ने कहा दोबारा अनशन करेंगे। 16 अगस्त का दिन आया इन्होंने अन्ना जी को उठाकर जेल में डाल दिया। तो जो नहीं होना था वो हो गया, सारा देश खड़ा हो गया। 16 अगस्त से 27 अगस्त की जो अगस्त क्रान्ति थी, ऐतिहासिक क्रान्ति थी। मुझे लोग बताते हैं शायद जे.पी. के टाईम में इस किस्म के लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद शायद अभी लोग इकट्ठे हुए थे। फिर सरकार ने धोखा दिया, उसके बाद फिर से उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया ये करा वो करा और फाइनली जो कानून लेकर आए वो देश के साथ एक धोखा था। सारा देश समझ गया कि इनकी इच्छा नहीं, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और चैलेंज करते रहे ये लोग बार–बार

चैलेंज करते थे खड़े होकर। कानून बनाना है अपने हिसाब का कानून बनाना है तो चुनाव लड़ के दिखाओ, चुनाव लड़े के दिखाओ। हम कहते थे कि जी, हम कभी चुनाव लड़े ही नहीं। हमको चुनाव लड़ने नहीं आते। हमारे पास न पैसा है ना आदमी है ना हमको चुनाव लड़ने आते हैं, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। वो तो चैलेंज करते थे अपने हिसाब का कानून बनाना है तो चुनाव लड़ के दिखाओ। लेकिन पिछले तीन चार साल में मुझे ये लगने लगा है कि ये जो आम आदमी है ना ये बड़ा ताकतवर है। इसको चैलेंज करने की कोई हिम्मत न करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आम आदमी जिस दिन खड़ा हो जाता है उस दिन बड़े–बड़ों के सिंहासन डोल जाते हैं। आम आदमी खड़ा हो गया। इस देश का आम आदमी इकट्ठा हो गया। जब इस देश के आम आदमी ने देखा कि ये जो सत्ता में बैठे हैं, संसद के अंदर बैठे हैं बड़े–बड़े महलों में बैठे हैं, ये लोग धोखे पर धोखा दे रहे हैं तो आम आदमी ने तय किया कि इन छोटे–छोटे लोगों को अब अंदर भेजना है। इन छोटे–छोटे लोगों ने, आम आदमियों ने फिर अपनी पार्टी बनाई। 'आम आदमी पार्टी'। 'आम आदमी पार्टी' जब बनी तो बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। इनकी एक भी सीट नहीं आएगी। ये केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल ले बाकियों की तो जमानत जब्त होएगी। लेकिन फिर से कुदरत ने एक चमत्कार किया और एक साल के अंदर ही इस आम आदमी की 28 सीट आ गई। ये कानून हमारा कानून नहीं है। ये कानून इस देश की जनता का कानून है। इस देश की जनता ने जब देखा कि लोकपाल कानून जब पास नहीं हो रहा आंदोलन से तो इस देश की जनता में 28 सीट देकर भेजा। और इस देश की जनता ने जब देखा कि 28 सीट से भी कानून पास

नहीं हो रहा तो इस देश की जनता ने 67 सीट देकर भेजी अब कसर नहीं। जनता ने कह दिया अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अब अंदर जाओ और कानून बनाओ। 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन के अंदर लोकपाल की इंतजार नहीं किया हम लोगों ने। 49 दिन आज भी इस देश की जनता याद करती है जिस तरह से भ्रष्टाचार खत्म किया गया था उस 49 दिन के अंदर। एक–एक आदमी की जिंदगी के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, एक ऐसी दहशत फैल गई थी चारों तरफ कि अब अगर कोई पैसे मांगेगा तो उसकी ऐसी तैसी, उसको छोड़ेगी नहीं सरकार। और कई लोग जेल गए थे। लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ था उन दिनों के अंदर जिस आदमी के नाम से इस देश की सत्ता में बैठे सब घबराते हैं, इस देश का सबसे बड़ा इण्डस्ट्रियलिस्ट कौन है, मुकेश अंबानी। मुकेश अम्बानी के खिलाफ किसी भी पार्टी चाहे बी.जे.पी. ले लो, चाहे कांग्रेस वाले। कोई पार्टी ले लो सारे घबराते हैं उसके नाम से। उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने एफ.आई.आर. दर्ज करने by नेम एफ.आई.आर. दर्ज करने की हिम्मत की थी उनके खिलाफ। मुकेश अंबानी जी के खिलाफ, विरप्पा मोईली जी खिलाफ इनकी खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। आज ये लोग कह रहे हैं सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट इसके दायरे में नहीं आती। उस टाइम इन्होंने सबने शाबाशी दी थी बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। जब कांग्रेसियों की क्रप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे तो बड़ा अच्छा काम करा, बी.जे.पी. वालों की क्रप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट कब्जे में नहीं आती। ये समझ में नहीं आया। तो उन दिनों में हम लोगों ने एफ.आई.आर. की, कॉमन वेल्थ खेलों के खिलाफ एफ.आई.आर. की। एम.सी.डी. के स्ट्रीट लाइटिंग के खिलाफ एफ.आई.

आर. की। जल बोर्ड के बहुत बड़े घोटाले के खिलाफ एफ.आई.आर. की। पी. डब्ल्यू.डी. के अंदर घोटालों के खिलाफ एफ.आई.आर. की। बड़ी–बड़ी एफ.आई. आर. की उन दिनों ए.सी.बी. में। उसके बाद में हम लोकपाल बिल इसी विधान सभा के अंदर मुझे याद है, प्रजेन्ट भी नहीं होने दिया गया था। प्रस्तुत भी नहीं होने दिया गया था। उन्होंने आकर मेरा माईक तोड़ दिया था, यहां पर चूड़ियाँ रखी थी, यहां पर अदरक रखी थी। पता नहीं क्या क्या? ये वहां पर कांग्रेस वाले बैठा करते थे, यहां पर सारे बी.जे.पी. वाले बैठा करते थे। तो उन लोगों ने जिस तरह से इस विधान सभा का मजाक उड़ाया था वो सारे देश ने देखा था, सारी जनता देख रही थी। तभी जनता ने तय कर लिया था कि इन लोगों को हराना है। इन लोगों से बदला लेना है। जनता ने तय कर लिया था। उसके बाद 67 सीट आई अपनी। दोबारा सरकार बनी। लोकपाल बिल की इंतजार किए बिना, लोकपाल तो लाना ही था उसकी ड्राफ्टिंग हम लोगों ने तैयार कर दी थी, करनी शुरू कर दी थी। उसकी इंतजार किए बिना हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार दूर करना चालू कर दिया था। लेकिन 3 या 4 मई, 8 जून से पहले एण्टी करप्शन ब्रांच अपने अण्डर में आया करती थी। 8 जून से पहले इसी एण्टी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली के अंदर दहशत फैला दी थी। वही दहशत जो 49 दिन में देखने को मिली थी। दिल्ली के अंदर सब लोग डर गये थे। सारे अफसर डर गये थे कि अब अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो पकड़े जायेंगे और हमारी ऐसी तैसी हो जायेगी। अभी 8 जून से पहले एण्टी करप्शन ब्रांच ने जो केस मुकेश अम्बानी के खिलाफ किया था, उस केस के अंदर उन रिलायंस वालों को समन करना, चालू कर दिया था, उनके सी.ई.

ओ. को सम्मन करना चालू कर दिया था। जो केस हमने पी.डब्ल्यू.डी., जल बोर्ड और इन सबके खिलाफ किये थे, उन सब में सम्मन करना चालू कर दिया था और अचानक 8 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपनी पैरा मिलिट्री फोर्स भेज कर एण्टी करप्शन ब्रांच पर कब्जा कर लिया, और 8 जून के बाद से जो अब तक मुझे जानकारी मिली है। ये सारे बड़े–बड़े केसेज जो हमारे लोगों ने खोले थे, मुकेश अम्बानी के खिलाफ, जल बोर्ड के...उसमें पुराने बड़े–बड़े नेता फंस रहे थे। अंत में सारे एक साथ हैं जी, बी.जे.पी. कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। बी. जे.पी. आती है, वह कांग्रेस वालों को बचाती है, कांग्रेस वाले आते हैं, बी.जे. पी. वालों को बचाते हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी? हम तो उनके पुराने वालों की ऐसी तैसी कर रहे थे। बी.जे.पी. को उनको बचाने की क्या जरूरत है? लेकिन बचा रहे हैं। तो इन लोगों ने 8 जून के बाद से लेकर आज तक एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ भाई साहब। मुकेश अम्बानी के खिलाफ एक भी नोटिस जारी नहीं हुआ। सारे केसेज ठण्डे बस्ते में डाल दिए सारे के सारे। हम अपना काम कर रहे थे। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक पुल बनना हो ढाई सौ करोड़ की लागत हो, नॉर्मली क्या होता है कि ढाई सौ करोड़ का अगर पुल बनना होता है, तो जब तक बनता है तो वैसे ही दस साल बीत जाते हैं। और जब तक बनता है उसका ढाई सौ करोड़ नहीं ढाई हजार करोड़ की उसकी लागत बन जाती है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि ढाई सौ करोड़ की लागत से शुरू हुआ और डेढ़ सौ करोड़ में पुल बन कर तैयार हो गया और समय से पहले बनकर तैयार हो गया। हमने लोकपाल का इन्तजार नही किया, अंदर साफ है, आत्मा साफ

है हमारी। हमने लोकपाल का इन्तजार नही किया। एक दिन अचानक किसी ने बताया हमारा एक मंत्री गड़बड़ कर रहा है, कोई अखबार वालों ने नहीं, विजेन्द्र जी को भी पता नहीं चला था उसके बारे में, आपने नहीं बताया था हमें उसके बारे में। हमें खुद ही पता चला था तो मैंने और मनीष ने सारी रात बैठकर वो वाला वीडियो...मैंने और मनीष ने पूरी रात बैठकर वीडियो देखा और जब पता चला कि उसके अंदर वाकई गड़बड़ है, बिना किसी दबाव के हमने अपने मंत्री को अपना रास्ता दिखा दिया, कैबिनेट से बाहर कर दिया। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी सी.एम.एस. ने... सैन्टर फॉर मीडिया स्टडीज है शायद, उसने एक सर्वे किया था, जिसमें यह निकल कर आया कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार में भारी गिरावट आई है। तो दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार बिना लोकपाल के ही काफी कम हो गया है, लेकिन कभी दस साल बाद, 15 साल बाद, बीस साल बाद हमारी सरकार रहे न रहे, अपने को सिस्टम ऐसा बनाना है कि चाहे हम रहें न रहें, ये भ्रष्टाचार हमेशा कम होना चाहिए, इसीलिए लोकपाल बिल लाना जरूरी है। जब तक अपनी सरकार है, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो भ्रष्टाचारियों की ऐसी तैसी कर ही रहे हैं, लेकिन अपने को लोकपाल बिल की इसीलिए जरूरत है कि कहीं कल को उनकी सरकार बन गई, तो फिर ये लोकपाल उनकी ऐसी तैसी करेगा, उनको करने नहीं देगा।

हमने बिजली कम्पनियों का सी.ए.जी. ऑडिट ऑर्डर किया, आज तक कई सारे ऐसे राज्य हैं, जिनके अंदर प्राइवेट बिजली कंपनियां काम कर रही हैं, एक भी किसी भी राज्य ने बिजली कंपनियों के खिलाफ सी.ए.जी. ऑडिट ऑर्डर नहीं किया। हम लोगों ने 49 दिन की सरकार के अंदर ऑडिट ऑर्डर करके गये

थे और अब ऑडिट रिपोर्ट की डाफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गयी थी तो ये अड़चन आ गयी, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ो तो उसके अंदर हजारों करोड़ का घपला निकलकर आया है। 8 हजार करोड़ का घपला निकल कर आया है।

अभी कल शायद हम लोगों ने एम.एल.एज. की सैलरी बढ़ाने का, एम.एल.एज. की तनख्वाह बढ़ाने का बिल पास किया और चारों तरफ कई मीडिया वाले कह रहे हैं...तनख्वाह बढ़ा दी.. तनख्वाह बढ़ा दी। मैं कहना चाहता हूं कि जितने आपके मालिकों को तनख्वाह मिल रही है, उससे बहुत कम...उससे 1/20 भी नहीं मिल रही है जितनी चैनल मालिकों को तनख्वाह मिलती है। जितनी चैनल्स के एडीटर्स को तनख्वाह मिलती है, उससे 1/20 भी नहीं मिल रही। जितने चैनल्स वालों के बड़े–बड़े एंकरर्स को मिलती है जो कोट पैंट टाई पहनकर रोज रात को डिबेट में आते हैं। इनको जितनी तनख्वाह मिलती है, इनकी ड्रेस पर जितनी तनख्वाह खर्च होती है, उतनी हमारे एम.एल.ए. को बढ़ने के बाद भी नहीं मिल रही है। उतनी भी तनख्वाह नहीं मिल रही, बताओ। 12 हजार रु. महीना मिला करती थी। अब जिन लोगों ने पैसे कमाने हैं, जिनकी ऊपर की कमाई है। उनको तो 12 हजार भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे सारे एम.एल.ए. ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनमें कई तो ऐसे फक्कड़ हैं बिल्कुल...बाकी हो रहे हैं। ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 12 हजार रु. तो स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेज भी नहीं है। स्किल्ड लेबर का भी शायद 13 हजार है, 14 हजार है। स्किल्ड लेबर की भी ज्यादा है, तो इनको उतनी तो दे दो कम से कम। तो हमने 12 हजार से बढ़ाकर 50 हजार

की है और 50 हजार कांस्टिट्युएन्सी एलाउन्स है, एक लाख रु. महीना की है। बाकी सारे एलाउन्स है। कोई कन्वैन्स एलाउन्स है, भई, अपनी विधान सभा में घूमना है तो पेट्रोल तो चाहिए। टेलीफोन का एलाउन्स है तीन स्टॉफ मेम्बर रखने की, वो सारे तो खर्चे हैं। एक लाख रु. महीना बताओ कौन सी बड़ी बात हो गयी। एक लाख रु. महीना दे दिया...हंगामा मचा पड़ा है चैनल्स पर. ..ये कर दिया...वो कर दिया। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तनख्वाह हो गयी।... अगर प्रधान मंत्री की इससे कम है तो बढ़नी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की तनख्वाह भी गलत है। मुद्दा ये उठता है कि प्रधानमंत्री का काम कैसे चल रहा है? ...नहीं, प्रधानमंत्री की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हम सारे मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की तनख्वाह बढ़ाये, एक लाख रु. शोभा भी नहीं देता। कल को ओबामा से मिले और ओबामा पूछे कि कितनी तनख्वाह है। कहें एक लाख रु. महीना, बताओ क्या शोभा देता है अपने प्रधानमंत्री को? तो उनको अपनी तनख्वाह कम से कम 8–10 लाख रु. महीना करनी चाहिए। थोड़ा...तो ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे एम.एल.एज. ईमानदारी से काम करें, अच्छी तनख्वाह दो, अच्छी फैसिलिटीज दो। अच्छा काम करने की सहूलियत दे और फिर कोई गड़बड़ करे तो बख्शो मत, उसको जेल भेजो।

मैं थोड़ा सा ध्यान इसको इम्पोर्टंट प्रोविजन्स की ओर दिलाना चाहता हूं, जो ये कानून है। ये कानून एक कमेटी बनाई गई है, सलेक्शन कमेटी। वह सलैक्शन कमेटी लोकपाल का चयन करेगी। शुरू में हमने चार लोगों को इसमें डाला था विध ाान सभा अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस। कई लोगों को एतराज हुआ, अन्ना जी से मिले, अन्ना जी बोले तीन आदमी और डाल दो।

हमने तीन आदमी और डाल दिये। अपने को क्या फर्क पड़ता है? तो उसमें एक जज और डाल दिया एक एमिनेन्ट और डाल दिया और एक पूर्व लोकपाल डाल दिया। भई, हमारी नीयत खराब होती तो हम सोचते। हमारी तो नीयत खराब नहीं है। अन्ना जी कहते कि 5 आदमी डाल दो, हम 5 डाल देते। अन्ना जी बोले तीन डाल दो। हमने तीन डाल दिए। तो जो अन्ना जी ने कहा, सर माथे पर। फिर उसको हटाया कैसे जायेगा, तो हमने तो अपनी शान में ये सोचा था कि जैसे जजों को हटाया जाता है, इम्पीचमैन्ट मोशीन होता है, मतलब कितना मुश्किल होता है। इम्पीचमैन्ट मोशन। मतलब 2/3 मेजोरिटी से। हमने तो वही रखा था 2/3 बोले नहीं, वही पिछले वाला जो था हाई कोर्ट वाला, वही डालो। हमने वही डाल दिया। हमने कहा हाई कोर्ट भी ले लो। इम्पीचमैन्ट भी ले लो। दोनों ले लो। खुश रहो। दोनों डाल दिए। अब कह रहे हैं कि ज्युरिसडिक्सन...कुछ लोग कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और केन्द्र सरकार के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आने चाहिए। जैसे अभी सत्येन्द्र जी ने बताया, कि भई, अगर एक दरोगा है, एक पुलिस वाला है, पुलिस इन्सेपक्टर है, आज अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगर मर्डर करें तो दरोगा जाकर उनको गिरफ्तार कर सकता है। दरोगा की पॉवर है। वो ये नहीं कहते कि अगर मैं मर्डर करूं तो दरोगा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनको पता है, मर्डर तो करना नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के तहत इसके दायरे में नहीं आना चाहिए क्यों? क्योंकि वो तो करना है। भ्रष्टाचार इसके दायरे में नहीं आना चाहिए। बाकी...मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं कह रहा। मैं तो केन्द्रीय...मेरा ये कहने का मतलब है...वो तो मजाक की बात थी। लेकिन असलियत

ये है...संविधान आइटम नं. वन एण्ड टू ऑफ कन्करैण्ट लिस्ट, आई.पी.सी. और सी. आर.पी.सी. दिल्ली सरकार के, दिल्ली विधानसभा के दायरे में आता है। कन्करैण्ट लिस्ट में। देश का संविधान दिल्ली सरकार को ये दायित्व देता है, ये जिम्मेदारी देता है कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होगा तो उस भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी सदन की हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है और उस जिम्मेदारी से ये सदन भागने वाला नहीं है, उस जिम्मेदारी से ये सरकार भागने वाली नहीं है। हम अपने संविधान के अंदर जो हमें जिम्मेदारी दी गयी है, उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं और ये कानून उसी दिशा में एक कदम है। इस कानून के अंदर लोकपाल की अपनी एक इंडिपेंडेंट इनवेस्टिगेटिव एजेंसी है। इंडिपेंडेंट प्रोसीक्यूशन एजेंसी है। टाइम बाउंड मैनर में इनवेस्टिगेशन पहली बार हम देखते हैं। टूजी का मामला कब से चल रहा है, मगर जाते हैं लोग, जो कक्यूज्ड लोग हैं, वो मर जाते हैं। चलते ही रहते हैं केसेस। इसमें छह महीने के अंदर इनवेस्टिगेशन पूरी करने का है, छह महीने के अंदर मुकदमा पूरा करने का है कि अगर जो मुकदमा चलेगा, जांच पूरी होने के बाद मुकदमा कोर्ट में जाएगा तो दिल्ली सरकार चीफ जस्टिस के साथ मिलकर इतने कोर्ट बनाएगी कि कोर्ट के अंदर छह महीने के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार का मुकदमा पूरा हो जाएगा। अगर लोकपाल को लगेगा कि किसी अफसर ने या किसी नेता ने कोई भी प्रोपर्टी भ्रष्टाचार से अर्जित की है तो लोकपाल को यह पावर कर दी गई है उस प्रोपर्टी को अटैच करने के लिए। जब जांच चल रही है उसी वक्त, जांच के वक्त उस प्रोपर्टी को अटैच किया जा सकता है। इस कानून के तहत, सजा भी बढ़ाई गई है। दस साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा बढ़ा

दी गई है। पहले सात साल मैक्सिमम सज़ा थी, बढ़ा कर दस साल कर दी गई है और वो भी life imprisonment in rarest of rare case में।

हर अफसर को सलाना तौर पर अपनी प्रोपर्टी स्टेटमेंट देने पड़ेंगे, 31 जनवरी तक प्रोपर्टी स्टेटमेंट अपने और अपने पूरे परिवार के देने पड़ेंगे और अगर वो प्रोपर्टी स्टेटमेंट नहीं देते तो अगले महीने की उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। फरवरी की उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी।

व्हिसल ब्लोअर्स को, जो शिकायत करते हैं, कितने देश के अंदर हमने देखे हैं व्हिसल ब्लोअर्स का कत्ल कर दिया गया। यह कानून पहली बार व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने की बात करता है कि लोकपाल की जिम्मेदारी होगी व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देने की। आज कल हम देखते हैं कोई भी अफसर रिटायर होता है, रिटायर होने के अगले दिन वो उसी कंपनी के अंदर जाकर लग जाता है, जिसको टेंडर दे रहा था। पी.डब्ल्यू.डी. में था किसी कंपनी को टेंडर दिया और रिटायरमेंट के बाद उसी कंपनी में जाकर लगा। बिजली कंपनी, पावर सेक्रेट्री था और अगले दिन रिटायर हुआ और उसी बिजली कंपनी में जाकर लग गया। यह गड़बड़ है। इसका मतलब है रिटायरमेंट के पहले सैटिंग कर लेते हैं वो। रिटायरमेंट के पहले उनको फायदा पहुंचाते हैं और फिर जाकर वहां पर लग जाते हैं इस कानून के अंदर पहली बार लिखा गया है कि दो साल तक आप किसी कंपनी में नहीं जा सकते। टूजी के अंदर हमने देखा है, टूजी घोटाले के अंदर एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का बताते हैं कि सरकार को नुकसान हुआ, देश को नुकसान हुआ और सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग के

दौरान बताया गया कि पांच हजार करोड़ रुपये की रिश्वत चली। इस कानून में पहली बार लिखा है कि जितना सरकार को नुकसान होगा उसका पांच गुना नुकसान उन लोगों से लिया जाएगा तो एक लाख 76 हजार करोड़ मतलब लगभग साढ़े आठ लाख करोड़ रुपये इनसे रिकवर किए जाते अगर ये कानून होता तो। तो दोस्तों बहुत ही सख्त कानून लाया जा रहा है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कमजोर कानून है। हम कह रहे हैं चलो कमजोर कानून है, इतना ही पास कर दो। आप लोग चलो कमजोर ही पास कर दो। आपका तो अच्छा ही है कमजोर पास होएगा और हमारा, हमारा मत करो, चलो यह कमजोर कानून अपने बी. जे.पी. के राज्यों में करा लो, कांग्रेस के राज्यों में इतना ही करा लो चलो। इतना ही कराओ।

एक कहानी है, एक महिला थी उसका बेटा गुड़ खाया करता था तो वो एक पंडित जी के पास गई, संत के पास बोली कि यह गुड़ बहुत खाता है इसको समझाओ। बोला–बहन, पन्द्रह दिन के बाद आना तो वो पन्द्रह दिन के बाद गई तो वो बच्चे को बोला–बेटा गुड़ न खाया कर, गुड़ खाना ठीक नहीं है तो वो बहन बोली जी यह पन्द्रह दिन पहले ही कह देते। दोबारा क्यों बुलाया मेरे को। बोले–पन्द्रह दिन पहले मैं भी गुड़ खाया करता था। इन पन्द्रह दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ा, पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा। अब मैं अपने अंदर से कह सकता हूं कि बेटा गुड़ मत खाया कर, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है तो मैं बी.जे.पी. और कांग्रेस वालों से कह रहा हूं पहले लोकपाल पास करो, फिर कहना कि लोकपाल ठीक नहीं है।

अंत में, मैं विजेन्द्र गुप्ता जी ने कई सारे अमेंडमेंट्स वगैरह प्रपोज किए हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कुछ न कुछ हो सकता है टेक्नीकल गलतफहमी हो। हम लोग अलग से बैठेंगे, आपको मैं सारा समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। यह डॉक्युमेंट इन्होंने कहा पोलिटिकल डाक्युमेंट है बिल्कुल पोलिटिकल डॉक्युमेंट है, सर, पोलिटिक्स में हैं। पोलिटिक्स में है पोलिटिक्स करते हैं अच्छी पोलिटिक्स करते हैं, ईमानदार पोलिटिक्स करते हैं, लोकपाल की पोलिटिक्स करते हैं लेकिन जो–जो गलतफहमी है जिसमें यह लग रहा है कि यह संविधान के खिलाफ है। मैं आपको समझा दूंगा सारा संविधान के हिसाब से है और मेरा निवेदन है हम सारे मिल कर चलेंगे केन्द्र सरकार के पास, आपको साथ लेकर चलेंगे, सारा सदन चलेगा, राष्ट्रपति जी के पास भी चलेंगे, प्रधानमंत्री जी के पास भी चलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वो इस कानून को पास करे। जैसा गोपाल भाई ने बताया कि अगर पास नहीं करेंगे तो फिर उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। आप सब लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और इस कानून को पास करा कर रहेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अपना सपना है, लोगों ने इसलिए अपने को अंदर भेजा है जब तक लोकपाल पास नहीं होता, उसी ईमानदारी के साथ अपने को काम करना है, जिस तरह से हम काम करते रहे हैं और अंत में मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी लोकपाल बिल भी पास होगा और आज सुबह ही मेरी अन्ना जी से बात हुई थी फोन पर। उन्होंने कहा था कि यह ऐसा लोकपाल अपने को पास करना है कि पूरा देश देखेगा और फिर बोले कि एक–एक राज्य के अंदर चलेंगे और हर राज्य के अंदर इस तरह का लोकपाल बिल पास करायेंगे तो इस लोकपाल बिल का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बहुत–बहुत शुक्रिया।

v/;{k egkn; % माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं अब...(व्यवधान)

(पूरे सदन में भारत माता की जय का उद्घोष)

Jh fotUnj xIrk % अध्यक्ष जी, यह परंपरा के खिलाफ है और अनुशासन के खिलाफ है सदन के अंदर नारे लगाना।

v/;{k egkn; % यह भारत माता की जय बोलने से?

Jh fotUnj xIrk % कोई भी नारा हो।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि लोकपाल आंदोलन से जुड़े हुए एक–एक कार्यकर्ता के लिए, जिनमें से कुछ यहां बैठे हैं और हजारों–लाखों आज वेबकास्ट चल रहा है, इसका वेबकास्ट चल रहा है ...(व्यवधान)

v/;{k egkn; % मनीष जी, एक मिनट। ऊपर जो हलचल हो रही है कृपया शांत बैठ जाये। जो जहां खड़े हैं, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, शांति से बैठ जाये। धन्यवाद। मंत्री जी।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट चल रहा है। देश और दुनिया में तमाम सात समुंदर पार भी, जो लोग लोकपाल आंदोलन से तन–मन–धन से जुड़े थे, वो लोग इस कार्यवाही को देख रहे होंगे

और देख रहे हैं और बहुत शिद्दत से सब लोग जो कानूनी कार्यवाही का हिस्सा होते हैं किसी भी बिल के बनने के तीन आखिरी वाक्य होते हैं वो वाक्य सुनने का इंतजार कर रहे होंगे, जब मैं आपसे आग्रह करूं कि इस बिल को पारित किया जाये और यहां सदन करतल–ध्वनि से उसको पारित करे और उसके बाद उसी करतल–ध्वनि से आप जादुई आवाज में कहें कि बिल पास हुआ, बिल पास हुआ, बिल पास हुआ। उससे पहले वो लम्हा लोकपाल आंदोलन, मैं गोपाल भाई से सहमत हूं कि यह आंदोलन का हिस्सा है। यह लम्हा भी उसी आंदोलन का ही हिस्सा है। वो बस कुछ क्षण दूर है और उससे पहले जो मैंने सुबह, जिसका जिक्र अरविंद भाई ने भी किया, गोपाल भाई, सत्येन्द्र भाई ने भी किया कि अन्ना जी के सुझाये हुए तीन–चार संशोधन जो आपके समक्ष मैंने सुबह प्रस्तुत किए थे सदन के समक्ष, वो संशोधन भी पारित कराने हैं और उससे पहले दो बातें मैं जोड़ना चाहता था, क्योंकि बार–बार केन्द्र पर लाकर बात छोड़ी जा रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि :

कभी सुना है अंधेरों ने सुबह न होने दी हो

अंधेरा है तो है सुबह तो होगी

और अभी विजेन्द्र भाई 1989 की कमेटी की बात कर रहे थे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं विपक्ष के साथियों से भी और वो तमाम साथी, जो अभी 1980 के दौर में जी रहे हैं, उसके बाद से पानी कितना आगे बह चुका है। इसी सदन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में भी बैठ चुकी है, विपक्ष

में भी बैठ चुकी है, कई चुनाव भी लड़ चुकी है कम से कम चार बार मैनिफेस्टो में तो भारतीय जनता पार्टी यह कह चुकी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना है। उस दिल्ली की विधान सभा के जितने अधिकार मिले हुए हैं कम से कम उन अधिकारों के साथ तो खड़े हों। तीन चीजों को छोड़कर पूर्ण राज्य का दर्जा। तीन चीजों को छोड़कर दिल्ली को राज्य का दर्जा और जिन चीजों पर दिल्ली को राज्य का दर्जा है इस विधानसभा को राज्य का दर्जा है कम से कम उन चीजों पर तो खड़े हों। मुझे समझ नहीं आता, हमारे कपिल भाई बैठे हैं, कपिल मिश्रा जी, पानी के मंत्री हैं, मुझे समझ नहीं आता कि कल को कपिल भाई अगर पानी का बिल न भरने पर या पानी चोरी करने पर दिल्ली जल बोर्ड के एक्ट का सहारा लेते हुए केन्द्र सरकार के किसी मंत्री या केन्द्र सरकार के किसी अफसर या डी.डी.ए. के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करें तब भी क्या यह कहा जाएगा कि नहीं साहब, ये दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, ये तो केन्द्र का मसला है। सतेन्द्र भाई बैठे हुए हैं, बिजली का विभाग देखते हैं, बिजली मंत्री है, पॉवर मिनिस्टर कल को कोई बिजली चोरी करे, बिजली का बिल न भरे, इनके विभाग में इनके कानून के हिसाब से जो जो भी उसमें अपराध लिखे हुए हैं, उन अपराधों में से कोई करे तो क्या कल ये माना जाएगा कि अगर वो केन्द्र सरकार का कर्मचारी या अधिकारी हुआ तो उस पर तो कार्रवाई कोई और करेगा और दिल्ली सरकार का हुआ तो कार्रवाई इनका विभाग करेगा। ऐसा डिवीजन कहां है, ऐसा डिवीजन तो कहीं नहीं है, फिर ये हवा भी बांट लेंगे, पानी भी बांट लेंगे, बिजली भी बांट लेंगे तो मुझे

समझ में नहीं आता कि पी.सी. एक्ट में, अरविन्द भाई ने मर्डर का जिक्र किया कि कोई व्यक्ति मर्डर करे तो आई.पी.सी. या सी.आर.पी.सी. के तहत ये नहीं देखा जाता कि वो केन्द्र सरकार का कर्मचारी है, राज्य सरकार का कर्मचारी है या कौन है। मर्डर है, उल्लंघन हुआ है कानून का, पकड़ो, सिपाही पकड़ेगा, दरोगा पकड़ेगा उसको फिर पी.सी. एक्ट में ऐसा क्या हो गया कि नहीं जी पी.सी. एक्ट का वॉयलेशन होगा तो वहां केन्द्र के लिए अलग व्यवस्था होगी राज्य के लिए अलग व्यवस्था होगी ये बड़ा फिक्शीसियस सा ग्राउंड है। इन सब चीजों को लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं इस सदन में। मैं बहुत फाइलों पर भी देखता हूं आदरणीय मदनलाल खुराना जी भी एक समय बैठे थे इन कुर्सियों में, साहब सिंह वर्मा जी भी बैठे हैं, मैं उनकी चिट्ठियों को भी देखता हूं। मैं कांग्रेस के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियों को भी देखता हूं और उनकी लड़ाइयों को भी देखता हूं और सरकार किसी की भी हो, अलग–अलग सरकारें रहीं हों राज्य में या दिल्ली में, या अलग–अलग पार्टियों की या एक ही पार्टी की सरकारें रहीं हों तो टकराहटें भी रही हैं और काम भी किया है। पर एक शिकायत थोड़ी सी है कांग्रेस और बी.जे.पी. के साथियों से कि उन्होंने कॉस्टीट्यूशन मिसइन्टरप्रेटेशन को बहुत आगे तक प्रोलॉन्ग होने दिया इसीलिए मैंने बिजली, पानी का उदाहरण दिया, मर्डर का उदाहरण दिया। अरविन्द भाई ने। बस आखिर में मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि:

हमसे भी पहले कई मुसाफिर इन राहों से गुजरे हैं
वो कम से कम राहों के पत्थर तो हटा गये होते।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015, वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16 में खण्ड–2 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egksn; % संशोधन पर विचार, अब श्री पंकज पुष्कर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे कि दिल्ली जनलोकपाल विधेयक 2015 को प्रवर समिति को भेज दिया जाए, मूव करें।

Jh iadt iq"dj % माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझको अभी दो मिनट पहले...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % पुष्कर जी, केवल मूव करने की मैंने बात कही है, शब्द आपके आये हुए हैं, प्रवर समिति को दे दिया गया है, उसको मूव करिए या वापस लीजिए दो में से एक चीज होगी।

Jh iadt iq"dj % महोदय, उसके बारे में मुझे आप मिनट बता दें कि कितने मिनट में मैं अपनी बात कह सकता हूं। पूरी बहस में एक भी मिनट मैं बोला नहीं, अगर समय मांग रहा हूं।

v/;{k egksn; % पुष्कर जी, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है केवल सदन की वोटिंग होनी है। आपने प्रवर समिति को भेजने को कहा तो आप सीधी सी बात करें, आपने भेजना है या नहीं भेजना है? मूव करना है तो आप सीधा बताएं कि मूव किया जाए।

Jh iadt iq"dj % हां, मूव करने के लिए मैं कह रहा हूं तो उसके बारे में दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट जितने आप देना चाहें उतना दें। सभी सदस्यों को मौका मिला है।

v/;{k egkn; % कुछ नहीं बैठिये। अमेंडमेंट मूव करना है या नहीं ये केवल बता दीजिये।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % नहीं आप बैठ जाइये। देखिये, पुष्कर जी मैं बड़े मान–सम्मान से...(व्यवधान)...

Jh idt i"dj % माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी उपस्थिति में सदन में...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आपने प्रवर समिति के लिए लिख के दिया है और उसको मूव करना है या नहीं करना, सीधी बात बोलिये।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल मूव करना है, मैंने परामर्श किया है।

v/;{k egkn; % नहीं, आप मूव करिए इसको।

Jh idt i"dj % आपसे बड़ा तो कोई है नहीं, लेकिन प्रार्थना करने का अधिकार है तो नेता सदन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी उपस्थिति में एक अभूतपूर्व काम हो रहा है।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, मैं आपसे यह बात कह रहा हूं।

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, वो स्थिति स्पष्ट नहीं होती न। मुझको कम से कम दो मिनट तो कहने का मौका मिलेगा।

v/;{k egksn; % सारी स्पष्ट हो चुकी है, कुछ नहीं। चार घंटे से यही चर्चा हो रही है।

Jh iadt iq"dj % लेकिन चार घंटे में से मैं तो एक मिनट भी नहीं बोला न सर।

v/;{k egksn; % मैं वोटिंग पर जाऊं।

Jh iadt iq"dj % बस सर एक मिनट।

v/;{k egksn; % नहीं, मैं कुछ नहीं इस पर अलाउ कर रहा अब कुछ नहीं। चर्चा का समय समाप्त हो चुका अब मैं सीधा वोटिंग पर जा रहा हूं।

Jh iadt iq"dj % अध्यक्ष महोदय, आप मुझे पंक्ति बता दें कितनी पंक्ति बोलनी हैं।

v/;{k egksn; % मैं कुछ नहीं इस पर चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री जी बोल चुके, मंत्री जी बोल चुके अब इसके बाद कोई चर्चा, नहीं मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं, प्लीज बैठ जाइये, आपने मूव करना है तो मूव करिए। नहीं भाई पुष्कर जी अब इसको आप जबरदस्ती मत करिए। आपने मूव करना है या नहीं?

Jh iadt iq"dj % अध्यक्ष जी, इतनी देर में मैं अपनी बात कह चुका होता।

v/;{k egkn; % मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप स्पष्ट उत्तर दीजिए मैं इस पर अब चर्चा का समय कुछ नहीं दे रहा हूं आप स्पष्ट उत्तर दीजिए मूव करना है या नहीं?

Jh idt i"dj % अध्यक्ष महोदय, मैंने चीफ–व्हीप महोदय से पूछा कि इस पर कोई व्हीप है क्या उन्होंने अभी दो मिनट पहले व्हीप दी है कि आपको इस संशोधन के विपक्ष में वोट करना है। मैं सदन की जो भावना है बिल्कुल उसके साथ हूं ये बहुत साधुवाद की बात है कि...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % आपने प्रवर समिति का दिया है पुष्कर जी मैं उस विषय पर अब कोई नहीं किसने ह्विप किया है।

Jh idt i"dj % मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी सर्वानुमति से सरकार का बिल पास हो। मैं भी चाहता हूं पूरे समर्पण के साथ बिल पास हो।

v/;{k egkn; % पुष्कर जी, इतना समय नहीं लगता आप इसमें मैं ये जानकर कि आप सीधा इसको मेरी बात सुन लीजिए एक बार मैं ये मानकर कि सीधा आप इसको मूव कर रहे हैं, मैं वोटिंग करवा रहा हूं। मैं इतना समय नहीं दूंगा। ऑलरेडी पोने आठ बज चुके हैं। पहले मोशन है इस पर बोलिए।

Jh idt i"dj % हां, मोशन ये है कि मैं सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का यह इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं। मुझको ह्विप मिला है, मैं ह्विप का पालन करूंगा लेकिन ये संज्ञान में आये सदन के सामने।

v/;{k egkn; % इसके बाद खत्म हो गयी। आप विड्रा कर रहे हैं।

Jh idt i"dj % मैंने डिप्टी–सेक्रेटरी के साथ परामर्श किया।

v/;{k egkn; % नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब श्री पंकज पुष्कर जी का यह संशोधन सदन के सामने है कि दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 को प्रवर समिति को भेज दिया जाए, जो इसके पक्ष में है...(व्यवधान)...जब कोई संशोधन होता है उस पर केवल वोटिंग होती है उस पर बोला नहीं जाता। एक बार संशोधन हो जाए...(व्यवधान)...नहीं मैं कुछ नहीं इस पर...(व्यवधान)...पंकज पुष्कर जी का जो ये संशोधन है। वह इस सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के ना कहने पर)

न पक्ष जीता, न पक्ष जीता

संशोधन अस्वीकार हुआ।

LokLF; e=h % अध्यक्ष महोदय, इसका डिवीजन ऑफ वोट करा लीजिए।

v/;{k egkn; % इसका डिवीजन ऑफ वोट्स, चलिए। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठें। मेरे कहने पर जो इस संशोधन के पक्ष में हैं, जो पुष्कर जी ने मूव किया है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अब जो इस संशोधन के विरोध में हैं वो अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं।

अब जो तटस्थ हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मोशन के विरोध में 66 वोट पड़े हैं। पक्ष में जीरो वोट। तटस्थ में 2 वोट, कुल 68 वोट, प्रस्ताव अंततः अस्वीकार हुआ। अब श्री विजेन्द्र गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष विधेयक के खंड दो अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh fotUn xIrk % सैक्शन–2(e) मैं अमैंडमैंट में मूव करता हूं। सबको पेपर ये दे दिया गया 2(e) पढ़ लीजिए।

v/;{k egkn; % बैठिए, अब विधेयक के खंड दो (ई) तथा दो (जी) में श्री विजेन्द्र गुप्ता के संशोधन सदन के सामने हैंः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के न कहने पर)

न पक्ष जीता, न पक्ष जीता

संशोधन अस्वीकार हुआ।

सोमनाथ जी, आपने मूव किया आप वापस ले रहे हैं न? ठीक है। संशोधन पर विचार अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015 के खंड दो में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh euh"k fllkfn;k % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खंड दो में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खंड–दो विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

यथा संशोधित खंड–2 विधेयक का अंग बन गए।

अब श्री विजेन्द्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष विधेयक के खंड–3 में अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh fot\Un xIrk % सैक्शन–3 का (1) और सैक्शन–3 का (1) (डी) और सैक्शन–3 (2) (ए), सैक्शन–3 (2) (बी) में हमारे ये तीन–चार संशोधन है, (ई) में अमैंडमैंट में मूव करता हूं। सबको पेपर ये दे दिया गया है। 2(e) पढ़ लीजिए।

v/;{k egkn; % अब विजेन्द्र गुप्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के न कहने पर)

न पक्ष जीता, न पक्ष जीता

संशोधन अस्वीकार हुआ।

v/;{k egkn; % अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 के खंड तीन में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh euh"k fl lkfn;k % अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से खंड तीन में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है,

Jh fot Un xIrk % देखिए मैं स्पष्ट कर दूं ये एप्वाईमैंट का इशू है। हमने भी संशोधन दिया था एप्वाईमैंट में हमारा मकसद ये था कि पॉलिटीकल एप्वाइंटमैंट नहीं होनी चाहिए लोकपाल की जो एप्वाइंटमैन्ट का अभी मसौदा था उसमें जो चार लोग तय करेंगे जिसमें से तीन पोलिटिकल थे वो फाइनल होगा, ये मूल विधेयक में था। हमने उसके बदले में अपना एक प्रोसिजर दिया था, लेकिन चैक एंड बैलेंस उसमें है, इसलिए हम उसके खिलाफ नहीं है, हमारा मकसद ये है कि चैक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे

हैं हम बहुत पोजिटिव है, उसका 10 परसैंट भी पॉजिटिव हो जाते तो ये बिल बहुत दुरुस्त हो जाता। लेकिन आप तो राजनीति कर रहे हैं।

v/;{k egkn; % चलिए, अब खंड–3 श्री मनीष सिसोदिया जी, का संशोधन है, सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खंड–3 विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

प्रस्ताव पास हुआ, यथा संशोधित खंड–3 विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खंड–4 विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

प्रस्ताव पास हुआ, यथा संशोधित खंड–4 विधेयक का अंग बन गया।

संशोधन पर विचार, अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली जन लोकपाल विधेयक 2015 के खंड–5 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh euh"k fl lkfn;k % अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से खंड–5 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खंड–5 विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

यथा संशोधित खंड–5 विधेयक का अंग बन गए।

v/;{k egkn; % अब श्री विजेन्द्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष विधेयक के खंड–6 में अपने संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh fotsUnz xqIrk % अध्यक्ष जी, खण्ड 6 में भी जो रिमूवल था वो पोलिटिकल था। इस 70 के सदन में 2/3 और यहां तो अगर 3/5 भी, मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था 3/5 कहूं कि 4/5 कहूं या 5/6 कहूं, मुझे लगा कि 100 में से 3 हटा दो बस इतना कह दो कुछ। क्योंकि मैथमेटिक्स का ज्ञान तो है पर 5/6 के बाद क्या कहूं। वो उसमें भी कवर नहीं होता यह। जब इतने सारे आप हो तो 2/3 तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने लोकपाल को हटा दिया। कब आपको लोकपाल की हंसी पसंद नहीं आई, कब उसका छींकना पसंद नहीं आया, कभी उसका बोलना पसंद नहीं आया आपने हटा दिया तो हमने यहां पर एक प्रपोजल दिया था कि जो रिमूवल है लोकपाल का वो इतना सरल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने कहा है कि 2/3 मेम्बर्स जो हैं वो एक पेटिशन तैयार करें। हाउस में भी आने की जरूरत

नहीं है। अगर वो पेटिशन पर 2/3 मेम्बर साईन कर दें और सीधा प्रेसिडेन्ट ऑफ इण्डिया को दे दें।

v/;{k egkn; % हो गया, विजेन्द्र जी आ गया है।

Jh fotUnz xIrk % एक मिनट सर, मैं पढ़ता एक–एक। उसके अलावा मैंने।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % सब सदस्यों के पास पहुंच चुका है। सब सदस्यों को वितरित किया गया है। आपको इस पर बोलने का भी मौका दिया है।

Jh fotUnz xIrk % 2/3 अगर साइन कर दें और प्रेजिडेन्ट उसके ऊपर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से इन्वेस्टीगेशन कराके रिपोर्ट ले लें तो वो। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, देखिये। ये सब सदस्यों ने पढ़ लिया। आपको आधा घण्टा बोलने का अवसर दिया।

Jh fotUnz xIrk % वो क्या करें। ये हमने 6/1 में अब अध्यक्ष जी, इसके लिए।...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, अगर संशोधन पढ़ने लगें तो सब सदस्यों के पास। आपको आधा घण्टा बोलने का मौका दिया है। प्लीज।

Jh fotUnz xIrk % अध्यक्ष जी, नम्बर भी न पढ़ूं। इसमें कौन–कौन सा है।

v/;{k egkn; % हां, नम्बर पढ़ दीजिए।

Jh fotUn xIrk % नम्बर पढ़ रहा हूं।

v/;{k egkn; % नम्बर पढ़िए।

Jh fotUn xIrk % अब ये 6 यहां पर 6, वन और टू सिर्फ दो पार्ट थे। हमने जो प्रपोज किया था। उसमें सिक्स में। सिक्स टू। ...(व्यवधान)...

v/;{k egkn; % फिर आप वही पढ़ने लगे। आप

Jh fotUn xIrk % क्या? नम्बर तो पढूंगा?

v/;{k egkn; % सरकुलेट हो चुका है।

Jh fotUn xIrk % सरकुलेट हो चुका है अध्यक्ष जी। आप वन भी नहीं मान रहे हैं, टू भी नहीं मान रहे हैं, थ्री भी नहीं मान रहे हैं। ये पढूंगा न। नम्बर पढ़ रहा हूं। 6(1), 6(2), 6(3) इसके भाग पढ़ रहा हूं। 6(4), 6(4) का ए, बी, सी और 6(5)। ये 6 जो सेक्शन 6 हैं वो पांच हिस्सों में था और जो चौथा था उसके तीन हिस्से थे। ये मैंने यहां पर प्रस्तुत किया है। जो 6 यहां पर है उसको रिमूव किया है और उसकी जगह डिलीट करके ये हमने प्रपोज किया है इस पर।

v/;{k egkn; % देखिये, विजेन्द्र जी।...(व्यवधान)...

Jh idt i"dj % निष्पक्षता की आपसे अपील करता हूं।

v/;{k egkn; % चलिए, विजेन्द्र जी। भई ये हो गया।

Jh fotUnj xqIrk % नहीं, मैं अगर कहता तो मैं एक–एक पढ़ सकता था। सिर्फ समय बहुत हो गया है और।**---½0;o/kku½---**

v/;{k egkn; % विजेन्द्र जी, आप बैठिए।

अब विधेयक के खण्ड 6 में श्री विजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहे।

आप हां कहना भूल जाते हैं भई क्या करें।

Jh fotUnj xqIrk % दिमाग पर जोर डालना पड़ता है।

v/;{k egkn; % चलिए, जो इसके विरोध में हैं। प्लीज, भई बैठिए प्लीज।

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।

न पक्ष जीता, न पक्ष जीता।

संशोधन अस्वीकार हुआ।

अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, दिल्ली जन लोकपाल बिल विधेयक, 2015 के खण्ड 6 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh euh"k fl lkfn;k ¼mi e[;e=h½ % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खण्ड 6 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

Jh fotUnz xIrk % हम भी इसके पक्ष में जायेंगे क्योंकि मूल भाव। (व्यवधान)

v/;{k egksn; % विजेन्द्र जी, भई, क्लैरिफिकेशन। यहां वोटिंग हो रही है। विजेन्द्र जी, अब वोटिंग हो रही है। प्लीज। चलिए।

ये संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

अब हां तो बोल दो विजेन्द्र जी।

Jh fotUnz xIrk % हां तो मैंने पहले ही बोल दिया।

v/;{k egksn; % जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 6 विधेयक का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खण्ड 7 से 14 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 7 से 14 विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विधेयक के खण्ड 15 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे। विजेन्द्र जी, केवल संशोधन। प्लीज

Jh fotUnz xIrk % जी, सेक्शन 15 जो यहां है उसको डिलीट करके और जो सेक्शन 15 में हमने यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दी है।...(व्यवधान)...

v/;{k egksn; % कौन सा डिलीट करके?

Jh fotUnz xIrk % जो 15 एस.एच. अभी है। उसको हटाके जो हमने प्रपोज किया है वो मैं प्रपोज करता हूं। सेक्शन 15 में

v/;{k egksn; % चलिए। हां, सेक्शन 15 आप बैठिए।

अब विधेयक के खण्ड 15 में श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के न कहने पर)

न पक्ष जीता, न पक्ष जीता,

संशोधन अस्वीकार हुआ।

प्रश्न है कि खण्ड 15 से 17 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

सदस्यों के हां कहने पर,

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 15 से 17 विधेयक का अंग बन गये।

अब श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष विधेयक के खण्ड 18 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

Jh fotUn xIrk % सेक्शन 18 में यहां पर दिया गया कान्स्टीट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। उस समूचे के बदले में मैं ये प्रस्ताव करता हूं जो वैल्यू एडेड टैक्स में है जो परिभाषा स्पेशल कोर्ट की, वो मैं यहां पर इस एक्ट में भी, क्योंकि एक ही चीज की दो परिभाषायें नहीं हो सकतीं। स्पेशल कोर्ट की यहां अलग हैं, यहां अलग है। तो जो यहां है। (व्यवधान)

v/;{k egkn; % वो आपने बात बोल दी थी अपने भाषण में भाई साहब।

Jh fotUn xIrk % 18 जो सेक्शन 18 है। डेजिगनेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। उसको ये रिमूव करके जो प्रपोजल में है, उसकी ये डिफिनेशन मैं यहां पर दे रहा हूं।

v/;{k egkn; % ठीक है। अब विधेयक के खण्ड 18 में श्री विजेन्द्र गुप्ता जी का संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें,

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता,

संशोधन अस्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि खण्ड 18 से 29 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खण्ड 18 से 29 विधेयक का अंग बन गये।

l|'kk/ku ij fopkj % अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली जनलोकपाल विधेयक, 2015 के खण्ड 30 में अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खण्ड 30 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

v/;{k egkn; % यह संशोधन सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

संशोधन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

अब प्रश्न है कि यथा संशोधित खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 30 विधेयक का अंग बन गये।

v/;{k egkn; % अब प्रश्न है कि खंड 31 से 33 विधेयक का अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खंड 31 से 33 विधेयक के अंग बन गए।

अब प्रश्न है कि खंड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

खंड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

अब विधेयक को पारित करना–श्री मनीष सिसोदिया माननीय उप–मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि (यथा संशोधित) दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16) को पारित किया जाए।

mi e[;e=h % अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यथासंशोधित दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक संख्या 16) को पारित किया जाए।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में है वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।

LokLF; e=h % अध्यक्ष जी, इसकी डिविजन ऑफ वोट कराया जाए।

v/;{k egkn; % विधेयक पास हुआ। माननीय सत्येन्द्र जैन जी, माननीय मंत्री द्वारा यह वोट ऑफ डिविजन का प्रस्ताव सामने आया है।

अब उप–मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा। अब जो सदस्य इस प्रस्ताव में पक्ष में हैं कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

कृपया बैठ जाएं।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में हैं,

वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

कृपया बैठिए। बैठिए।

अब जो सदस्य तटस्थ हैं, कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

पक्ष में 64 वोट। विरोध में दो वोट, तटस्थ शून्य। अतः प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक पास हुआ।

(सभी सदस्यों ने भारत माता की जय का नारा लगाया)

v/;{k egkn; % दो बातें कह कर मैं बात पूरी कर रहा हूं। एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सेलेरीज पर बात की है। वो प्रारम्भिक सेलेरी 12000 हजार से 50000 हजार पर नहीं की है, उसमें हम को 4000 हजार रुपये बिजली और पानी के भी मिलते थे। यानि 16000 को हमने जो 50000 किया है, मीडिया के बंधुओं ने भी ये गलत लिखा है। अब ये 50000 किया है, ये बिजली और पानी सब मिलकर किया है। जो पहली बिजली मिलता था पानी मिलता था 4000 हजार रुपये वो हटा दिया गया है। यानी ये 16000 मानें, 16000 हजार से बढ़ाकर 50000 हजार हुआ है। एक तो मैं ये क्लेरिफिकेशन कर रहा था। दूसरा 6 तारीख को माननीय भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्य तिथि है और सदन में सुबह 10 बजे पुष्पांजलि का समय रखा गया है, मेरी सभी बंधुओं से सदस्यों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करें। अवश्य पहुंचें। 125वीं जयंती उनकी है। हम सबका दायित्व हो जाता है संविधान के निर्माण के प्रति, सभी सदस्य पहुंचें ये मेरा आग्रह है।

इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं सदन के नेता और मुख्य मंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, सभी मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एवं उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस खुफिया एजेंसियों, सी.आर.पी.एस. बटालियन 55 तथा लोक निर्माण विभाग के

सिविल, इलेक्ट्रिकल व होर्टिकल्चर डिविजन व अग्निशमन विभाग के द्वारा किए गए अति सराहनीय कार्यों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन—जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और ये सदन सबसे लम्बा चला है इसके लिए भी आपके सहयोग के लिए भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

lekt dY;k.k ea=h % भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्य तिथि है, मैं इस सदन के सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सारे लोग इस पर समर्थन भी करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता के रूप में ये सदन मानें क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया है, इस देश का निर्माण किया है क्योंकि संविधान से देश चलता है और वह बाबा साहेब ने दिया है। मेरा प्रस्ताव सदन के सामने है कृपया इस पर वोटिंग कराई जाए। धन्यवाद।

v/;{k egksn; % यह विषय नहीं उठ सकता इसका। देखें हमारी भावना, मैंने जैसे पहले याद दिलाया हमारी भावना बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में समर्पित है। इस देश के संविधान निर्माता हैं। युगों युगों तक वो याद किये जाएंगे। इस देश के सभी निवासियों की आत्मा में उनका निवास करता है। हर वक्त जब भी संविधान की बात आती है। और जहां संविधान तोड़ा जाता है कहीं पर भी किसी भी अधिकारी द्वारा या नेताओं द्वारा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की हमको याद आती है। ये भाव सर्वोपरि है। अतः अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्र गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।

tu&x.k&e.k

¼lnu dh dk;Zokgh vfuf'pr dky ds fy, LFkfxr dh xbZ½

विषय सूची

l=&2 Hkkx ¼1½ 'kØokj] 04 fnlEcj] 2015@13 ekxZ'kh"kZ] 1937 ¼'kd½ vad&25

Ø- l-	**fo"k;**	**i"B l-**
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	विशेष उल्लेख (नियम–280)	3-30
3.	दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर विधेयक विधेयक, 2015 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण	31-41
4.	जन लोकपाल विधेयक 2015 पर विचार एवं पारण	42-201